VISIONIAS

www.visionias.in

Classroom Study Material

अर्थव्यवस्था

July 2017- September 20, 2017

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

1. बजटिंग 4

1.1. आउटकम बजटिंग 4

2. बैंकिंग और राजकोषीय नीति 6

2.1. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का समेकन 6

2.2. डोमेस्टिक सिस्टेमेटिक इम्पोर्टेन्ट बैंक 6

2.3. शेल कंपनियाँ 7

2.4. विनिवेश 9

3. श्रम सुधार 11

3.1. मजदूरी संहिता विधेयक 2017 11

3.2. मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी 12

4. बाह्य क्षेत्रक 14

4.1. निर्यात-आयात परिदृश्य 14

4.2. ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस 16

5. कृषि एवं इससे सम्बद्ध क्षेत्र 18

5.1. कृषि में महिलाएँ 18

5.2. कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन 20

5.3. भारत में दाल उत्पादन 21

5.4. कृषि क्षेत्र में युवा 23

5.5.आवश्यक वस्तु अधिनियम 24

5.6. डेरी क्षेत्रक 25

6. औद्योगिक नीति 28

6.1. नई औद्योगिक नीति की आवश्यकता 28

7. अवसंरचना 31

7.1. अवसंरचना परियोजनाओं का समय एवं लागत अनुमान से अधिक होना 31

7.2. नई मेट्रो रेल नीति 2016 32

7.3. राष्ट्रीय ऊर्जा नीति का मसौदा 34

7.4. हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी (HELP) 37

8. विद्युत 40

8.1. राष्ट्रीय विद्युत नीति 40

9. निवेश मॉडल 43

VISION IAS

9.1. सार्वजनिक-निजी भागीदारी ____ 43

10. भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक ____ *48*

10.1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ____ 48

10.2. पर्यटन उद्योग ____ 50

10.3. औषध नीति 2017 का मसौदा ____ 53

10.4. जूट उद्योग ____ 55

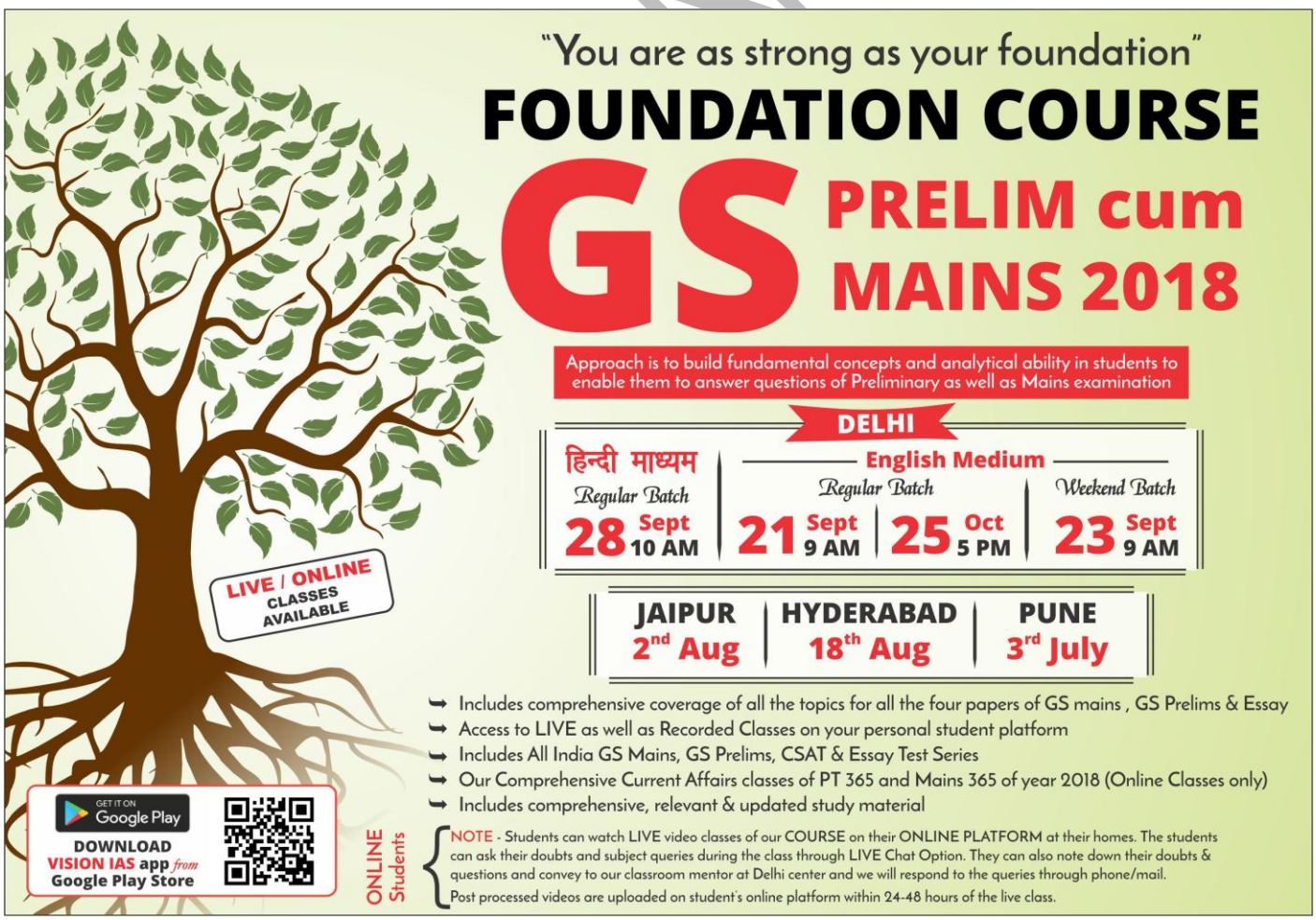

1. बजटिंग
(BUDGETING)

1.1. आउटकम बजटिंग

(Outcome Budgeting)

सुर्खियों में क्यों?

दिल्ली सरकार ने 2017-18 के लिए अपना "आउटकम बजट" जारी किया है। इसे "सार्वजनिक व्यय में पारदर्शिता और जवाबदेही शुरू करने वाला ऐतिहासिक अभिनव परिवर्तन" माना जा रहा है।

आउटकम बजटिंग (OB) क्या है?

- यह ऐसी बजटिंग योजना है जो केन्द्रीय मंत्रालयों एवं विभागों तथा संगठनों के लिए निर्धारित वर्ष के दौरान प्राप्त करने वाले वांछित परिणामों (मापन योग्य भौतिक लक्ष्यों) के लिए **परियोजना वार व्यय** प्रदान करती है। यह सभी **सरकारी कार्यक्रमों के विकास परिणामों** का मापन करती है।
- *आउटकम बेस्ड परफॉर्मेंस बजटिंग*, पारंपरिक बजटिंग से इस अर्थ में भिन्न है कि यह इनपुट (जानकारी) के माध्यम से बजट निर्धारण (हम कितना व्यय कर सकते हैं) करने के बजाय **मापन योग्य परिणामों** (जो हम व्यय करते हैं उससे क्या उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं) के माध्यम से बजट निर्धारण के सिद्धांत पर आधारित है।
- आउटकम बजट के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के तहत **अनुमानित परिणामों को सूचीबद्ध किए जाने** से सटीक बजटीय अनुमान प्राप्त किये जाने की अपेक्षा की जाती है।
- इसमें परिणामों को केवल मौद्रिक इकाइयों या भौतिक अवसंरचना के स्तर पर ही नहीं देखा जाता है बल्कि **गुणात्मक लक्ष्यों और उपलब्धियों** के संबंध में भी देखा जाता हैं। इसका प्रथम चरण संबंधित मंत्रालय, विभाग या कार्य **के लिए वांछित परिणामों** (अधिकतर दीर्घकालिक) **को परिभाषित करना है।**
- इसके बाद लक्षित परिणामों को प्राप्त करने के लिए वांछित **हस्तक्षेपों को पहचानने** की प्रक्रिया आती है।
- अंत में, पहचाने गए हस्तक्षेपों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक **व्यय** का अनुमान लगाया जाता है जोकि उस विशेष वर्ष के बजट में *लाइन आइटम* (अलग से) के रूप में निर्धारित किया गया है।

पृष्ठभूमि

- 1968 के बाद से ही, सरकारी विभागों द्वारा वित्तीय पहलुओं को भौतिक परिणामों से जोड़ने के लिए निष्पादन बजट तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन यह एक अनुपूरक उपकरण ही बना रहा जिसका संसाधन आवंटन पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता था।
- कालांतर में, 2005-06 में भारत में पहली बार परफॉर्मेंस बजट का एक संशोधित संस्करण प्रस्तुत किया गया। इसका कारण परिणामों के बजाय व्ययों पर ध्यान केन्द्रित किए जाने की आवश्यकता थी।
- तब से इस क्षेत्र में सीमित प्रगति ही हुई है। भारत वर्तमान में एक *परफॉर्मेंस बजटिंग फ्रेमवर्क* का अनुपालन करता है जो व्यक्तिगत कार्यक्रमों के स्तर पर परिणामों का पता लगाता है। हालाँकि यह उस क्षेत्र विशेष के लिए समग्र विकास संकेतकों को जोड़ने में सक्षम नहीं होता।

आउटकम बजटिंग का महत्व

- **कार्यपालिका की जवाबदेहिता**: लोगों को सेवाओं के संबंध में जानकारी प्रदान करना तथा निधियों को परिणामों से जोड़ना एक ऐसा शक्तिशाली अभिनव विचार है जो कार्यकारी अधिकारियों की जवाबदेहीता को परिभाषित करता है। यह नागरिकों को ऐसे आंकड़े प्रदान करता है जिनके आधार पर वे सरकारों से जवाब मांग सकें। इसके साथ ही यह सरकारों को, नौकरशाही तंत्र को बेहतर तरीके से परिणामों की ओर उन्मुख करने की शक्ति प्रदान करता है।

VISION IAS

- **परिणाम आधारित जानकारी**: निष्पादन आधारित बजट सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग की जानकारी प्रदान करता है जोकि विभिन्न कार्यक्रमों के तहत केवल आवंटनों पर विशेष ध्यान देने वाले पारंपरिक बजटन के विपरीत है। इसके अतिरिक्त परिणाम आधारित दृष्टिकोण, परिप्रेक्ष्य को शासन के लघु और दीर्घ कालिक परिणामों की ओर विस्थापित भी कर देता है।
- **समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण**: समग्र विकास प्रक्रिया हेतु संसाधनों का प्रभावी उपयोग एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता होती है। अतः संसाधनों के उपयोग के पैटर्न पर सुस्पष्ट जानकारी का उपलब्ध होना भविष्य में उनके बेहतर उपयोग के अवसर प्रदान करती है।

आउटकम बजटिंग के समक्ष चुनौतियाँ

सार्वजनिक वित्त के विषय पर निर्णयों को प्रभावित करने एवं सरकार के प्रदर्शन की गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए आउटकम बजट का एक सशक्त राजकोषीय साधन के रूप में उभरना अभी भी बाकी है।

- **असंगत प्रशासनिक संरचना**: भारत में अधिकतर विकास कार्यों में हस्तक्षेप राज्य सरकारों के माध्यम से निर्देशित किए जाते हैं। लेकिन अधिकतर राज्यों में महत्त्वपूर्ण (keyline) विभागों द्वारा परिणाम उन्मुख योजना और सेवा वितरण प्रक्रियाओं को अपनाया जाना अभी बाकी है।
- बहस **न होना**: विभागों द्वारा आउटकम बजट को बाद में बजट सत्र में अलग से रखा जाता है । इसके कारण उन पर आवश्यक बहस और जांच नहीं हो पाती है तथा सार्वजनिक क्षेत्र में वे अनदेखे रह जाते हैं।
- **ज्ञान का अभाव**: विशिष्ट सरकारी हस्तक्षेपों एवं उनके द्वारा संभावित रूप से प्रभावित किए जाने वाले परिणामों पर भी सीमित ज्ञान एवं समझ ही उपलब्ध है। इससे लंबे समय में आउटकम बजटिंग की संपूर्ण प्रक्रिया व्यर्थ हो जाती है।
- **अविकसित अवयव**: भारत में आउटकम बजट के मूल अवयव यथा – कार्य निष्पादन संकेतकों का मापन, मानकों का विशेष उल्लेख, कार्यक्रमों की लागत एवं निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली, अभी भी अपने विकास की अवस्था में ही हैं।
- **दो प्रकार के बजटन के बीच संबंध के विषय में स्पष्टता का अभाव**: व्यक्तिगत आउटकम बजटों में निहित कार्य निष्पादन जानकारी को, कार्यक्रम निर्माण और संसाधन आवंटन में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। हालांकि, दो प्रकार के बजट के अलग अलग प्रस्तुतिकरण के कारण इस विषय पर कोई स्पष्टता नहीं है।

आगे की राह

- गरीबी उन्मूलन एवं प्राथमिक स्वास्थ्य और शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत को प्रभावी कार्यक्रमों की आवश्यकता है। सटीक परिणामों एवं जवाबदेही के बिना नियोजित किए गए संसाधन विक्षेपित और व्यर्थ हो सकते हैं।
- भारत में आउटकम बजट एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जिसे मजबूत करने और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में कार्यक्रम निर्माण और संसाधन आवंटन, दोनों ही चरणों में विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत उपाय तैयार करने एवं इस कार्य निष्पादन जानकारी को बजट निर्णयों को आकार प्रदान करने में उपयोग करने की क्षमता महत्वपूर्ण कारक है।

VISION IAS

2. बैंकिंग और राजकोषीय नीति

(BANKING AND FISCAL POLICY)

2.1. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का समेकन

(Consolidation of Public Sector Banks)

सरकार वैश्विक स्तर के 3-4 बैंकों का निर्माण करने तथा राज्य स्वामित्व वाले बैंकों की सख्या को 21 से घटाकर लगभग 10-12 करने की दृष्टि से सरकारी बैंकों के समेकन करने पर कार्य कर रही है।

नरसिंहन समिति रिपोर्ट 1991

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सशक्त बनाने हेतु उनका विलय।
- इसने तीन स्तरीय बैंकिंग संरचना की परिकल्पना की थी। इस संरचना में अंतरराष्ट्रीय स्तर के तीन बड़े बैंकों को शीर्ष स्तर पर, 8 से 10 राष्ट्रीय बैंकों को दूसरे स्तर पर तथा क्षेत्रीय और स्थानीय बैंकों की बड़ी संख्या को अंतिम स्तर पर रखा गया।
- बैंकिंग की पैठ बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय बैंकों की स्थापना।
- विलय का निर्णय करते समय क्षेत्रीय संतुलन, भौगोलिक पहुँच, वित्तीय बोझ और मानव संसाधन का आसानी से संचरण जैसे कारकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 44A (स्वैच्छिक विलय के लिए मानदंडों का निर्धारण करती है) एवं धारा 45 (बलपूर्वक विलय) का कुशल उपयोग।
- एकाधिकार जैसी प्रथाओं से बचने हेतु विलय के लिए प्रतियोगिता होनी चाहिए।

विलय/बड़े आकार के बैंकों का महत्व

- दबावग्रस्त तुलन पत्र एवं गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की निरंतर बढ़ती समस्या को देखते हुए समेकन लागत में कमी करने एवं अधिक दक्षता प्राप्त करने में सहायक होगा।
- यह एकीकरण बढ़ती अर्थव्यवस्था की विशाल ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा आर्थिक झटकों को प्रतिसंतुलित कर सकता है। इसके साथ ही इसमें राजकोष पर अनुचित रूप से निर्भर रहे बिना संसाधन जुटाने की क्षमता विद्यमान है।
- समेकन एक ही बैंक की विभिन्न शाखाओं के बीच प्रतिस्पर्धा पर रोक लगाएगा एवं उनके संसाधनों को ऐसे अन्य संभागों की ओर मोड़ देगा जिन पर कम ध्यान दिया गया है।

चुनौतियाँ

- इसके द्वारा 'स्वैप रेशियो' तक पहुंचना कठिन होगा क्योंकि प्रस्तावित समेकित बैंक में अल्पसंख्यक हितधारकों के अधिकारों का संरक्षण किया जाना आवश्यक होगा।
- विलय के बाद अनेक समस्याए उत्पन्न हो सकती है जैसे - शहरी केंद्रों में शाखाओं का व्यापक पैमाने पर बन्द होना, कर्मचारियों की संख्या में कमी तथा बेहतर व्यापार तालमेल एवं कार्य संस्कृति का पता लगाना।

2.2. डोमेस्टिक सिस्टेमेटिक इम्पोर्टेन्ट बैंक

(Domestic Systematic Important Bank)

हाल ही में RBI द्वारा पिछले वर्ष निर्धारित *'बकेट स्ट्रक्चर'* के अंतर्गत HDFC को डोमेस्टिक सिस्टेमेटिक इम्पोर्टेन्ट बैंक (Domestic Systematic Important Bank: DSIB) के रूप में सूचीबद्ध किया गया।

VISION IAS

वित्तीय स्थिरता बोर्ड

वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो वैश्विक वित्तीय व्यवस्था की निगरानी करता है तथा उसके संबंध में अनुशंसाएँ प्रदान करता है।

यह सशक्त विनियामक एवं पर्यवेक्षण नीतियों के विकास की दिशा में कार्य करने वाले राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरणों एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण निकायों के बीच समन्वय स्थापित कर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को बढ़ावा देता है।

डोमेस्टिक सिस्टेमेटिक इम्पोर्टेन्ट बैंक (DSIBs) क्या हैं?

- DSIBs को ऐसे बैंकों के रूप में संदर्भित किया जाता है जो अपने आकार, अनेक क्षेत्राधिकारों में गतिविधियों के संचालन, जटिलता एवं प्रतिस्थापन के अभाव एवं अंतर्संबंधों के कारण **"इतने विशाल हैं कि ध्वस्त नहीं हो सकते"** (Too Big To Fall:TBTF)।
- ऐसे बैंक जिनकी परिसंपत्तियां **सकल घरेलू उत्पाद के 2%** से अधिक हो उन्हें DSIB माने जाते हैं। अर्थव्यवस्था पर इनके विफल होने का विघटनकारी प्रभाव हो सकता है।
- DSIBs को **पांच श्रेणियों (बकेट)** में वर्गीकृत किया गया है। इन श्रेणियों के अनुसार बैंकों को अलग से **जोखिम भारित आस्तियों (RWAs) के प्रतिशत के रूप में** अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टियर -1 को बनाए रखना होता है।
- वर्तमान में **भारतीय स्टेट बैंक** को **श्रेणी 3** के तहत रखा गया है एवं इसे वित्तीय वर्ष 2018 की शुरुवात से अतिरिक्त 0.45% जोखिम भारित आस्तियाँ (RWAs) बनाए रखने का अधिदेश दिया गया है, जिन्हें अप्रैल 2019 में बढ़ाकर 0.6% करना होगा।
- **HDFC** एवं **ICICI** बैंक **श्रेणी 1** के अंतर्गत शामिल हैं। इसके अनुसार अप्रैल 2018 से उन्हें 0.15% जोखिम भारित आस्तियाँ (RWAs) बनाए रखना होगा। यह आवश्यक मात्रा अगले वित्तीय वर्ष में बढ़कर 0.2% हो जाएगी।
- DSIBs को विशेष प्रावधानों के तहत अधिदेशित किया गया है। मनी लांड्रिंग जैसे अवैध कार्यों से दूर रखने तथा बेहतर कार्यसंस्कृति सुनिश्चित करने के लिए उनपर केंद्रीय बैंक द्वारा बारीकी से नज़र रखी जाती है।
- डोमेस्टिक सिस्टेमेटिक इम्पोर्टेन्ट बैंकों का घरेलू रूप से देश के केंद्रीय बैंक द्वारा और वैश्विक रूप से बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति द्वारा पहचान की जाती है।

आगे की राह

- DSIBs की निगरानी केंद्रीय बैंकों द्वारा अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है ताकि वैश्विक वित्तीय संकट जैसी चरम परिस्थितियों को कम किया जा सके है। हालांकि, DSIBs ऐसी तात्कालिक आवश्यकताओं का एकमात्र समाधान नहीं हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक को **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC)** जैसे *शैडो बैंक* के रूप में जानी जाने वाली बीमा और पेंशन क्षेत्र की फर्मों को नियंत्रित करने के लिए भी इसी प्रकार का तंत्र विकसित करना चाहिए।
- DSIBs हेतु अनिवार्य रूप से पृथक रखी जाने वाली अतिरिक्त पूंजी अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। इसलिए RBI को अन्य देशों की भाँति अधिक कठोर उपाय अपनाने चाहिए।

2.3. शेल कंपनियाँ

(Shell Companies)

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) द्वारा 2.1 लाख **निष्क्रिय कंपनियों** का पंजीकरण रद्द कर किया गया है तथा उनमें से लगभग 1.07 लाख शेल कंपनियों के निदेशकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

निष्क्रिय कंपनी और शेल कंपनी के बीच अंतर

कोई कंपनी निष्क्रिय कंपनी है यदि

- इसने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के अनुपालन की आवश्यकताओं के तहत *रजिस्ट्रार ऑफ़ कम्पनीज* से **'निष्क्रिय'** स्टैटस का दर्ज़ा प्राप्त किया हो,
- अथवा, कम्पनी ने लगातार दो वित्तीय वर्षों के लिए *एनुअल रिटर्न* नहीं भरा हो।

दूसरी ओर शेल कंपनी ऐसी कम्पनी है जिसके द्वारा मुख्यत रूप से कर अपवंचन एवं अवैध गतिविधियों का वित्तपोषण किए जाने की आशंका होती है।

शेल कंपनियाँ क्या हैं?

- ये ऐसी कम्पनियाँ हैं जो **सक्रिय व्यावसायिक संचालनों के बिना भी महत्वपूर्ण परिसम्पत्तियाँ रखती हैं**। इन्हें वैध और अवैध दोनों प्रयोजनों के लिए स्थापित किया जा सकता है।
  - **वैध प्रयोजन** में धन जुटाकर किसी स्टार्ट-अप को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है और
  - **अवैध उद्देश्य** में कानून प्रवर्तन से स्वामित्व छुपाना, अवैध धन का शोधन करना एवं कर अपवंचन शामिल है।
- भारत में शेल कंपनियों को कंपनी अधिनियम 2013 या किसी अन्य विधान के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन कुछ कानून काले धन को वैध करने जैसी अवैधानिक गतिविधियों को रोकने में सहायता कर सकते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से शैल कंपनियों को लक्ष्य बनाने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं – जैसे बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम 2016, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 एवं कंपनी अधिनियम 2013।

इस कदम का महत्व

- निष्क्रिय कंपनियाँ, नियामक प्रणाली में तनाव पैदा करती हैं। इस कार्रवाई से पहले लगभग 13 लाख कंपनियाँ पंजीकृत थीं एवं लगभग 2.10 लाख कंपनियों को बन्द किए जाने के बाद रजिस्ट्री में 11 लाख कंपनियाँ सक्रिय स्थिति धारण करने वाली शेष रह जाएगी।
- यह उपाय विमुद्रीकरण के बाद की अवस्था में शेल कंपनियों पर सरकारी कार्रवाई एवं साथ ही काले धन की समस्या पर अंकुश लगाने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। विमुद्रीकरण के बाद की गई कार्रवाई सफल रही है क्योंकि उस चरण में लेनदेन बहुत कम हुआ था।
- शेल कंपनियों को हटाने की प्रक्रिया कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार करेगी एवं भारतीय विनियामक प्रणाली में निवेशकों के विश्वास को बढ़ाकर *इज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस* को सुसाध्य बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

चिंताएँ

- ऐसी कंपनियाँ जो शेल कंपनियाँ नहीं हैं उनको आर्थिक नुकसान एवं व्यापार पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता हैं।
- यह देश में *स्टार्ट-अप्स* को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है और स्टार्ट अप इंडिया कार्यक्रम की संभावनाओं को क्षति पहुँचा सकता है।
- शेल कंपनियों के निदेशकों की भूमिका के अतिरिक्त अवैध लेनदेन करने में कथित मिलीभगत करने के लिए लेखा परीक्षकों की भूमिका भी जाँच के दायरे में आ गई है और वे ऐसी लेनदेन से संबंधित सूचनाओं का खुलासा नहीं करेंगे।
- कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा लेखा परीक्षा फर्मों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर TERI के अध्यक्ष अशोक चावला की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल की अनुशंसाओं का परीक्षण भी किया जा रहा है।

VISION IAS

2.4. विनिवेश

(Disinvestment)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, राज्य की स्वामित्व वाली कंपनियों के रणनीतिक विनिवेश में तेजी लाने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है।
- इससे पूर्व सरकार ने NHPC, कोल इंडिया और ONGC में विनिवेश की स्वीकृति दी थी।

विनिवेश क्या है?

- विनिवेश या डाइवेस्टिचर (divestiture) से आशय सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों (PSE) में अपनी परिसम्पत्तियों या अंशों को बेचने अथवा परिनिर्धारित करने से है।
- वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) विनिवेश के लिए नोडल एजेंसी है।
- यह तब किया जाता है जब सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम राजकोष को घाटा पहुँचाने लगते हैं।
- विनिवेश आय सरकार को अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए धन प्राप्त करने में सहायता करती है।
- बजट 2017-18 में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों में विनिवेश के माध्यम से 72,500 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

भारत में विनिवेश

नई आर्थिक नीति 1991 में संकेत किया गया था कि सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों ने नियोजित पूंजी पर निम्नलिखित कारणों से प्रतिफल की अत्यधिक ऋणात्मक दर प्रदर्शित की है:

- सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की रियायती मूल्य नीति।
- क्षमता का सीमा से कम उपयोग।
- परियोजनाओं की योजना और निर्माण से संबंधित समस्याएं।
- श्रमिकों, कार्मिकों और प्रबंधन एवं स्वायत्तता की कमी की समस्याएं।

इस दिशा में, सरकार ने निम्नलिखित **मुख्य उद्देश्यों** को प्राप्त करने हेतु **'विनिवेश नीति'** को अपनाया:

- सार्वजनिक वित्त में सुधार के माध्यम से सरकार पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए।
- स्वामित्व का व्यापक अंश प्रोत्साहित कर प्रतिस्पर्धा और बाजार अनुशासन आरम्भ करने के लिए।

रंगराजन समिति 1993, ने छह उद्योगों, कोयला और लिग्नाइट, खनिज तेल, हथियार और गोला-बारूद तथा रक्षा-उपकरण, परमाणु ऊर्जा, रेडियोधर्मी खनिजों और रेलवे परिवहन के मामले में सरकारी इक्विटी में कमी कर उसे 49 फीसदी तक करने की अनुशंसा की थी।

जी. वी. रामकृष्ण की अध्यक्षता में **विनिवेश आयोग (1996)** ने विनिवेश के प्रयोजन के लिए 58 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की पहचान की एवं सुझाव दिया कि दीर्घकालिक विनिवेश नीति को लाभहीन सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों (PSUs) को प्रदान किए जाने वाले बजटीय समर्थन को कम करने पर जोर देना चाहिए।

राष्ट्रीय निवेश कोष (NIF)

- इसका निर्माण 2005 में किया गया था। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से संपूर्ण आय को इस कोष में दिशानिर्देशित किया गया।
- 75% कोष का उपयोग सामाजिक क्षेत्रक योजनाओं में किया जाएगा जबकि 25% का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों को पुनर्जीवित करने में किया जाना है।
- इस नियम को वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान शिथिल कर दिया गया था एवं सरकार ने 2009 से 2013 के बीच सामाजिक क्षेत्रक के लिए राष्ट्रीय निवेश कोष **(NIF)** की 100% आय के उपयोग का अनुमोदन किया।

VISION IAS

इस संदर्भ में और अधिक जानकारी

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वित्त मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा प्रशासनिक विभाग मंत्री से मिलकर बनने वाले एक **वैकल्पिक तंत्र (AM)** का प्रस्ताव किया था। इसे **रुचियों की अभिव्यक्ति (EOI)** आमंत्रित करने के चरण से लेकर वित्तीय बोली आमंत्रित करने तक बिक्री का निर्णय लेना था।
- नवीन तंत्र प्रक्रिया संबंधी मुद्दों पर नीतिगत निर्णय लेने के लिए विनिवेश पर सचिवों के कोर ग्रुप को समर्थ बनाएगा।

विनिवेश के तरीके

- **शेयर बाजार:** शेयर बाजार के माध्यम से इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) और फर्दर पब्लिक ऑफरिंग (FPO) और ऑफर फॉर सेल (OFS) के तरीके अपनाये जा सकते हैं।
- **इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कार्यक्रम (IPP):** केवल संस्थान इस प्रस्ताव में भाग ले सकते हैं।
- **CPSE एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF):** ETF मार्ग के माध्यम से विनिवेश एक ही प्रस्ताव के ज़रिए विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न CPSE में सरकारी हिस्सेदारी की एक साथ बिक्री की अनुमति देता है। यह उन CPSE में अपनी शेयरधारिता का मुद्रीकरण करने के लिए तंत्र प्रदान करता है जो ETF बास्केट के भाग हैं।

रणनीतिक विनिवेश :

- यह केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों (CPSE) में सरकार की 50 प्रतिशत शेयरधारिता के एक बड़े भाग या प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ ऐसे उच्चतर प्रतिशत की बिक्री का द्योतक है।
- इसका उद्देश्य CPSE में सरकारी निवेश का कुशल प्रबंधन था। पूंजी पुनर्गठन, लाभांश, बोनस शेयर जैसे मुद्दों को संबोधित करने जैसे विभिन्न कार्यक्रम इस नीति के भाग के रूप में निर्मित किये गए।

विनिवेश: पक्ष और विपक्ष में तर्क

विपक्ष में	**पक्ष में**
• यह आबादी के बीच संसाधनों के समतापूर्ण वितरण की समाजवादी विचारधारा के विरूद्ध है। • इससे कॉरपोरेट द्वारा एकाधिकार और अल्पाधिकारी व्यवहारों का मार्ग प्रशस्त होगा। • राज्य का राजकोषीय घाटा पूरा करने के लिए विनिवेश की प्राप्तियों का उपयोग किया जाना अस्वस्थ राजकोषीय समेकन का मार्ग प्रशस्त करता है। • निजी स्वामित्व दक्षता की गारंटी नहीं देता **(रंगराजन समिति 1993)।** • सार्वजनिक परिसंपत्तियों के अल्प मूल्यांकन और पक्षपातपूर्ण निविदा द्वारा विनिवेश किये जाने से सार्वजनिक कोष को हानि होती है। • निजी स्वामित्व, परिचालन की लागत में कटौती करने के लिए विकास संबंधी क्षेत्रीय असमानता की अनदेखी कर सकता है।	• ट्रेड यूनियन और राजनीतिक हस्तक्षेप से PSU की परियोजनाएं प्राय: अटक जाती हैं, जिससे दीर्घकालिक कार्यकुशलता में बाधा उत्पन्न होती है। • PSU कर्मचारियों में प्रच्छन्न बेरोजगारी और अप्रचलित कौशल की समस्या अकुशलता का प्रमुख कारण है। • निजी क्षेत्र के कर्मचारी लालफीताशाही की नौकरशाही मानसिकता से परे होकर कार्य करते हैं और निष्पादन चालित संस्कृति और प्रभावशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं **(विनिवेश आयोग 1996)।** • अधिक सशक्त प्रतिस्पर्धी निविदा-प्रक्रिया PSU में भागीदारी करने के लिए निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करती है। • इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करता है कि उत्पाद सेवा पोर्टफोलियो प्रौद्योगिकी के विकास/अधिग्रहण द्वारा समकालीन बनी रहे।

VISION IAS

3. श्रम सुधार

(LABOUR REFORMS)

3.1. मजदूरी संहिता विधेयक 2017

(Wage Code Bill 2017)

अगस्त 2017 में श्रम और रोजगार मंत्री द्वारा लोकसभा में **द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग** की अनुशंसाओं के अनुरूप मजदूरी संहिता विधेयक 2017 प्रस्तुत किया गया।

विधेयक के मुख्य बिन्दु

- यह मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 एवं समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को प्रतिस्थापित कर मजदूरी से संबंधित कानूनों को समेकित करने का प्रयास करता है।
- यह संहिता सरकारी प्रतिष्ठानों समेत किसी भी उद्योग, व्यापार, कारोबार, विनिर्माण या व्यवसाय पर लागू होगी।
- मजदूरी के अंतर्गत वेतन, भत्ता या मौद्रिक रूप में व्यक्त कोई भी अन्य घटक शामिल है। हालाँकि इसमें कर्मचारियों को देय बोनस, कोई यात्रा भत्ता इत्यादि शामिल नहीं होंगे।
- यह रेलवे, खान और तेल क्षेत्रों जैसे प्रतिष्ठानों के लिए मजदूरी से संबंधित निर्णय करने में केन्द्रीय और राज्य क्षेत्राधिकार में भेद करता है।
- यह विधेयक किसी नियोक्ता द्वारा किए गए अपराधों जैसे देय मजदूरी से कम भुगतान करन या इस संहिता के किसी प्रावधान की अवहेलना करने पर अर्थदंड का प्रावधान करता है।
- विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए वैधानिक राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की अवधारणा शुरू की गई है। यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी राज्य सरकार उस विशेष क्षेत्र के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित 'राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी' से कम 'न्यूनतम मजदूरी' नियत न करे।
- चेक या डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से मजदूरी का भुगतान का प्रावधान किया गया है।
- दावा करने वाले प्राधिकरण और न्यायिक फोरम के बीच अपीलीय प्राधिकरण का प्रावधान किया गया है।

मजदूरी संहिता विधेयक की आवश्यकता क्यों?

- **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन रिपोर्ट 2010,** में यह स्पष्ट किया गे है कि एकीकृत मजदूरी कानून के अभाव में देश की आर्थिक संभावना वांछित परिणाम प्रदान नहीं कर सकती।
- श्रम कल्याण और सुधार, भारतीय संविधान की समवर्ती अनुसूची में निहित है। अब तक देश के विभिन्न क्षेत्रों में वैधानिक राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी का अभाव था।
- वर्तमान में, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधान एवं मजदूरी भुगतान अधिनियम केवल अनुसूचित रोजगारों/प्रतिष्ठानों तक ही सीमित हैं।

इस विधेयक का महत्व

- यह ***इज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस*** को और अधिक बढ़ाएगा।
- प्रस्तावित कानून का प्रयोजन लिंग के आधार पर एक ही नियोक्ता द्वारा मजदूरी से संबंधित मामलों में कर्मचारियों के बीच भेदभाव को समाप्त करना है।
- यह श्रम विधान में स्पष्टता लाएगा एवं श्रमिकों के कल्याण एवं लाभों की मूल अवधारणा पर समझौता किए बिना इनकी बहुलताओं में कमी करेगा।

- यह विधेयक कार्यशील वर्ग को अपने अधिकारों और उत्तरदायित्व से अवगत कराएगा और रोजगार के वृहत अवसरों हेतु विचार करने में सहायता करेगा।
- प्रस्तावित कानून अपने प्रवर्तन में प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा और इस प्रकार कानून के प्रभावी प्रवर्तन के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सकेगी।

3.2. मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी

(Minimum Wage Under Mgnrega)

सुर्खियों में क्यों?

- **नागेश सिंह** पैनल ने मनरेगा के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली मजदूरियों के संबंध में अनुशंसाएँ दी है।

- **न्यूनतम मजदूरी**: यह जीवन निर्वाह के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे भोजन, आश्रय और वस्त्र की गारंटी प्रदान करती है।
  - इसका निर्धारण **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948** के अंतर्गत किया जाता है।
  - इन्हें राष्ट्रीय, राज्य, क्षेत्रीय और कौशल/व्यावसायिक स्तरों पर घोषित किया जाता है।
  - न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन **'जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक'** पर आधारित है।
- **जीविका वेतन (Living Wage):** यह कर्मचारी के लिए आय का ऐसा स्तर है जो अच्छा स्वास्थ्य, गरिमा, आराम, शिक्षा एवं किसी भी आकस्मिक आवश्यकता हेतु धन की उपलब्धता आदि को शामिल करते हुए जीवन के आधारिक मानक को सुनिश्चित करेगा।
- **उचित मजदूरी:** यह मजदूरी का वह स्तर है जो न केवल रोजगार के स्तर को बनाए रखता है बल्कि उद्योगों की भुगतान क्षमता को ध्यान में रखते हुए मजदूरी को बढ़ाए जाने की भी मांग करता है।

पृष्ठभूमि

- 2014 में, **प्रोफेसर महेंद्रदेव** की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति ने निर्णय दिया था कि मनरेगा कामगारों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कम से कम राज्यों में कृषि कामगारों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए।
- इस वर्ष मनरेगा बजट हेतु 48,000 करोड़ रु. आवंटित किये गए हैं। यह अभी तक का अधिकतम आवंटन है। लेकिन इस वर्ष मजदूरी में मात्र 2.7 प्रतिशत (योजना के दस वर्ष के इतिहास में न्यूनतम) का संशोधन किया गया। इससे अनेक राज्यों में केवल 1-3 रुपए प्रति दिन की वृद्धि ही हुई। यही कारण है कि मनरेगा मजदूरियाँ 17 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में भुगतान की जाने वाली **न्यूनतम मजदूरियों की तुलना में बेहद कम** हैं।

अनुशंसाएँ

- विभिन्न राज्यों द्वारा मनरेगा के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली न्यूनतम मजदूरियों में समता बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- **भुगतान में भिन्नता**: न्यूनतम मजदूरी और मनरेगा मजदूरी के बीच निम्नलिखित कारणों से असमानता पाई जाती है:
  - **न्यूनतम मजदूरियों** का निर्धारण राज्यों द्वारा किया जाता है जो किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन किए बिना **इसमें मनमाने ढंग से वृद्धि करते हैं।**
- पैनल ने निम्नलिखित कारणों से मजदूरी की गणना के लिए **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-ग्रामीण के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-कृषि श्रमिक का उपयोग करने की अनुशंसा** की है-

- **ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की व्यापक स्थिति**: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-ग्रामीण, ग्रामीण परिवारों का बेहतर प्रतिनिधि करता है और श्रमिकों को मुद्रास्फीति से संरक्षण प्रदान करता है क्योंकि यह देश की संपूर्ण ग्रामीण जनसंख्या के लिए कीमतों में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखता है।
- **मनरेगा मजदूरियाँ** केंद्रीय सरकार द्वारा **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-कृषि श्रमिक** के आधार पर निर्धारित की जाती हैं, जो 1983 के खपत पैटर्न पर आधारित है। दूसरी ओर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-ग्रामीण वर्तमान खपत पैटर्न पर आधारित है।

भारत में मजदूरी सूचकांक

- **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-कृषि श्रमिक (CPI-AL):** इसकी गणना श्रम मंत्रालय के अंतर्गत श्रम ब्यूरो द्वारा किया जाता है।
- **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-ग्रामीण श्रमिक (CPI-RL)**: इसकी गणना श्रम मंत्रालय के अंतर्गत श्रम ब्यूरो द्वारा किया जाता है।
- **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-ग्रामीण (CPI-R):** इसकी गणना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है।

4. बाह्य क्षेत्रक

(EXTERNALSECTOR)

4.1. निर्यात-आयात परिदृश्य

(Export-Import Scenario)

आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार दो वर्ष के पश्चात् भारत के निर्यात में पुन: सकारात्मक वृद्धि हुई है। हालांकि आयात में वृद्धि नकारात्मक(मामूली रूप से) रही है , जिससे व्यापार घाटा 1.2 प्रतिशत की कमी के साथ GDP के 5 प्रतिशत तक रह गया तथा चालू खाता घाटा 0.4 प्रतिशत कम होकर GDP का 0.7 प्रतिशत हो गया।

इसके अतिरिक्त, वाणिज्य मंत्रालय की 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित है कि घरेलू आपूर्ति अवरोधों को समाप्त करने के प्रयासों तथा उत्पादकता बढ़ाने वाले विभिन्न सुधारों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में 2017-18 में 7.6 प्रतिशत तथा 2019-20 में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर अपेक्षित है।

विदेश व्यापार नीति 2015-20

- **लक्ष्य: निर्यात को दोगुना कर 900 मिलियन डॉलर तक करना** एवं **2019-20 तक वैश्विक निर्यात में 3.5 % तक की भागीदारी** प्राप्त करना।
- "मेक इन इंडिया" को ध्यान में रखते हुए देश में रोजगार सृजन एवं गुणवतापूर्ण संवर्द्धन करना।
- पूर्ववर्ती योजना को दो समेकित योजनाओं के रूप में पुन: क्रियान्वित करना;
  - निर्दिष्ट बाजारों के लिए निर्दिष्ट माल के निर्यात हेतु "भारत से माल निर्यात योजना (MEIS)"।
  - अधिसूचित सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए "भारत से सेवा निर्यात योजना (SEIS)"।
- निर्यात बढ़ाने हेतु फोकस्ड इंटरवेंशन के लिए 108 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) समूहों की स्थापना।
- रक्षा और उच्च तकनीक से युक्त वस्तु के निर्यात को बढ़ाने के उपाय किए जाते रहे हैं।
- **अनुमोदित निर्यातक प्रणाली** विनिर्माता निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक तीव्र पहुँच प्राप्त करने में सहयोग करेगी।
- **प्रक्रिया का सरलीकरण:**
  - 24x7 परिवेश में पेपरलेस कार्यशैली की ओर प्रगति एवं **आयात निर्यात** प्रपत्र का सरलीकरण।
  - पूंजीगत वस्तुओं के लिए विशिष्ट निर्यात दायित्व में कमी।
  - विनिर्माता को अब अपनी विनिर्मित वस्तुओं को चरणों में स्व-प्रमाणित करने हेतु सक्षम किया जाएगा।

भारत से वस्तु निर्यात योजना (MEIS)

- छ: विभिन्न क्षेत्र विशिष्ट योजनाओं का विलय केवल एक "भारत से वस्तु निर्यात योजना (MEIS)" कर दिया गया है।
- अधिसूचित बाजारों को निर्यात की जाने वाली अधिसूचित वस्तुओं को फ्री ऑन बोर्ड(FOB) वैल्यू के आधार पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
- FOB को निम्नलिखित प्रकार से तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: श्रेणी A: पारंपरिक बाजार, श्रेणी B: उभरते और ध्यान केन्द्रित बाजार तथा श्रेणी C: अन्य बाजार।

VISION IAS

भारत से सेवा निर्यात योजना (SEIS)

- भारत से सेवा प्रदत्त योजना (SFIS) को भारत से सेवा निर्यात योजना (SEIS) से प्रतिस्थापित कर दिया गया है और यह **गंतव्य आधारित** सेवा प्रदाता पर लागू होगी।
- भारत से सेवा निर्यात योजना (SEIS) के अंतर्गत प्रोत्साहन प्रदान करने की दरें अर्जित की गयी निवल विदेशी मुद्रा पर आधारित हैं।
- ड्यूटी क्रेडिट शेयर के रूप में जारी किए गए प्रोत्साहन, मुक्त रूप से हस्तांतरणीय एवं सेवाओं/वस्तुओं की खरीद पर सभी प्रकार के वस्तु एवं सेवा कर अदायगी के लिए उपयोग करने योग्य होंगे।

अन्य सरकारी पहलें

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों **(MSMEs)** के निर्यातकों समेत नए और संभावित निर्यातकों तक पहुँचने एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से **निर्यात बंधु योजना**।
- विदेशी विनिमय की प्राप्ति (foreign exchange realisation) एवं आयात आंकड़ों के साझाकरण के लिए वाणिज्य मंत्रालय एवं वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपया निर्यात ऋण के लिए **ब्याज समकारी योजना (Interest Equalisation Scheme)।**
- निर्यात सेवा के लिए लोजिस्टिक बुनियादी ढांचा जो व्यापार अवसंरचना के तहत निर्माणाधीन है तथा जिसके अंतर्गत लैंड कस्टम स्टेशनों, SPS/TBT अनुपालन के लिए टेस्टिंग लैब आदि भी सम्मिलित है।
- फरवरी 2017 में, संयुक्त राज्य अमेरिका में बढ़ती संरक्षणवादी प्रवृत्ति को देखते हुए व्यापार सुविधा समझौता प्रभावी हुआ था।
- **विश्व व्यापार संगठन में 'नैरोबी पैकेज'** पर सरकार की दृढ़ बातचीत द्वारा खाद्य सुरक्षा का सार्वजनिक भण्डार बनाए रखने एवं विशेष सुरक्षा तंत्र पर बल देना तथा कृषि उत्पादों के लिए निर्यात सब्सिडी को समाप्त करने की प्रतिबद्धता निर्यात को बढ़ावा देने के उपाय हैं।

निर्यात आधारित संवृद्धि के लिए रणनीति (नीति आयोग)

- निर्यात करने वाली कंपनियों को उच्च उत्पादकता बनाये रखनी चाहिए।
- इस उच्च उत्पादकता से इन फर्मों के नियोक्ताओं को अत्यधिक मुनाफा प्राप्त होता है।
- निर्यात नहीं करने वाली कम्पनियाँ या तो निर्यात करने वाली कंपनियों की सहायक इकाईयाँ बन जाती हैं या घरेलू बाजार में इनके साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं।
- इस स्थिति में ये आवश्यक रूप से उन सेवाओं की उत्पादकता बढ़ाकर उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी बना देती है।

निर्यात-आयात क्षेत्र की चुनौतियाँ:

अवसंरचना: बिजली की कमी जैसी घरेलू समस्याएं निर्यात विनिर्माताओं को बाधित करती रहती हैं। दो-तिहाई से अधिक भारतीय निर्यातक छोटे उत्पादक हैं और कैप्टिव पॉवर प्लांट जैसे अन्य विकल्पों से लाभ प्राप्त करने में अक्षम हैं।

सड़क, रेल, पत्तन, हवाईअड्डे, शिक्षा, विद्युत ग्रिड, और दूरसंचार जैसी अपर्याप्त बैक-एंड अवसंरचनाएं निर्यात के समक्ष प्रमुख बाधाएँ हैं।

कच्चे माल आपूर्तिकर्ता की धारणा: भारत को कच्चे माल एवं मध्यवर्ती निविष्टियों, जिन्हें गंतव्य देशों में संसाधित किया जाता है, के निर्यात के बजाय उच्च गुणवत्ता वाली विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात को बढाने की आवश्यकता है।

VISION IAS

स्थानीय सामग्री आवश्यकताएँ: सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्रक के योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT), इलेक्ट्रॉनिक्स और सौर ऊर्जा इत्यादि विशिष्ट क्षेत्रों में स्थानीय सामग्री आवश्यकताओं का अनुसरण किया जा रहा है। ये नीतियाँ आयातकों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं।

असममित व्यावसायिक सुविधा: राजनीतिक नेतृत्व, शासन की गुणवत्ता, विनियमों, कराधान तथा श्रम संबंधों में राज्य स्तर पर मतभेद निर्यातकों को खंडित व्यापार रणनीति अपनाने के लिए विवश करते हैं। गुजरात ऐसे राज्य का उदाहरण है जहाँ सकारात्मक व्यापार माहौल महत्वपूर्ण विदेशी निवेश आकर्षित करने में सफल रहा है।

कोई प्रतिस्पर्धी विनिमय दर नहीं: मुख्य आर्थिक सलाहकार ने विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हेतु प्रतिस्पर्धी विनिमय दर की आवश्यकता को रेखांकित किया है। मुद्रा मूल्यह्रास का वर्तमान रुझान अकेले निर्यात को बढ़ावा नहीं दे सकता क्योंकि मुद्रास्फीति के माध्यम से बढ़ी आयातित इनपुट लागतें एवं उच्च मजदूरियाँ इससे प्राप्त लाभों को सरलतापूर्वक प्रतिसंतुलित कर सकती हैं।

उच्च शुल्क और संरक्षणवादी नीतियां: कठोर गुणवत्ता नियंत्रण मानदंडों, गैर-पारदर्शी, अप्रत्याशित नियामक शुल्क व्यवस्थाओं तथा अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा सेनेटरी एंड फिजियोसेनेटरी मानकों के कारण निर्यात व्यवसाय में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गयी है।

वृहत बहुपक्षीय व्यापार समझौते: भारत ट्रान्सपैसिफिक भागीदारी और ट्रान्स अटलांटिक भागीदारी जैसे वैश्विक व्यापार समझौतों का भाग नहीं है (जिनका प्रयोजन 50 प्रतिशत से अधिक विश्व व्यापार को अधिग्रहित करना है), जो कि देश के निर्यात को अत्यधिक क्षति पहुँचा सकता है।

निर्यात की महत्वपूर्ण भूमिका :

नीति आयोग की कार्य योजना में देश की अर्थव्यवस्था को बदलने में निर्यात की दीर्घकालीन भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। इस प्रपत्र के अनुसार-

- भारत के निर्यात संवर्धन को चीन, दक्षिण कोरिया, ताइवान और सिंगापुर की सफलता के आधार पर देखा जा सकता है। बड़ी कंपनियों के बड़े इकोसिस्टम ने ताइवान और चीन में छोटे पैमाने पर व्यापार के लिए सक्षम वातावरण बनाया था। भारतीय व्यापार परिवेश में इसका अभाव है।

4.2. ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस

(Ease of Doing Business)

सुर्खियों में क्यों?

नीति आयोग ने सम्पूर्ण भारत में 3500 विनिर्माण कम्पनियों का सर्वेक्षण करने के बाद हाल ही में ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट जारी की। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य कम्पनियों के दृष्टिकोण से वर्तमान व्यापार विनियमों एवं व्यापार परिवेश का आकलन करना है।

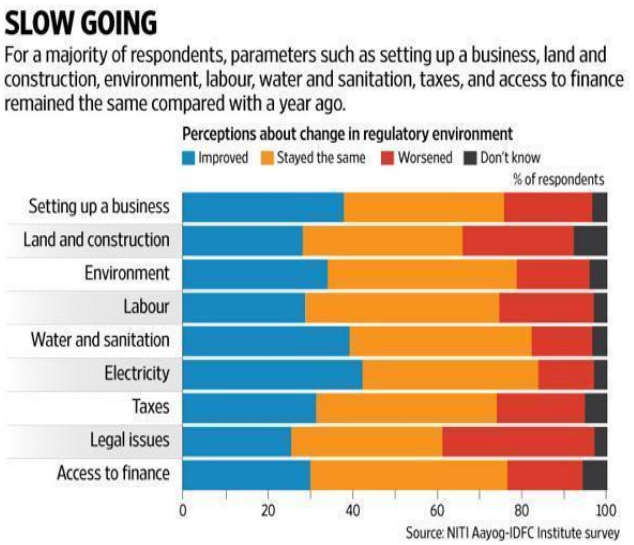

इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

आर्थिक प्रदर्शन और सुधार: किसी राज्य के आर्थिक संकेतक जितने बेहतर होते हैं, वहां कम्पनियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्यायें उतनी ही कम होती हैं। जैसे कि भूमि/निर्माण संबंधित अनुमतियों में कम बाधाएं, तथा कम विकास वाले राज्यों की तुलना में 25% कम विद्युत की कमी आदि।

समय के साथ सुधार: नई और युवा कम्पनियों में अधिक अनुकूल व्यापार परिवेश हैं।

सूचना अंतराल: राज्यों को ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस में सुधार करने के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले प्रयासों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। सर्वेक्षण आंकड़े यह दर्शाते हैं कि केवल 20% नए स्टार्ट अप, एकल खिड़की अनुमति (सिंगल विंडों क्लीयरेंस) जैसी सुविधाओं का उपयोग करते हैं।

श्रम गहन फर्मों के लिए श्रम विनियम बड़ी बाधाएं हैं: प्रति इकाई पूंजी निवेश पर आनुपातिक रूप से अधिक रोजगार उत्पन्न करने वाले श्रम गहन क्षेत्रक, श्रम संबंधित विनियमों के कारण अधिक विवशता का अनुभव करते हैं।

- 19% द्वारा यह रिपोर्ट की जाने की संभावना अधिक है कि कुशल श्रमिकों की प्राप्ति एक प्रमुख एवं अत्यधिक गंभीर बाधा है।
- 33% द्वारा यह रिपोर्ट की जाने की संभावना अधिक है कि संविदा श्रमिकों को काम पर रखना प्रमुख एवं अत्यधिक गंभीर बाधा है।

फर्म विकास में बाधाएँ: कम कर्मचारियों वाली कंपनियों का अनुभव बड़ी कंपनियों के अनुभव से भिन्न है। कुछ मामलों में, बड़ी कंपनियाँ, छोटी कम्पनियों की तुलना में अधिक विनियामक बाधाओं का सामना करती हैं।

नीति आयोग रिपोर्ट, विश्व बैंक के 'डूइंग बिज़नेस' सर्वेक्षण से किस प्रकार भिन्न है?

- **विश्व बैंक उद्यमियों** (industry leader) का साक्षात्कार करती है, जबकि यह रिपोर्ट बड़े राज्यों में कुछ विशेषज्ञों के साथ-साथ उद्यमियों का साक्षात्कार करती है।
- **विश्व बैंक** सर्वेक्षण दिल्ली और मुंबई पर ध्यान केन्द्रित करता है, जबकि यह रिपोर्ट भारत के लगभग सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सम्मिलित करती है।
- एक ओर जहाँ विश्व बैंक सर्वेक्षण 190 देशों में मानकीकृत सर्वेक्षण है, वहीं यह सर्वेक्षण केवल भारत के लिए गैर- मानकीकृत सर्वेक्षण है।
- वर्तमान नीति आयोग सर्वेक्षण का प्रयोजन गुणात्मक है। यह राज्यों को ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस की दृष्टि से श्रेणी प्रदान नहीं करता। इसका प्रयोजन राज्यों के व्यापार परिवेश के विषय में जानकारी प्रदान करना है।
- जबकि विश्व बैंक सर्वेक्षण राज्यों एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रबंधित किए जाने वाले 10 मापदण्डों को कवर करता है, यह सर्वेक्षण प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों द्वारा प्रबंधित किए जाने वाले मुद्दों के संबंध में चर्चा करता है।

विनिर्माण क्षेत्रक द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के समाधान क्या हैं?

- भौतिक अवसंरचना में सुधार करना आवश्यक है। इसमें परिवहन प्रणालियों से लेकर विद्युत क्षेत्र शामिल हैं।
- यह रिपोर्ट छोटे उद्यमों के लिए वित्त की उपलब्धता में सुधार करने एवं कम्पनी द्वारा व्यापार में प्रवेश एवं निर्गमन को सरल बनाने की आवश्यकता का उल्लेख करती है।
- श्रम विनियमों के लचीलेपन में वृद्धि करना।
- सरकार लॉबिंग को वैध बनाने के संबंध में कानून बना सकती है एवं इसे पारदर्शी रूप में विनियमित कर भ्रष्टाचार को कम कर सकती है। छोटे उद्यमों को नीतिगत इनपुट प्राप्त करने के साधन के रूप में समर्थन और लॉबिंग करने के दोहरे प्रयोजनों के लिए वह क्षेत्र प्रदान कर सकती है।
- यह रिपोर्ट नए उद्यमों के प्रवेश को प्रोत्साहित करने एवं बीमार उद्यमों को समयोजित एवं कम लागतपूर्ण बहिर्गमन प्रदान करने की स्थिति उत्पन्न करती है।
- रिपोर्ट ने अनुमान लगाया है कि बड़े उद्यम ऐसा माहौल तैयार करते हैं जहाँ छोटी कम्पनियों को या तो प्रतिस्पर्धा करने हेतु या बड़ी कम्पनियों द्वारा सृजित डाउनस्ट्रीम अवसरों का लाभ उठाने के लिए, मजबूरन उत्पादकता में अनिवार्य रूप से सुधार करने की आवश्यकता होती है।

VISION IAS

5. कृषि एवं इससे सम्बद्ध क्षेत्र

(AGRICULTURE AND ALLIED SECTOR)

5.1. कृषि में महिलाएँ

(Women In Agriculture)

समस्या क्या है?

- महिलाएँ कुल कृषि श्रमिकों के 65% भाग एवं ग्रामीण कार्यबल के लगभग 74% का गठन करती हैं। फिर भी, खेतों में उनके द्वारा की जाने वाली कड़ी मेहनत के बावजूद महिला किसानों को आधिकारिक तौर पर किसानों के रूप में नहीं गिना जाता है क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में जमीन के लिए उनका कोई दावा नहीं होता है।
- 60 प्रतिशत ग्रामीण पुरुषों की तुलना में, भारत में लगभग तीन-चौथाई ग्रामीण महिलाएं आजीविका के लिए भूमि पर निर्भर रहती हैं क्योंकि कम कृषि आय पुरूषों को नौकरियों हेतु शहरों की ओर जाने के लिए विवश करती है।
- NSSO की रिपोर्ट के अनुसार, महिलाएँ लगभग 18% कृषि आधारित परिवारों का नेतृत्व करती हैं और कृषि का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें वे सम्मिलित न हों।
- लगभग 87 प्रतिशत महिलाएँ भू-स्वामित्व धारण नहीं करती हैं। इसके मुख्य रूप से दो कारण हैं-
    - भूमि, राज्य का विषय है जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होने वाले समान कानून से संचालित नहीं होता है। फलस्वरूप जब भूमि के वंशानुगत अधिकार की बात आती है तो इसमें महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव करने की प्रवृत्ति होती है।
    - गहराई तक जड़ें जमा चुके पूर्वाग्रहों के सांस्कृतिक पहलू की उपेक्षा नहीं की जा सकती। ये पितृसत्तात्मक समाज में भूमि पर महिलाओं के स्वामित्व को बाधित करते हैं।
- इसके अतिरिक्त, भारतीय किसान (पुरुष और महिलाएँ दोनों) भूमि को पट्टे पर देने में भी कठिनाई का सामना करते हैं। काश्तकारी (tenancy) को प्रतिबंधित करने के बावजूद भारत की लगभग 35 प्रतिशत कृषि भूमि पर मजबूर काश्तकारों द्वारा कृषि की जाती है जो कि भूमिहीन, निर्धन और हाशिये पर होते हैं।

कृषि का महिला प्रधान होना कृषि के क्षेत्र में लैंगिक भूमिकाओं में बदलाव को दर्शाता है। जहाँ पहले कृषि या कृषक की छवि पुरुषों के साथ जुड़ी हुई थी वहीं आज के भारत में कृषि क्षेत्र में महिला श्रमिकों की संख्या में वृद्धि के कारण यह छवि महिला प्रधान हो गई है।

कृषि के महिला प्रधान होने के कारण

- **पुरुष पलायन-** अपने परिवार की जीविका के लिए पुरुषों को आय के बेहतर अवसर खोजने की आवश्यकता में तेजी से वृद्धि हुई है। शहरी केन्द्रों को उनके लिए लाभप्रद रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाले केन्द्रों के रूप में देखा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों से पुरुष कृषि के कार्य महिलाओं के लिए छोड़कर नियमित आय के साधनों की खोज में शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं।
- **कौशल का निम्न स्तर-** परन्तु महिलाएँ कृषि के कार्य संचालित करने के दौरान विभिन्न बाधाओं और समस्याओं जैसे कि कृषि कौशल के निम्न स्तर, उत्पादकता में सुधार करने के लिए ज्ञान के अभाव इत्यादि का सामना करती हैं। इससे वे निर्धनता के दुष्चक्र में फँस जाती हैं।
- **संपत्ति अधिकारों की कमी-** भारत में सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था को देखते हुए, महिलाओं को आम तौर पर अपने पुरुष प्रतिभागियों की तरह समान अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। संपत्ति संबंधी नियम और अधिकार सामान्यतः धार्मिक कानूनों के द्वारा संचालित होते हैं जो स्वाभाविक रूप से असमान हैं।

VISION IAS

- **महिलाओं में सौदेबाजी शक्ति की कमी -** संपत्ति अधिकारों में कमियों के कारण, आम तौर पर महिलाओं के नाम पर भूमि अधिकार नहीं दिए जाते हैं। इसके कारण महिलाओं में परिवार में सम्पत्ति धारण करने वाले पुरुष सदस्यों के विरुद्ध सौदेबाजी की शक्ति का अभाव होता है। इसके साथ ही, निम्न स्तरीय कौशल के कारण, वे पुरुषों की तुलना में ज्यादा घंटे काम करती हैं और उनके समकक्षों की तुलना में उन्हें कम भुगतान भी प्राप्त होता है।
- इसके अतिरिक्त, अपने अधिकारों, अवसरों व सुविधाओं के संबंध में **उनका अज्ञान** कृषि में उनकी भागीदारी को और अधिक कठिन बना देता है।

भेदभावपूर्ण उत्तराधिकार कानून

- संपत्ति अधिकार राष्ट्रीय और राज्य कानूनों, रीति-रिवाज़ों, परंपराओं और इतिहास की जटिल संरचना पर आधारित हो सकते हैं जो विभिन्न देशों एवं शहरों के आधार पर परिवर्तित होते रहते हैं।
- यहाँ तक कि कानूनों द्वारा समान संरक्षण प्रदान किये जाने के बाद भी कुछ क्षेत्रों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कभी-कभी परंपराएं और प्रथाएं आड़े आ जाती हैं।
- उदाहरण के लिए, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अंतर्गत, बिना अपनी वसीयत लिखे मरने वाले व्यक्ति की पुत्री को पुत्र की हिस्सेदारी का केवल एक चौथाई या 5000/- रु., में से जो भी कम हो, प्राप्त करने का अधिकार होगा। इस राशि को स्त्रीधन भी कहा जाता है और यह पात्रता महिलाओं को मृतक की सम्पत्तियों में उचित भाग प्राप्त करने के अधिकार से पृथक कर देती है।

भूमि स्वामित्व अधिकार प्रदान करने का महत्व

- महिला किसानों को अपनी कृषि योग्य भूमि में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन, सुरक्षा और अवसर जैसे तीन महत्वपूर्ण प्रेरक बल प्रदान किए जाने चाहिए। महिला किसानों के लिए आवाज़ उठाने हेतु महिला किसान अधिकार मंच (MAKAAM) जैसे संगठनों को पहले से ही स्थापित किया जा चुका है।

MAKAAM या **महिला किसान अधिकार मंच** (महिला किसानों के अधिकारों के लिए फोरम) भारत में महिला किसानों को उचित मान्यता प्रदान करने और अधिकार सुनिश्चित करने के लिए भारत के 24 राज्यों से लिए गए 120 से अधिक व्यक्तियों एवं खेती करने वाली महिलाओं के संगठनों, महिला किसानों की सामूहिक संस्थाओं, नागरिक समाज संगठनों, शोधकर्ताओं और कार्यकर्ताओं का राष्ट्रव्यापी अनौपचारिक फोरम है।

- कई अध्ययनों से पता चला है कि महिलाओं में अपने परिवार की आवश्यकताओं के लिए अपनी आय का उपयोग करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। इस प्रकार भू-स्वामित्व धारण करने वाली महिलाओं के बच्चे बेहतर शिक्षा और पोषण प्राप्त करते हैं। इसलिए यह किसान, उसके परिवार और सम्पूर्ण समाज के हित में है।
- ग्रामीण महिलाओं में विद्यमान असुरक्षा और सुभेद्यता की भावनाओं का समाप्त होना उनके विरुद्ध होने वाले शारीरिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार को रोक सकता है। महिलाओं की सौदेबाजी की शक्ति में वृद्धि होने के कारण सम्पत्ति का अधिकार प्राप्त महिलाओं के प्रति शारीरिक दुर्व्यवहार की संभावना 49 प्रतिशत से कम होकर 7 प्रतिशत रह जाती है। यह समाज के समग्र लक्ष्य महिला सशक्तिकरण के अनुकूल है।
- इस प्रकार की रूपरेखा संधारणीय विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 2 और 5 के अनुरूप है। संधारणीय विकास लक्ष्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकारों के महत्व को मान्यता प्रदान करते हैं। ये लक्ष्य नियत किए गए हैं, ताकि
  - सभी पुरुषों और महिलाओं को 2030 तक भूमि पर स्वामित्व और नियंत्रण पर समान अधिकार प्राप्त हो; और
  - छोटे स्तर के खाद्य उत्पादकों, विशेष रूप से महिलाओं की कृषि उत्पादकता और आय को दोगुना किया जा सके।

VISION IAS

उठाए गए कदम

- सभी चल रही योजनाओं/कार्यक्रमों और विकास गतिविधियों में कम से कम 30% बजट आवंटन को महिला लाभार्थियों के लिए निर्धारित करना।
- क्षमता निर्माण गतिविधियों के माध्यम से सूक्ष्म वित्त से जोड़ने एवं जानकारी प्रदान करने तथा विभिन्न निर्णयन निकायों (decision-making bodies) में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए महिला स्वयं-सहायता समूहों (SHG) पर ध्यान केंद्रित करना।
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रत्येक वर्ष **15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस के रूप में मनाने** का निर्णय किया है।

आगे की राह

- कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की प्रधानता को देखते हुए, महिलाओं को उनका उचित सम्पत्ति अधिकार देना अनिवार्य हो जाता है, जिसका विभिन्न सामाजिक कारकों के सुधार की प्रक्रिया पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।
- महिला किसानों को प्रतिनिधित्व देना इन परिणामों को कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगा और कृषि की पूरी प्रक्रिया को और अधिक प्रोत्साहित करेगा। यह सब "भारतीय किसान" के लिए नई छवि निर्मित करने से आरम्भ हो सकता है।

5.2. कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन

(Sub-Mission On Agricultural Mechanization)

कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन **(SMAM), वर्ष 2014-15 में कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन के तहत लांच किया गया था।**

- यह छोटे और सीमांत किसानों के बीच एवं ऐसे क्षेत्रों में **कृषि यंत्रीकरण** को बढ़ावा देने के लिए लांच किया गया था जहाँ कि मशीनीकरण का स्तर एवं विद्युत उपलब्धता बहुत कम होती है।
- वर्तमान वर्ष 2017-18 के दौरान, कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन **(SMAM)** हेतु आवंटन पिछले वर्ष (577 करोड़ रु.) की तुलना में दोगुना से अधिक बढ़ा दिया गया है।

मशीनीकरण पर उप-मिशन (SMAM) **के अवयव**

- **प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रदर्शन के माध्यम से कृषि मशीनीकरण का समर्थन एवं सुदृढ़ीकरण**: इसका लक्ष्य कृषि मशीनरी और उपकरण के गुणवत्ता परीक्षण, किसानों और अंतिम उपयोगकर्ताओं के क्षमता निर्माण एवं प्रदर्शनों के माध्यम से कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देना सुनिश्चित करना है।
- **कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी और प्रबंधन** (PHTM) **का प्रदर्शन, प्रशिक्षण और वितरण:** इसका लक्ष्य प्राथमिक प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, कम लागत पर वैज्ञानिक भंडारण/परिवहन और फसल उत्पाद प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाना है।
- **कृषि मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए वित्तीय सहायता:** सहायता के मानदंडो के अनुसार, यह विभिन्न कृषि मशीनरी एवं उपकरणों के स्वामित्व को बढ़ावा देती है।
- **आवश्यकतानुसार किराए पर लेने के लिए कृषि मशीनरी बैंकों की स्थापना करना:** उपयुक्त स्थानों और फसलों के लिए आवश्यकतानुसार किराए पर लेने के लिए कृषि मशीनरी बैंकों की स्थापना करने हेतु उपयुक्त वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

फार्म मशीनीकरण के लाभ

- **भूमि की प्रति इकाई के लिए उत्पादन और उपज बढ़ाता है** – कृषि मशीनीकरण खेत पर किए जाने वाले कार्य की गति एवं गुणवत्ता दोनों में सुधार कर सकता है जिससे प्रति इकाई भूमि में उत्पादन और उपज सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।

- **कृषि तकनीकों में अन्य सुधार लाता है –** मशीनरी का उपयोग सिंचाई, भू-पुनरुपयोग में सुधार करता है एवं मृदा अपरदन को रोकता है।
- यह निर्वाह कृषि से व्यावसायिक कृषि की ओर परिवर्तन में परिणामित होता है।
- इसके अन्य लाभ भी हैं जैसे:- भूमि का बेहतर उपयोग, कृषि आय में वृद्धि, श्रम की कमी की समस्या हल करता है एवं किसानों को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करता है।
- मशीनीकरण पर उप-मिशन **(SMAM)** के अतिरिक्त, मंत्रालय की विभिन्न अन्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों जैसे कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (**RKVY**), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (**NFSM**), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (**NHM**), तिहलनों एवं पाम तेल पर राष्ट्रीय मिशन (**NMOOP**) इत्यादि के माध्यम से भी कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया गया है।

कृषि मशीनीकरण की हानियाँ

- **छोटे खेत के लिए उपयोगी नहीं–** कृषि मशीनरी के उचित और कुशल उपयोग के लिए बड़े खेत जोत आवश्यक होते हैं।
- **कामगारों की अतिरिक्त संख्या** – अतिरिक्त बेरोजगार कार्यबल उत्पन्न हो सकता है क्योंकि मशीनें अधिक कुशलता से काम करती हैं।
- इसे पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में ठूँठ जलाए जाने की समस्या के साथ भी संबद्ध किया गया है।

आगे की राह

- भारत में कृषि मशीनीकरण को ऐसे क्षेत्रों की आवश्यकताओं को भी पूरा करना होगा जहाँ शारीरिक श्रम अधिक उपयोगी नहीं होता है जैसे कि **खरपतपारों से ग्रसित भूमि का उद्धार या ट्रैक्टर की सहायता से भूमि का समतलीकरण।**
- किसान मशीनरी का उपयोग उचित रूप से करने के लिए शिक्षित या कुशल नहीं होते हैं। किसानों को कृषि मशीनीकरण के लाभ के विषय में शिक्षित करने के लिए **जागरूकता अभियान अनिवार्य रूप से आयोजित किए जाने चाहिए।**

5.3. भारत में दाल उत्पादन

(Pulse Production In India)

सामान्यतः भारत में दाल उत्पादन घरेलू मांग की तुलना में 3-4 मिलियन मीट्रिक टन कम है। लेकिन, 2016-17 में, देश में अभी तक का दालों का सबसे अधिक घरेलू उत्पादन देखा गया। यह आश्चर्यजनक रूप से 22.95 मिलियन मीट्रिक टन था। हालाँकि इसके बावजूद आयात भी रिकार्ड स्तर तक बढ़ा जिसके कारण घरेलू दाल की कीमतों में अत्यधिक गिरावट देखने को मिली।

दाल उत्पादन में बाधाएँ

- **सिन्धु-गंगा मैदानों में दालों के क्षेत्र में कमी:** सिन्धु-गंगा मैदान दालों के प्रमुख क्षेत्र हुआ करते थे। परन्तु वहाँ धान और गेंहूँ के लिए अधिक प्रोत्साहन प्राप्त होने एवं अनाज तथा नकदी फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने वाले व्यापक सिंचाई नेटवर्क के निर्माण के कारण दालों के क्षेत्र में कमी देखी जा रही है।
- **कम आनुवंशिक उपज क्षमता:** संकीर्ण आनुवंशिक आधार, अक्षम पादप प्रकारों एवं आनुवंशिक अपक्षरण के कारण दालों में फसल सूचकांक अपेक्षाकृत कम है।
- **न्यून उपज प्राप्ति :** किसानों द्वारा अपेक्षाकृत कम पसंद किए जाने एवं अनाज की तुलना में कम पारिश्रमिक मिलने के कारण दालों को लगातार कठोर पर्यावरणों एवं संसाधन सीमित स्थितियों में उगाया जाता रहा है।
- **उत्पादन में अस्थिरता:** दालों के उत्पादन और उत्पादकता में वर्षों में भिन्नता ने उत्पादन प्रणाली की बड़ी अस्थिरता को इंगित किया है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

- पर्यावरणीय उतार-चढ़ाव के लिए अत्यधिक संवेदनशील।
- वर्षा सिंचित फसल होने के कारण, वृद्धि के महत्वपूर्ण चरणों के दौरान सूखे का अनुभव किया जाता है।
- अजैविक तनावों (चरम तापमान की स्थितियों, अत्यधिक नमी एवं लवणता) के प्रति अत्यधिक संवेदनशील।
- कई रोगों के प्रति सुभेद्य।
- रोगजनकों की नई किस्मों का उदय।
- कीटों-पीड़कों के आक्रमण के प्रति प्रवण।

- **जलवायु परिवर्तन जोखिम:** दालों में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव उत्तरी सिंधु-गंगा मैदानों में अधिक स्पष्ट होते हैं और प्रायद्वीपीय भारत (देश के दक्षिणी भाग) की तुलना में यह प्रवृत्ति अधिक सुभेद्य प्रतीत होती है।
- **निम्नस्तरीय बीज प्रतिस्थापन:** दालों में निम्न स्तरीय बीज प्रतिस्थापन कम उपज से संबंधित प्रमुख मुद्दों में से एक है।
- **कटाई उपरांत होने वाली क्षतियाँ:** दालों में लगभग 20 से 30% कटाई उपरांत होने वाली क्षतियाँ अनुमानित की जाती रही हैं। इस मुद्दे का समाधान कटाई उपरांत उपयोग की जाने वाली मशीनरी में सुधार करके किया जा सकता है।
- **कीमतों में व्यापक उतार चढ़ाव :** इसके कारण असंगठित बाजार एवं सुनिश्चित खरीद पर कोई नीति न होना, किसानों द्वारा उपज का निम्नस्तरीय भण्डारण इत्यादि हैं।
- **प्रौद्योगिकी का अपर्याप्त हस्तांतरण:** दाल उत्पादक सामान्यतः निर्धन या सीमांत कृषक समुदाय से संबंधित होते हैं और अधिकतर उन्हें कृषि संस्थानों/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में विकसित प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता नहीं होती है। नवीनतम दाल उत्पादन प्रौद्योगिकियों के प्रति जागरूकता की कमी दालों की कम उत्पादकता हेतु उत्तरदायी एक महत्वपूर्ण अंतराल है।

मूल्य में अंतर का भुगतान:

यह किसानों या उत्पादकों को किसी जिंस का सरकार द्वारा गारंटीकृत मूल्य एवं बाजार मूल्य के बीच अंतर का पूर्ण या आंशिक भुगतान के रूप में की जाने वाली क्षतिपूर्ति है। न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली में विरूपण को समाप्त करने के लिए नीति आयोग ने 'मूल्य में अंतर का भुगतान' प्रणाली का सुझाव दिया है।

कार्यप्रणाली: इसके अंतर्गत, मूल्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य संबद्ध सीमा से अधिक गिरावट होने पर किसानों को लक्षित उत्पादन पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के रूप में सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके लिए, किसानों से प्रासंगिक विवरण के साथ निकटतम मंडी में पंजीकृत होने के लिए भी कहा जा सकता है।

लाभ: इस दृष्टिकोण के लिए खरीद की आवश्यकता नहीं होगी और इस प्रकार अवांछित भण्डारण रोका जा सकेगा।

यह उत्पादकों के मूल्य प्रोत्साहन को सभी क्षेत्रों में एवं मूल्य समर्थन प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाने वाली सभी फसलों के लिए विस्तारित करेगा।

पल्स विज़न 2050: 2050 तक दालों की मांग को 50 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ाना।

भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान ने निम्नलिखित प्रकार से दालों में उपज अंतराल को पाटने की कल्पना की है:

- फसल विविधीकरण, दाल उत्पादन के लिए विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करने के माध्यम से **दाल उत्पादन के अंतर्गत अतिरिक्त क्षेत्र को लाना।**
- सूखा प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक का विकास, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में कुशल जल प्रबंधन इत्यादि के माध्यम से **उपज स्थिरता में सुधार करना।**
- हार्वेस्टर्स, थ्रेसर और ग्रेडर को लोकप्रिय बनाने, मौजूदा मिलों के आधुनिकीकरण, कम लागत सुरक्षित भंडारण संरचनाओं के विकास एवं उन्हें लोकप्रिय बनाने इत्यादि के माध्यम से **फसल कटाई के उपरान्त होने वाली क्षतियों में कमी करना।**
- सुनिश्चित खरीद एवं उत्पादन क्षेत्रों में खरीद केंद्रों का निर्माण एवं पर्याप्त समय पूर्व ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा।
- दालों के लिए संगठित बाजार का विकास।
- मूल्य वर्धित उत्पादों का उत्पादन।

VISION IAS

आगे की राह

- आयातित दालों का देश में प्रवर्तित मूल्य घरेलू दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम नहीं होना चाहिए, अन्यथा न्यूनतम समर्थन मूल्य अप्रासंगिक हो जायेगा।
- हमारे किसानों को समान स्तरीय प्रतिस्पर्धा क्षेत्र प्रदान करने के लिए सभी दालों के निर्यात को मात्रा या न्यूनतम निर्यात मूल्य के प्रतिबंधों के बिना अनिवार्य रूप से मुक्त किया जाना चाहिए।
- दालों को कृषि उपज बाजार समिति (APMC) अधिनियम की सूची से निकाला जाना चाहिए ताकि किसान अपनी पसंद के क्रेताओं को मुक्त रूप से बिक्री कर सकें। इससे कृषि में संलग्न व्यक्तियों को बेहतर मूल्य की प्राप्ति संभव होगी एवं दालों की मूल्य श्रृंखला में कमी आयेगी।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम (ECA) के अंतर्गत विशेष रूप से भण्डारण सीमाएं आरोपित करने वाले प्रावधानों की प्रासंगिकता का आलोचनात्मक रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए और इस अधिनियम को इस प्रकार संशोधित किया जाना चाहिए कि निजी प्रतिभागियों पर कोई तदर्थ भण्डारण सीमाएँ आरोपित न हों।
- किसानों को सही प्रोत्साहन, कम से कम उत्पादन की लागत की तुलना में कुछ उचित लाभ प्रदान करना महत्वपूर्ण है। नीति आयोग द्वारा समर्थित, **मूल्य मे अंतर का भुगतान**, को किसानों के लिए मूल्य जोखिम कम करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- सभी प्रकार की फसलों के लिए वायदा व्यापार की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि किसानों द्वारा रोपण एवं बिक्री संबंधी निर्णय पिछले मूल्यों के आधार पर नहीं अपितु भविष्य में संभावित रूप से प्राप्त होने वाले मूल्यों को दृष्टिगत रखते हुए लिए जाएँ।

5.4. कृषि क्षेत्र में युवा

(Youth In Agriculture)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना,** भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा **विश्व बैंक** की साझेदारी में तैयार की गई है। इसका उद्देश्य कृषि में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना एवं उसे बनाए रखने पर ध्यान केन्द्रित करना है।

आवश्यकता

- देश में कृषि शिक्षा की वर्तमान अवसंरचना वैश्विक मानकों के समतुल्य होने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं है।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद **(ICAR)** एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालयों **(SAUs)** के बीच जुड़ाव का अभाव है।
- गैर-प्रतिबद्ध शिक्षक और अपर्याप्त-संसाधन युक्त संस्थान।
- धन की कमी।
- राज्य का विषय होने के कारण अधिकतर राज्यों में कृषि को उपेक्षित करने की प्रवृत्ति होती है।
- कम प्रतिफल और कैरियर के सीमित अवसरों के कारण कृषि शिक्षा के प्रति नकारात्मक प्रवृत्ति।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद **(ICAR) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (DARE), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय**, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है।
- इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत की गई थी।
- यह परिषद पूरे देश में **बागवानी, मत्स्यिकी और पशु विज्ञान समेत कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा का समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन करने के लिए शीर्ष निकाय है।**

परियोजना के संबंध में

- इस परियोजना को चार वर्ष की अवधि के लिए विश्व बैंक के साथ 50:50 लागत साझेदारी के आधार पर लांच किया गया है।
- सभी वैधानिक कृषि विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों और केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कृषि संकाय इस परियोजना में भाग लेने के लिए पात्र हैं।
- यह शिक्षक और छात्र विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना, आधुनिकतम प्रयोगशालाओं, उद्योग लिंकेज, पूर्व छात्र नेटवर्क, कैरियर विकास इत्यादि के माध्यम से शिक्षण और अधिगम (learning) के मानकों को उन्नत करने पर ध्यान केन्द्रित करेगी।.
- इस परियोजना के तीन प्रमुख अवयव हैं:
  - कृषि विश्वविद्यालयों को सहायता
  - कृषि उच्च शिक्षा में नेतृत्व के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) में निवेश
  - परियोजना प्रबंधन और अधिगम

अन्य सरकारी पहलें

- **आर्य (ARYA):** भारत सरकार द्वारा 2015 में "आर्य: कृषि के क्षेत्र में युवाओं को आकर्षित करना और बनाए रखना" (Attracting and Retaining Youth in Agriculture) लांच किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न कृषि, संबद्ध और सेवा क्षेत्र के उद्यमों में संधारणीय आय और लाभकारी रोजगार के लिए युवाओं में उद्यमशीलता का विकास करना है।
- **पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना**: इसे 2016 में लांच किया गया था। इसके अंतर्गत कृषि शिक्षा के लिए 100 नए केन्द्र खोले गए थे।
- भारत सरकार ने कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालयों की भी स्थापना की है। यथा: **असम में भारतीय कृषि संस्थान (IARI)**।
- **एग्री-उड़ान:** एग्री-उड़ान का उद्देश्य कृषि के क्षेत्र में स्टार्ट-अप क्रांति लाना है। यह अब तक अधिकतर सेवा क्षेत्रक तक संकेन्द्रित रही है।

5.5.आवश्यक वस्तु अधिनियम

(Essential Commodities Act)

सुर्खियों में क्यों?

नीति आयोग ने कृषि जिंसों को आवश्यक वस्तु अधिनियम से पूर्णतः बाहर निकालने की अनुशंसा की है।

निहित मुद्दें

- वर्तमान में, लगभग सभी कृषि वस्तुओं से लाइसेंसिंग आवश्यकताओं, भण्डारण सीमा और लाने-ले जाने पर रोक जैसे सभी प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। गेहूं, दालें और खाद्य तेल, खाद्य तिलहन और चावल आदि अपवाद हैं।
- इन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए राज्यों को कुछ अस्थायी प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी गई है।

इस अधिनियम में समस्याएँ

- भण्डारण सीमाएं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और फ़ूड रिटेल चेन, जो अपने संचालन के लिए बड़े भण्डार बनाए रखने की आवश्यकता का अनुभव करती हैं, में भेद नहीं करती हैं। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत ये उत्पीड़न की भागी बन सकती हैं।
- वास्तविक जमाखोरों की पहचान करना आसान कार्य नहीं है। इस अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्धि की दर भी बेहद कम है। इसलिए जमाखोर बच निकलते हैं एवं खाद्य अर्थव्यवस्था के वास्तविक प्रतिभागियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
- यह अधिनियम वर्तमान समय के अनुरूप नहीं है। सशक्त परिवहन अवसंरचना के कारण यदि एक भाग में पर्याप्त आपूर्ति है तो भी देश के दूसरे भाग में कमी का सामना करना पड़ सकता है।

भण्डारण प्रतिबन्ध हटाने के बाद के संभावित प्रभाव

- कृषि वस्तुओं पर से भण्डारण प्रतिबंध हटाने से सुसंगठित व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, बड़े पैमाने पर होने वाले व्यापार से प्राप्त होने वाले लाभ में सुधार होगा एवं बड़े व्यापारियों द्वारा एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने से व्यापार में और अधिक पूँजी का अंतर्वाह होगा। यह हैंडलिंग लागतों को कम करेगा, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेगा, कीमतों को कम करेगा तथा किसानों के लाभ में वृद्धि करेगा।
- **अवंसरचना में बढ़ा निवेश:** इस अधिनियम के अंतर्गत नियमों और भण्डारण सीमा में बारंबार परिवर्तन व्यापारियों को बेहतर भण्डारण अवसंरचना में निवेश करने से निरुत्साहित करते हैं। साथ ही, भण्डारण सीमाएं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के कामकाज को कम कर देती हैं, जिन्हें अपने कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अंतर्निहित वस्तुओं के बड़े भंडार बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इन प्रतिबंधों की समाप्ति और अधिक निवेश को आकर्षित करेगी।

आगे की राह

- केन्द्र और राज्यों द्वारा जमाखोरों को नियंत्रित करने के लिए कालाबाजारी की रोकथाम और अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति का रखरखाव (PBMSEC) अधिनियम, 1980 को लागू किया जा सकता है। लेकिन PBMSEC अधिनियम द्वारा लागू की जाने वाली वस्तुओं की सूची आवश्यक वस्तु अधिनियम से ली जाती है। अतः इस विसंगति का समाधान किए जाने की आवश्यकता है।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम वर्तमान वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं है। युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं एवं कानून और व्यवस्था भंग होने के कारण आपूर्ति बाधित होने जैसी संकटकालीन स्थितियों से निपटने के लिए इसका कायाकल्प करने की या इसे समाप्त करने की आवश्यकता है।

5.6. डेरी क्षेत्रक

(Dairy Sector)

आर्थिक मामलों पर गठित मंत्रिमंडलीय समिति ने 10,881 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ 2017-18 से 2028-29 की अवधि के लिए "डेरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास निधि" (DIDF) अनुमोदित की है ।

निधि की आवश्यकता :

- निधि का प्रयोग कुशल दुग्ध अधिप्राप्ति प्रणाली एवं अन्य संसाधन संरचना का निर्माण करने हेतु ऋण प्रदान करने के लिए किया जाएगा।
- **किसानों को लाभ:** इस निवेश से लगभग 50,000 गाँवों में 95 लाख किसान लाभान्वित होंगे।
- **दुग्ध प्रसंस्करण में क्षमता निर्माण:** अतिरिक्त दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता, दुग्ध शुष्कन क्षमता, दुग्ध द्रुतशीतन क्षमता, इलेक्ट्रॉनिक दुग्ध मिलावट परीक्षण उपकरण एवं मूल्यवर्धित उत्पाद विनिर्माण क्षमता का निर्माण किया जाएगा।
- रोजगार सृजन: "डेरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास निधि" (DIDF) का कार्यान्वयन कुशल, अर्द्ध कुशल और अकुशल जनशक्ति के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगा। योजना के अंतर्गत लगभग 40,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर निर्मित किए जाएंगे। चौथे, पांचवें एवं छठें टियर शहरों/कस्बों इत्यादि में दुग्ध और दुग्ध उत्पाद विपणन संचालनों के कारण लगभग 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों का निर्माण होगा।

भारत में डेयरी क्षेत्र

भारतीय डेयरी क्षेत्र 15 करोड़ किसानों को आजीविका प्रदान करता है। वार्षिक रूप से 156 मिलियन मीट्रिक टन आइटम के उत्पादन के साथ भारत विश्व का सर्वाधिक विशाल दुग्ध उत्पादक है। लेकिन, भारत से इन आइटम का निर्यात नगण्य (लगभग 0.5 मिलियन मीट्रिक टन या उत्पादन का 0.3 प्रतिशत) है। जबकि न्यूज़ीलैंड वैश्विक डेरी व्यापार के 25% एवं ऑस्ट्रेलिया लगभग 5% का नियंत्रण करता है।

डेयरी क्षेत्रक का महत्व: यह समाज के सीमांत वर्गों से संबंधित कई मिलियन किसानों को आजीविका प्रदान करता है।

क्षमता: क्रिसिल (Crisil) रिपोर्ट के अनुसार भारतीय दुग्ध अर्थव्यवस्था 5 लाख करोड़ रु. मूल्य की है, यह 15-16 प्रतिशत CAGR वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रही है, जिसमें से संगठित दुग्ध अर्थव्यवस्था का मूल्यमान 80,00 करोड़ रु. है।

वृद्धि कारक:

- वैश्विक डेयरी उपभोग स्थिर है और यहाँ तक कि इसमें गिरावट आ रही है, वहीं भारतीय उपभोग बढ़ रहा है। भारत का प्रति व्यक्ति 97 लीटर प्रति व्यक्ति दुग्ध उपभोग पश्चिमी देशों की तुलना में अत्यधिक कम है।
- भारतीय उपभोक्ता – विशेष रूप से समृद्ध शहरी उपभोक्ता – अधिक मूल्यवर्धित उत्पादों का उपभोग कर रहा है। चूँकि भारतीय सहकारी संस्थाएं केवल आधारिक दुग्ध व्यवसाय में ही अटकी रह गई हैं, इसलिए बाजार में ऐसा अन्तराल रह गया है जिसने कुछ नए प्रतिभागियों को नए उत्पादों के प्रस्तुतीकरण के साथ आने की अनुमति प्रदान की।
- उच्च प्रयोज्य आय वाले कार्यशील दम्पत्तियों की परिघटना ने भी पूर्ण भोजन (दुग्ध) की तत्काल आवश्यकता के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया।
- अंतत:, सीमा से अधिक क्षमता के कारण दूध के वैश्विक मूल्यों में गिरावट आ रही है, जबकि भारतीय बाजार आधारिक दुग्ध के साथ साथ मूल्य वर्धित उत्पादों, दोंनों के लिए अभी भी विकासमान है।

चुनौतियाँ:

अंतरराष्ट्रीय स्तर

- **मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) का प्रभाव:** क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) समेत मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के अंतर्गत दूध और दुग्ध उत्पादों पर आयात शुल्कों की समाप्ति आयातों को अधिक सस्ता बनाएगी।
- **निर्यात के लिए अधिशेष की न्यूनता:** भारत वार्षिक रूप से 156 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन के साथ विश्व का सर्वाधिक विशाल दुग्ध उत्पादक देश है। लेकिन, दूध और दुग्ध उत्पादों की अत्यधिक मांग है, इसलिए भारत से इन आइटम का निर्यात नगण्य (लगभग 0.5 मिलियन मीट्रिक टन या उत्पादन का 0.3 प्रतिशत) है। जबकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया अपने उत्पादन का 86% एवं 25% निर्यात करते हैं।
- **अन्य देशों द्वारा निर्यात प्रतिबंध:** क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) वाले अधिकतर देशों में डेयरी उत्पादों पर अत्यधिक प्रतिबंधात्मक व्यवस्था - या तो उच्च आयात शुल्क या प्रमाणीकरण एवं निरीक्षण अनिवार्यताओं वाली बोझिल प्रक्रियाएं- विद्यमान हैं। उदाहरण के लिए चीन भारतीय डेयरी उत्पादों के आयात की अनुमति नहीं देता है। इसी प्रकार, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया भारत को पदास्य-रोग (मवेशियों का होने वाली पैर और मुँह की बीमारी) से पीड़ित देश के रूप में वर्गीकृत करते हैं और भारतीय डेयरी उत्पादों को प्रतिबंधित करते हैं। न्यूजीलैण्ड द्वारा डेयरी उत्पादों पर कई पशु चिकित्सा दस्तावेजों की अनिवार्यता भी उस देश को भारतीय निर्यात रोकती है।

VISION IAS

राष्ट्रीय स्तर

- **असंगठित क्षेत्रक का प्रभुत्व:** यह मूल्य वर्द्धन एवं अवसंरचना निर्माण में बड़े पैमाने पर निवेश को रोकता है।
- **अवसंरचनागत मुद्दे:** शीत खाद्य आपूर्ति श्रृंखला, दुग्ध प्रसंस्करण सुविधाएं, दुग्ध उत्पादों इत्यादि का परिवहन करने के लिए वाहन, विपणन सुविधाओं एवं विस्तार सुविधाओं का अभाव; अपर्याप्त पशु चिकित्सा सेवाएं।
- **चारे की गैर उपलब्धता:** विशेष रूप से वर्ष भर हरे चारे के मामले में। खेती पैटर्न की वर्तमान पद्धति जारी रहने पर 2025 तक हरे चारे की 65% कमी होगी।
- **खंड वार समस्या: घर के पिछवाड़े स्थित पशु अहातों** के मामले में अपने पशुओं के लिए संतुलित पोषण स्वीकार करने के प्रति अनिच्छा मुख्य चुनौती है। ऐसे अधिकतर स्थानों में उनमें से अधिकतर अभी भी अपने पशुओं का असंतुलित फ़ीड, चारा और पूरकों का उपयोग करते हुए पारंपरिक रूप से खिलाते-पिलाते हैं और इसके कारण पशुओं से अपेक्षा से कम दुग्ध उत्पादन प्राप्त होता है।**अर्द्ध संगठित डेरी फार्मों के लिए,** रेवड़ की दक्षता में सुधार करना एवं वर्ष भर लगातार दुग्ध उत्पादन बनाए रखना महत्वपूर्ण चुनौती है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

भारत विभिन्न केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं जैसे "राष्ट्रीय गोजातीय प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम", राष्ट्रीय डेरी योजना (चरण-I) और "डेयरी उद्यमिता विकास योजना". के माध्यम से डेरी क्षेत्रक को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयास कर रही है।

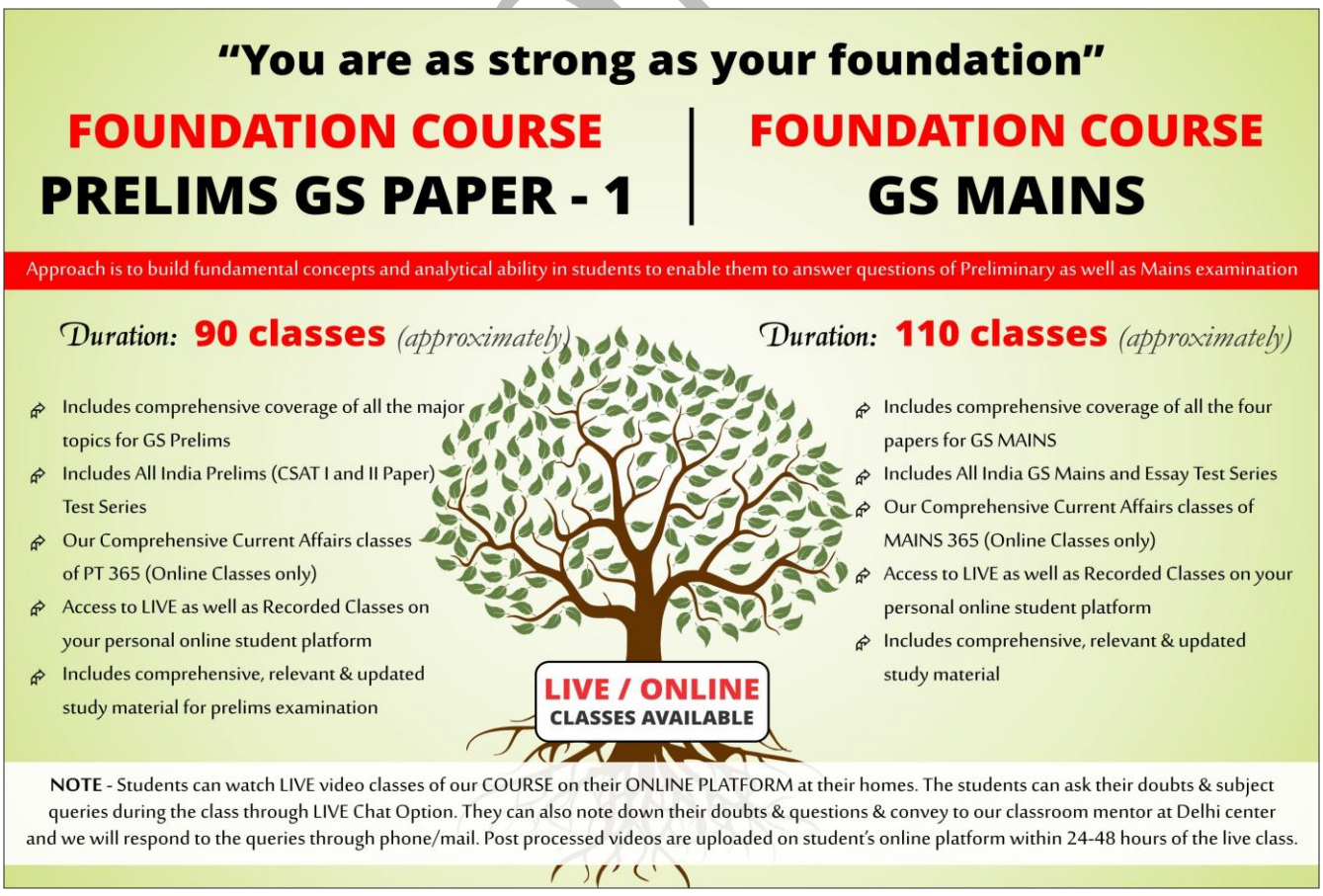

6. औद्योगिक नीति

(INDUSTRIAL POLICY)

6.1. नई औद्योगिक नीति की आवश्यकता

(Need For A New Industrial Policy)

सुर्खियों में क्यों

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा विश्व स्तर पर भारतीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अलग-अलग विचारों और रणनीतियों को बढ़ावा देने हेतु **नई औद्योगिक नीति** तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

पृष्ठभूमि

- 1991 में घोषित अंतिम औद्योगिक नीति के बाद भारत की स्थिति में काफी बदलाव हो चूका है और यह आज विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है।
- 1980 के बाद से भारत के सकल घरेलू उत्पादन में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 15-16 प्रतिशत के आसपास स्थिर रही थी जबकि इसकी तुलना एशिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से की जाए तो इसकी हिस्सेदारी काफी अधिक है जो लगभग 25 से 34 प्रतिशत है।

राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (NMP)

- **उद्देश्य:** जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र के हिस्से को एक दशक के अंदर 25 प्रतिशत तक बढ़ाना तथा 100 मिलियन रोजगारों का सृजन करना है।
- यह सहयोगात्मक संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। केंद्र सरकार इसके लिए आवश्यक ढांचे का निर्माण करेगी और सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के आधार पर ढांचागत विकास को उचित सहायता प्रदान की जाएगी और राज्य सरकारों को नीति के अंतर्गत उपलब्ध प्रावधानों को चुनने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा।

राष्ट्रीय निवेश विनिर्माण क्षेत्र (NIMZs)

- इस जोन में *एकीकृत स्टेट ऑफ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर* के साथ विशाल औद्योगिक टाउनशिप के निर्माण की कल्पना की गई है।
- **अन्य विशेषताएं:जोन** के आधार पर भूमि उपयोग, स्वच्छ और ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी, आवश्यक सामाजिक अवसरंचना,कौशल विकास सुविधाओं के माध्यम से विनिर्माण उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा।

चुनौतियां

अनुसंधान एवं विकास पर कम खर्च किया जाना: वर्तमान में, अनुसंधान और विकास पर किया जाने वाला व्यय जीडीपी का लगभग 0.9% है। अनेक विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ-साथ चीन में निजी क्षेत्र द्वारा R&D पर जीडीपी का लगभग 70% खर्च किया जाता है वहीँ भारत में यह लगभग 35% है।

- **बढ़ती प्रतिस्पर्धा:** MSME क्षेत्र चीन और अन्य देश जिनके साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता किया हुआ है, उनसे होने वाले सस्ते आयात के कारण कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है।
- **मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण की महत्वाकांक्षी रूपरेखा** ने अधिक पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहित किया है जिसके कारण रुपए के मजबूत होने से घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुंच रहा है (सस्ते आयात के कारण)। देश में उच्च ब्याज दरों ने भी उद्योगों हेतु साख उपलब्धता को प्रभावित किया है।

VISION IAS

- **ऋण का अभाव:** भारत में औद्योगिक अवसंरचना, धन की कमी और अक्षमताओं से ग्रस्त है। ऋण और बॉन्ड बाजारों के विकसित न होने के कारण इस क्षेत्र का वित्तपोषण बैंकों पर बहुत अधिक निर्भर हो गया है।
- **स्वचालन का बढ़ना:** यह बाजार में नौकरियों को कम कर सकता है जबकि भारत जनसांख्यिकीय लाभांश की बेहतर स्थिति विद्यमान है जिसके लिए प्रति वर्ष 1 मिलियन नए रोजगारों की आवश्यकता है।

महत्व

- नई औद्योगिक नीति, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति को समाविष्ट कर लेगी और परिणाम-उन्मुख कार्रवाई योग्य औद्योगिक नीति तैयार करने का प्रयास करेगी। यह वैश्विक स्तर पर भारतीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाने के साथ ही उन्हें उचित दिशा प्रदान करेगा।इस कार्य के लिए उठाये जाने वाले क़दमों के सम्बन्ध में यह एक प्रभावी योजना के निर्माण में सहायक सिद्ध होगी।जिसके माध्यम से स्किल , स्केल और टेक्नोलोजी को बढ़ावा मिलेगा।
- इसका उद्देश्य आधुनिक स्मार्ट प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देना है जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत विनिर्माण के लिए रोबोटिक्स के उपयोग को बढ़ावा देना है जिसके माध्यम से जीरो एमीसन(zero emission),जीरो इंसिडेंट(zero-incident)और जीरो डिफेक्ट (zero-defect) विनिर्माण गतिविधि संपन्न की जा सकेगी।
- इसका उद्देश्य 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देकर भारत को विनिर्माण केंद्र बनाना है, आने वाले दो दशकों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना, विदेशी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना, वार्षिक रूप से 100 बिलियन डॉलर FDI को आकर्षित करना, ऐसे क्षेत्रों में तकनीकी विकास को बढ़ावा देना है जहां भारतीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर अप्रतिस्पर्धी है और साथ ही सभी क्षेत्रों में उद्योगों के विविधीकरण करने की दिशा में एक रोड मैप प्रदान करना है।
- DIPP ने नीति में छ: फोकस समूहों का गठन किया है और साथ ही इनपुट प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन सर्वेक्षण किया जा रहा है। छ: विषयगत क्षेत्रों में शामिल हैं:
  - विनिर्माण और MSME
  - प्रौद्योगिकी और नवाचार
  - ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
  - अवसंरचना, निवेश, व्यापार और राजकोषीय नीति
  - भविष्य के लिए कौशल और रोजगारपरकता।
  - भारत के आर्थिक रूपान्तरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कार्यदल।

'परिवर्तनशील वैश्विक परिदृश्य में औद्योगिक नीति' पर वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति (2016) की रिपोर्ट में की गई महत्वपूर्ण पर्यवेक्षण और अनुशंसाएं

- **औद्योगिक सुधार:** प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिस्पर्धी तंत्र। सुझाए गए अन्य सुधारों में राज्य सरकारों द्वारा उद्योग के अनुकूल भूमि अधिग्रहण ढांचा, भ्रष्टाचार विरोधी सुधार, बेहतर अंतर-मंत्रालयी समन्वय तथा न्यायसंगत, वित्तीय और कुशल सार्वजनिक खरीद सुधार शामिल हैं।
- **अनुसंधान और विकास:** तकनीकी क्षमताएं सृजित करने के लिए समिति ने अनुशंसा की है कि सरकार को उच्च मूल्य संवर्धन प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी निर्माण में निवेश करने हेतु निजी उद्यमों उपयुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए।इसने उद्योगों को सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी को 17% से बढ़ाकर लगभग 25% करने के लिए अपना अनुसंधान एवं विकास व्यय बढ़ाने की भी सलाह दी।

- **छोटे उद्यमों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश:** समिति ने उल्लेख किया कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को बढ़ावा देने के लिए हाल में उठाए गए कदमों ने मुख्य रूप से बड़े उद्योगों को लाभ पहुंचाया है। समिति ने अनुशंसा की है कि सरकार को लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में FDI को बढ़ावा देने के लिए कदम उठने चाहिए।
- **कानूनों की बहुलता:** वर्तमान में, 30 से अधिक कानून औद्योगिक क्षेत्र का विनियमन कर रहे हैं जो नए उद्योगों की स्थापना में बाधा उत्पन्न करते हैं और साथ ही उनका अस्तित्व भी प्रभावित होता है।समिति ने अनुशंसा की है कि विशेष रूप से लघु और मध्यम उद्योगों के लिए पर्यावरण,वन और प्रदूषण की मंजूरी सहित सभी सांविधिक मंजूरियां देने के लिए एकल खिड़की प्रणाली की स्थापना की जानी चाहिए।श्रम कानूनों और सामाजिक सुरक्षा कानूनों की भी समीक्षा की जानी चाहिए।
- MSME क्षेत्र का समावेशन: समिति ने अनुशंसा की कि MSME क्षेत्र की वित्तपोषण तक पहुंच वैकल्पिक स्रोतों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जैसे निजी इक्विटी, उद्यम पूँजी और एन्जेल फ़ंड। MSME को MUDRA योजना के अंतर्गत भी सहायता प्रदान की जा सकती है।इसके अतिरिक्त, MSME की परिभाषा में संशोधन किया जाना चाहिए और एक गतिशील परिभाषा विकसित की जानी चाहिए जो मुद्रास्फीति से संबंधित समस्त प्रभावों को शामिल करने वाली और सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप हो।
- भविष्य की संभावनाएं: समिति ने भारत की युवा आबादी की क्षमताओं के सर्वोत्तम उपयोग के लिए योजनाबद्ध कौशल विकास को बढ़ावा देने की अनुशंसा की।भारत में उत्पादन लागतो का कम होना विनिर्माण और उत्पादन क्षेत्र को वैश्विक प्रतिस्पधा की स्थिति में लाभदायक सिद्ध होगा।

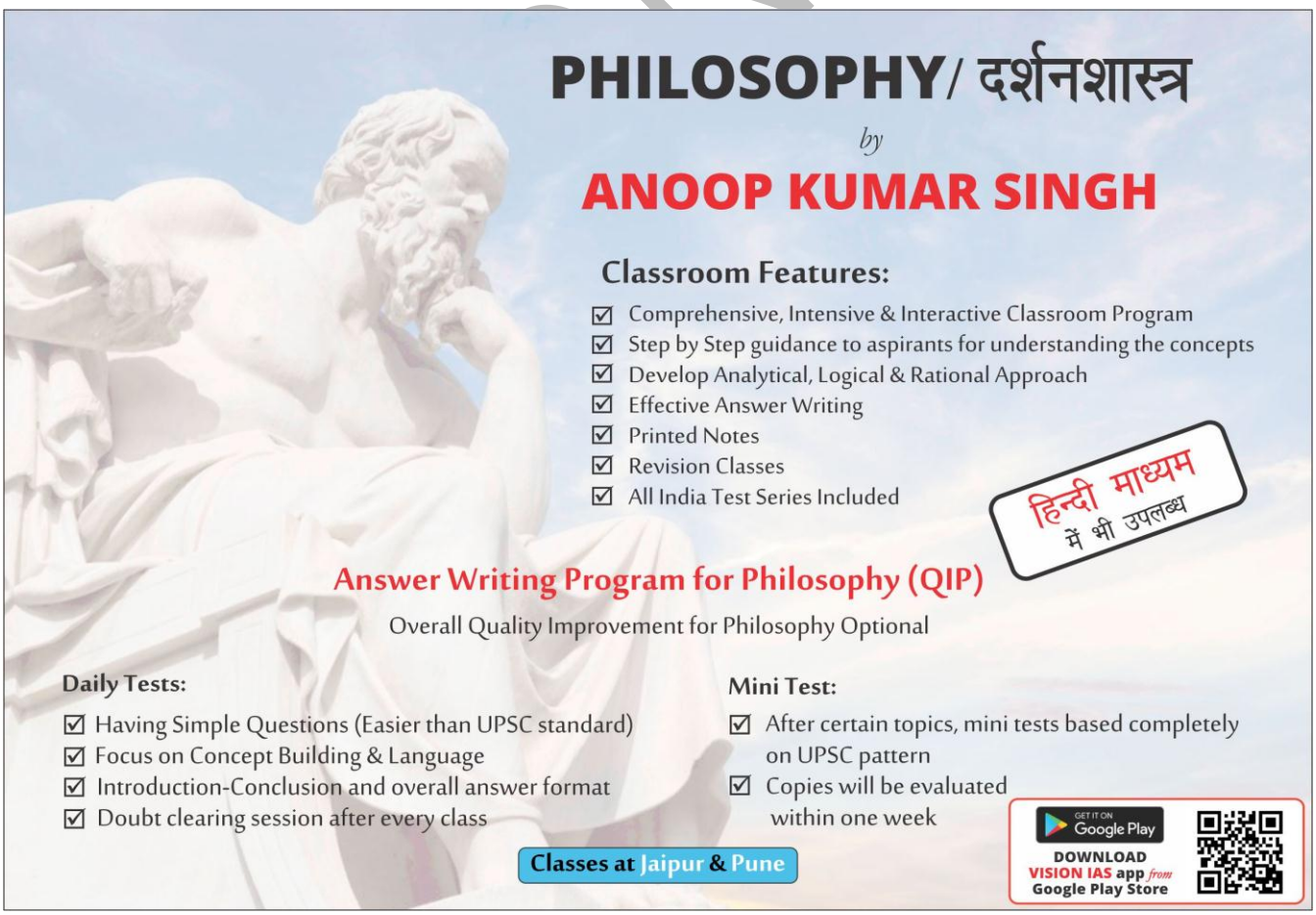

7. अवसंरचना

(INFRASTRUCTURE)

7.1. अवसंरचना परियोजनाओं का समय एवं लागत अनुमान से अधिक होना

(Time and Cost Over-Runs of Infrastructure Projects)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्रीय अवसंरचना परियोजनाओं द्वारा कॉस्ट ओवर-रन (पूर्वानुमानित लागत से अधिक लागत होना) में वित्तीय वर्ष 2017 के अंत तक, वर्ष 2015 की तुलना में 20% से भी अधिक गिरावट दर्ज की गयी है।

पृष्ठभूमि

- सरकारी योजना एवं इसके कार्यान्वयन में पूर्वानुमान की तुलना में अधिक लागत एवं समय लगना प्रमुख बाधा रही है।
- इसके लिए **बढ़ती भूमि अधिग्रहण लागतों, पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों एवं पुनर्वास उपायों की उच्च लागतों, परियोजनाओं के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, उपकरण सेवाओं के एकाधिकारी मूल्य विक्रेताओं तथा अधिक समय लगने** को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

स्थगित परियोजनाओं के प्रमुख निहितार्थ

- यह **भविष्य के योजना-निर्माण एवं राजकोषीय प्रबंधन** को अस्त-व्यस्त कर देता है।
- यह सामान्य जनता को सार्वजनिक वस्तुओं जैसे:- रेलवे लाइनों, सड़कों, पुलों इत्यादि से प्राप्त होने वाले लाभ में विलम्ब करता है।
- यह रोजगार के सृजन को प्रभावित करता है।
- **यह गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों की मात्रा में बढ़ोतरी करता है तथा परिणामस्वरुप ट्विन बैलेंस शीट की समस्या में योगदान करता है।**

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

सरकार ने स्थगित परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने तथा लालफीताशाही से लड़ने के लिए भी अनेक उपाय किए हैं जैसे:- त्वरित अनुमति, समय-समय पर निगरानी तथा समीक्षा इत्यादि। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं-

- **अग्र-सक्रिय प्रशासन एवं समय पर कार्यान्वयन (PRAGATI):** इसकी एक प्रमुख भूमिका भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं की निगरानी एवं समीक्षा करना है।
- **तापीय ऊर्जा संयंत्रों को पुनर्जीवित करने के लिए PSUs का नियोजन:** सरकार द्वारा निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं को पुनः आरंभ करने के लिए राज्य सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों (PSUs) का नियोजन किया जा रहा है।
- **जल विद्युत नीति**: 11639 मेगावाट (MW) क्षमता की बढ़ोतरी करने में सक्षम 40 स्थगित जल विद्युत परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए 16709 करोड़ रुपए प्रदान करने के लक्ष्य वाली नीति के निर्माण की प्रक्रिया जारी है। यह नीति वर्तमान में छोटी परियोजनाओं को उपलब्ध प्रोत्साहन के साथ ही बड़ी परियोजनाओं को भी प्रोत्साहन प्रदान करने में सक्षम होगी।

VISION IAS

7.2. नई मेट्रो रेल नीति 2016

(New Metro Rail Policy 2016)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई मेट्रो रेल नीति को स्वीकृति प्रदान की है जो सुसंगत शहरी विकास, लागत में कमी और बहु-मॉडल एकीकरण पर केंद्रित है।

नई मेट्रो रेल नीति की मुख्य विशेषताएं

- नई मेट्रो परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु यह नीति PPP (सार्वजनिक निजी भागीदारी) घटक को अनिवार्य बनाती है।
- नीति में मुख्यतः तीन PPP मॉडल सम्मिलित हैं;
  1. डिजाइन-बिल्ड-फाइनेंस-ऑपरेट-ट्रांसफर विधा के माध्यम से नई मेट्रो रेल प्रणालियों का निर्माण करना।
  2. सेवा संचालित करने के साथ-साथ रोलिंग स्टॉक की आपूर्ति करने के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति देना।
  3. अवसंरचना के रखरखाव और उन्नयन में उन्हें सम्मिलित करना।
- नई नीति मेट्रो गलियारे के साथ-साथ सुसंगत (Compact) और सघन शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए **ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD)** अनिवार्य बनाती है।
- वर्तमान **'8% के इकॉनोमिक इंटरनल रेट ऑफ़ रिटर्न' (Economic Internal Rate of Return)** के स्थान पर '**14% के फाइनेंसियल इंटरनल रेट ऑफ़ रिटर्न' (Financial Internal Rate of Return)** के आधार पर, सर्वोत्तम वैश्विक तरीकों पर नई मेट्रो परियोजनाओं को स्वीकृति दी जाएगी।
- इस नीति के अंतर्गत, राज्यों को नियम और विनियम बनाने और स्थायी किराया निर्धारण प्राधिकरण स्थापित करने की शक्ति प्राप्त होगी।
- साथ ही, राज्यों को कॉरपोरेट बॉन्ड जारी करके कम लागत वाली ऋण पूंजी संभव बनानी होगी।
- यह नीति स्वतंत्र तृतीय पक्ष द्वारा नए मेट्रो प्रस्तावों के कठोर मूल्यांकन का प्रावधन करती है।
- यह नीति राज्यों से व्यावसायिक संपत्तियों का विकास तथा विज्ञापन के माध्यम से एवं खाली जगह लीज पर देकर अधिकतम गैर-किराया राजस्व उत्पन्न करने की अपेक्षा करती है।
- यह नीति राज्य सरकारों के लिए यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी नामक सांविधिक निकाय की स्थापना करना अनिवार्य बनाती है।
- नई नीति राज्यों के लिए मेट्रो रेल परियोजनाओं से लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों में "बेटरमेंट लेवी" (betterment levy) प्रभारित करना आवश्यक बनाती है।
- यह नीति विभिन्न तरीकों से मेट्रो सेवाओं के परिचालन और प्रबंधन (O&M) में निजी क्षेत्र की भागीदारी की कल्पना करती है;
  - ***कॉस्ट प्लस फ़ी कॉन्ट्रैक्ट* (लागत युक्त शुल्क अनुबंध):** निजी प्रचालक को O&M प्रणाली के लिए मासिक / वार्षिक भुगतान किया जाता है। सेवा की गुणवत्ता के आधार पर इसमें स्थायी और परिवर्तनीय घटक हो सकते हैं। परिचालन एवं राजस्व जोखिम स्वामित्वधारी द्वारा वहन किया जाता है।
  - **सकल लागत अनुबंध (Gross Cost Contract):** निजी प्रचालक को अनुबंध की अवधि के लिए एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है। प्रचालक O&M जोखिम वहन करता है जबकि स्वामित्वधारी राजस्व जोखिम वहन करता है।
  - **शुद्ध लागत अनुबंध (Net Cost Contract):** प्रचालक प्रदान की गई सेवाओं से उत्पन्न होने वाला पूरा राजस्व एकत्रित करता है। यदि राजस्व सृजन O&M लागत से कम रहता है तो स्वामित्वधारी क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत हो सकता है।

VISION IAS

इस नीति के लाभ

- इससे विभिन्न शहरों की मेट्रो रेल आकांक्षाएं पूरी करने में सहायता मिलने के साथ ही राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति 2006 का उद्देश्य भी साकार करने में सहायता मिलेगी।
- यह नीति भारत में मेक इन इंडिया पहल और भारत के लिए अवसंरचना नीत विकास प्रतिमान को बढ़ावा देगी।
- इसमें मेट्रो गलियारे की अवसंरचना के साथ-साथ सुसंगत और सघन शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए पारगमन उन्मुख विकास (*ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट*) की कल्पना की गई है जिससे शहरों की आवागमन संबंधी समस्याओं में कमी आएगी।
- इस नीति से सार्वजनिक-निजी साझेदारी नीत विकास का विस्तार करने में सहायता मिलेगी जिससे परिवहन अवसंरचना में निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा।

इकनोमिक इंटरनल रेट ऑफ़ रिटर्न (EIRR)

उस दर के रूप में **IRR** को परिभाषित किया जाता है जिस दर पर निवेश परियोजना का निवल वर्तमान मूल्य शून्य के बराबर होता है।

यदि **IRR** अपेक्षित प्रतिफल की दर से अधिक है तो परियोजना स्वीकार की जानी चाहिए।

EIRR, प्रतिफल की वित्तीय दर से इस अर्थ में भिन्न है कि इसमें अर्थव्यवस्था के लिए वास्तविक लागत की गणना करने के लिए मूल्य नियंत्रण, सब्सिडी और करांतराल जैसे कारकों का प्रभाव ध्यान में रखा जाता है।

इस नीति की सीमाएं

- विभिन्न परिवहन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि मेट्रो रेल का निर्माण लाभदायक निवेश नहीं होगा क्योंकि निजी क्षेत्र की आकांक्षा कम से कम 12-15% प्रतिफल की होगी जबकि कभी भी किसी भी मेट्रो परियोजना ने 2-3% से अधिक निवेश प्रतिफल नहीं दिया है।
- इससे पहले, मेट्रो रेल के PPP मॉडल से अपेक्षित प्रतिफल नहीं मिला है उदाहरण के लिए, मुंबई, हैदराबाद और दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट लाइन के संचालन में विवाद का सामना करना पड़ा था।
- इस नीति का उद्देश्य परियोजनाओं के लिए राज्यों के वित्तपोषण में केंद्र की भूमिका कम करना है। हालांकि राज्यों के पास पहले ही राजस्व सृजन का सीमित स्रोत है। बेटरमेंट लेवी के प्रावधान से इच्छित प्रतिफल नहीं मिलेगा।
- केंद्र सरकार की गारंटी के अभाव में निजी क्षेत्र के लिए द्विपक्षीय ऋण सुनिश्चित करना मुश्किल होगा।
- इसके अतिरिक्त, सरकारी बांड्स लाने का प्रस्ताव ऐसे विशाल निवेश के लिए पर्याप्त खरीदारों को आकर्षित नहीं करेगा।

राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति 2006

- इस नीति में सुरक्षित, सस्ती, त्वरित, आरामदायक, विश्वसनीय और स्थायी शहरी परिवहन प्रणालियों, गुणवत्ता केंद्रित बहु-मॉडल सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों की स्थापना की कल्पना की गई है।
- इसमें माना गया है कि जनता हमारे शहरों की केंद्र-बिंदु हैं और सभी योजनाएं उसके सामान्य लाभ और कल्याण के लिए होंगी।
- खराब आवागमन सुविधा आर्थिक विकास के लिए प्रमुख गतिरोध बन सकती है और जीवन की गुणवत्ता बिगाड़ सकती है।
- यह नीति **जवाहरलाल राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन** के मूल में है।

नीति का उद्देश्य

- परिणाम की आवश्यकता होने की बजाय शहरी नियोजन चरण में शहरी परिवहन को महत्वपूर्ण मापदंड बनाना।
- गुणवत्ता केंद्रित बहु-मॉडल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की स्थापना संभव बनाना जो सभी विधाओं के बीच निर्बाध यात्रा प्रदान करते हुए अच्छी तरह से एकीकृत हो।
- **ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट** उच्च गुणवत्ता वाली ट्रेन प्रणाली के आस-पास सघन, पैदल चलने योग्य, पैदल यात्री-उन्मुख, मिश्रित-उपयोग वाला समुदाय केन्द्रित विकास है। यह आवागमन के लिए कार पर पूर्ण निर्भरता के बिना कम-तनाव वाला जीवन संभव बनाता है।

VISION IAS

7.3. राष्ट्रीय ऊर्जा नीति का मसौदा

(Draft National Energy Policy)

सुर्खियों में क्यों ?

नीति आयोग ने राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के लिए एक मसौदा तैयार किया है जो 2000 के दशक के मध्य की एकीकृत ऊर्जा नीति पर आधारित है|

ऊर्जा नीति के मुख्य उद्देश्य

- गरीबों और वंचितों को ध्यान रखते हुए सस्ती कीमतों पर ऊर्जा उपलब्धता।
- आयात के स्रोत में विविधता लाते हुए या आयात में कमी लाकर या घरेलू उत्पादन में वृद्धि द्वारा स्वायत्तता और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे की पृष्ठभूमि में अधिक धारणीयता।
- ऊर्जा-गहन क्षेत्रों के अनुरूप आर्थिक विकास

नई ऊर्जा नीति की आवश्यकता क्यों ?

- हालिया सरकारी घोषणाओं को पूर्ण करने के लिए:
  - 2018 तक सभी जनगणना गांवों का विद्युतीकरण करना, और 2022 तक 24x7 बिजली के साथ सार्वभौमिक विद्युतीकरण प्राप्त करना। अभी भी, 304 मिलियन भारतीयों को बिजली उपलब्ध नहीं है।
  - GDP में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को वर्तमान 16% से बढ़ाकर 25% तक पहुंचाना।
  - पेट्रोलियम मंत्रालय का लक्ष्य 2022 तक तेल आयात को 10% (2014-15 के स्तर) से कम करना है।
  - INDC लक्ष्य प्राप्त करना।
- विशाल आबादी की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना, अनुमान है कि 2040 तक भारत की आबादी 1.6 अरब हो जायेगी।
  - 5 करोड़ लोग अभी भी खाना पकाने के लिए ठोस जैव मॉस ईंधन पर निर्भर हैं।
  - नीति आयोग के अनुमान के अनुसार, भारत में ऊर्जा की मांग 2012 से 2040 के बीच 2.7-3.2 गुना तक बढ़ने की संभावना है और इस प्रकार आयात मांग 2012 में 31% से बढ़कर 2040 में 36-55% हो सकती है।
- ऊर्जा सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा से सम्बंधित विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय आवश्यक है। क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र का संबंध विभिन्न मंत्रालयों से है जिनके द्वारा अपने एजेंडे के अनुसार अलग-अलग नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं।
- वायु प्रदूषण के कारण बढ़ने वाली स्वास्थ्य लागतों को नियंत्रित करना - जिसका GDP के 3% होने का अनुमान है और इसके कारण हर वर्ष 1.2 मिलियन लोगों की मृत्यु होती है।
- ऊर्जा परिदृश्य में उभरती हुई नवीन प्रवृत्तियों के अनुरूप नए एजेंडे को बढ़ावा देना, जैसे कि
  - **वैश्विक ऊर्जा घटको में परिवर्तन** जहां जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी 88% से 86% हो गई है और 2005-2015 के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा 12.5% से 14% हो गया है।
  - प्राकृतिक गैस के उत्पादन (जिससे तेल की तुलना में 1/3 कम कार्बन उत्सर्जन होता है) में बढ़ोतरी के साथ ही तेल की तुलना में इसकी कीमतें कम हो गयी है ।
  - तेल और गैस के बाजारों में अधिक आपूर्ति से उनकी कीमतों में कमी आई है। इससे भारत जैसे देशों को ऊर्जा क्षेत्र संबंधी सुधारों को संपन्न करने का अवसर तथा वित्तीय सामर्थ्य प्राप्त हुई है।

VISION IAS

- नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की कीमत में कमी - 2010 और 2015 के बीच क्रमशः पवन और सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी लागतों में क्रमशः 60% और 52% की कमी आई है।
- **जलवायु परिवर्तन संबंधी चिंताएँ -** ऊर्जा उपयोग और उसके प्रतिकूल पर्यावरणीय नतीजों के बीच संबंधों के विषय में समझ में वृद्धि हुई है तथा साथ ही वायु की गुणवत्ता सम्बन्धी मानकों के बारे में जागरूकता उत्पन्न हुई है।

उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रमुख प्रावधान

- **धारणीयता (sustainability) सुनिश्चित करने के लिए**
  - सभी नए वाणिज्यिक निर्माण के लिए एनर्जी कन्जर्वेशन बिल्डिंग कोड को अपनाया जाये तो ऊर्जा के उपयोग में 50% कटौती की जा सकेगी।
  - ऊर्जा दक्षता के माध्यम से जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करना -
    - ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) सुदृढ़ डेटा बेस की स्थापना हेतु एक अध्ययन करेगा ताकि ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों का निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के सन्दर्भ में मूल्यांकन किया जा सके।
    - रेलवे आधारित जन परिवहन प्रणालियों और परिवहन क्षेत्र में हाइब्रिड वाहनों को अपनाने के कारण सरकारी व्यवस्था पर पड़ने वाले वित्तीय दबावों को कम करने के साथ-साथ प्रदूषण को भी कम करना।
    - सभी प्रमुख उपकरणों और वाहनों हेतु 2020 तक अनिवार्य मानक और लेबलिंग प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए।
    - नीति आयोग द्वारा राज्यों के लिए एक सूचकांक बनाया जाये एवं उसका उपयोग ऊर्जा दक्षता संबंधी मापदंडों के अनुसार राज्यों को रेटिंग प्रदान करने हेतु किया जाये। इसके माध्यम से उन्हें राज्य नोडल एजेंसियाँ (SNA) बनाने और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया जाए।
    - एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड या अन्य एजेंसियों को ऋण की पेशकश करने के लिए लाइन ऑफ़ क्रेडिट जैसी पहल करना। प्राथमिकता आधारित ऋण हेतु निर्धारित क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को शामिल करना साथ ही ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों द्वारा आंशिक जोखिम साझा करना आदि।
    - प्रमुख ऊर्जा खपत क्षेत्रों हेतु विशिष्ट लक्ष्यों को निर्धारित करना जैसे AC, पंखो आदि के लिए मानकों में संशोधन, AC, पंखों तथा पम्प आदि के लिए डोमेस्टिक एफिशिएंसी लाइटिंग प्रोग्राम (DLP) अपनाना, हाइ ड्यूटी वाहनों संबंधी मानकों को निर्धारित करना और समय-समय पर लो ड्यूटी वाहनों हेतु मानकों को संशोधित करना।
    - 2020 तक असंगठित क्षेत्र सहित सभी औद्योगिक खपत का 80% कवर करने के लिए PAT (perform achive and trade) का विस्तार।
    - औद्योगिक ऊर्जा खपत को कम करने के लिए BAT (सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध तकनीकों) को अपनाना

अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना - मसौदे के अनुसार परमाणु ऊर्जा पर भरोसा करना जरुरी है, क्योंकि यह एकमात्र हरित ऊर्जा है जिसे बेसलोड आवश्यकताओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह संसाधनों के व्यर्थ उपयोग को रोकने के लिए कोयला, अन्य ईंधन और बिजली के मूल्य को बाजार सिद्धांतों पर आधारित करने का प्रावधान करता है। यह निजी क्षेत्र को ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित करेगा।

- **बिजली पर सब्सिडी समाप्त करना-** अंततः उद्योगों की क्रॉस सब्सिडी ख़त्म करते हुए बजट पर इसका बोझ कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए। इससे विद्युत-सघन व्यवसायों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी।
- बड़ी कारों, SUV पर उच्च टैक्स दरें और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था जैसे मेट्रो रेल को प्रोत्साहन देने से वायु की गुणवत्ता में सुधार आएगा।

- **वायु की गुणवत्ता में सुधार**- बिजली संयंत्रों को भौगोलिक रूप से इस प्रकार स्थापित किया जाना चाहिए जिससे कि वे मानव बस्तियों में वायु की गुणवत्ता तथा जल आपूर्ति को नुकसान न पहुँचाएं। साथ ही वायु व जल संसाधनों की दुर्लभता के आधार पर उनकी कीमत इन कंपनियों से वसूल की जानी चाहिए।

- **स्वायत्तता और सुरक्षा के लिए**
  - हमारी ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से पड़ोसी देशों के साथ पेट्रोलियम उत्पाद और बिजली के क्रॉस बॉर्डर व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए।
  - कोयला, बिजली और पेट्रोलियम क्षेत्र के बेहतर विनियमन और समन्वय बढ़ाने के लिए वैधानिक नियामक प्राधिकरण (SRA) की स्थापना करनी चाहिए। इस प्रक्रिया के अंतर्गत उद्योग उचित कदम उठा सकेंगे जिससे अंततः ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।
  - विदेशी भागीदारी - व्यावसायिक प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति हेतु आयात पर बढ़ती निर्भरता को देखते हुए भारतीय कंपनियों को विदेशी ऊर्जा कारोबार में अधिकाधिक भागीदारी बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।
  - आयात आपूर्ति के विरुद्ध सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु ऊर्जा के बुनियादी ढांचे के विस्तार और सामरिक भंडार में वृद्धि।

- **वहनीयता हेतु**
  - CIL का निगमीकरण - कोल इंडिया लिमिटेड की 7 सहायक कंपनियों को स्वतंत्र कंपनियों में परिवर्तित करके और बेहतर उत्पादन, वितरण और मूल्य निर्धारण के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी गई है। यह वर्तमान में एकाधिकार लागत को नियंत्रित करने के प्रयासों को प्रदर्शित करता है।
  - मूल्य वृद्धि की स्थिति में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से ग्राहकों को मुआवजा।
  - प्रौद्योगिकी उपयोग के साथ-साथ प्रौद्योगिकी का विकास करना - विभिन्न ऊर्जा उप-क्षेत्रों के लिए तकनीकी रूपरेखा निर्धारित की जानी चाहिए जिसे उद्योग-शिक्षा गठबंधन, सरकारी विभागों और निजी क्षेत्रों के सहयोग से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में दिशा-निर्देशों के लिए भारतीय डायस्पोरा से भी सहयोग लिया जाना चाहिए।

- **सामान्य और ऊर्जा गहन क्षेत्र में आर्थिक विकास के लिए**
  - कोयला उत्पादन का निजीकरण - निजी कोयला खानों से उच्च उत्पादन को प्रोत्साहन - इसके लिए कोयला खनन में विशिष्ट कंपनियों को वाणिज्यिक आधार पर कोयला ब्लॉक आवंटित करने की आवश्यकता है।
  - कोयले द्वारा उत्पादित ऊर्जा को दोगुना करके वर्तमान 195 GW से 2040 तक 330 से 441 गीगावॉट के बीच पहुँचाना।
  - ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना।
    - ऊर्जा अवसंरचना परियोजनाओं में जोखिम कम करने के लिए, एक्सटेंडेड डेब्ट टेन्योर, VGF (वायबिलिटी गैप फंडिंग), टोलिंग जैसे उपकरणों का उपयोग करना चाहिए जिससे इस क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित हो सके।
    - ECB के लिए उचित हेजिंग तंत्र पर विचार करना।
    - उभरते हुए क्षेत्रों जैसे कि स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी, बैटरी स्टोरेज आदि क्षेत्रो में विकास को प्रोत्साहित करना।

- **उपभोक्ताओं से संबंधित कुछ प्रावधान**
  - इनोवेटिव बिलिंग और मीटरिंग के जरिए भुगतान प्रक्रिया को सुविधा जनक बनाना।
  - ऊर्जा दक्षता के लिए पुरस्कार और कर छूट, जागरूकता पैदा करने और उपभोक्ताओं के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का एक प्रभावी तरीका है।

VISION IAS

चिंताएं

- **ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान के साथ संगत नहीं :** जैसा कि अनुमान है कि अगले दशक में 2027 तक भारत में किसी नए कोयला बिजली घर की आवश्यकता नहीं होगी, सिवाय उनके जो पहले से ही निर्माणाधीन हैं। औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं से कोयले की मांग में गिरावट के परिदृश्य में हमारे कोयला उद्योग के कोयले के निर्यातक के रूप में उभरने की संभावना अस्वाभाविक प्रतीत होती है। ऐसे समय में जब सौर और पवन ऊर्जा टैरिफ ऐतिहासिक रूप से अपने निम्नतम स्तर तक पहुँच गया है, 2040 में भी जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता **ऊर्जा धारणीयता और सुरक्षा** जैसे लक्ष्यों से असंगत है।
- **पूंजी की कमी:** अन्य क्षेत्रों में पूंजी की उपलब्धता को प्रभावित किए बिना 2040 तक वार्षिक आधार पर ऊर्जा क्षेत्र में 150 अरब डॉलर के पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी ।
- **ग्रामीण-शहरी असमानता:** केवल 4% शहरी परिवारों ने प्रकाश के प्राथमिक स्रोत के रूप में बिजली का उपयोग नहीं किया, जबकि 26% से भी अधिक ऐसे अधिक ग्रामीण परिवार इस देश में हैं जो केरोसिन आधारित प्रकाश व्यवस्था पर आश्रित हैं।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं**: सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में मसौदा नीति अपेक्षा पर खरी नहीं उतरी है क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य के सन्दर्भ में यह केवल इनडोर वायु प्रदूषण के मामलों पर ही थोड़ा बहुत ध्यान केन्द्रित करती है। यह मसौदा केवल अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक है। यह शहरों में निवास करने वाले उन लाखों निवासियों को नजरअंदाज करता है, जिनको अकुशल थर्मल पावर स्टेशनों के कारण प्रदूषण का सामना करना पड़ता है।
- **परमाणु ऊर्जा पर निर्भरता** : अगले कुछ दशकों में ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी के तेजी से परिपक्व होने के कारण अन्य विकल्प भी उपलब्ध होने की संभावना है, इससे यह संकल्पना भी बदल जाएगी कि परमाणु ऊर्जा बेसलोड पावर हेतु उपलब्ध एक मात्र ग्रीन ऊर्जा है। इसके अलावा, यह निर्माण एवं अपग्रेडेशन के सन्दर्भ में अत्यधिक कॉस्ट-इंटेंसिव है। इस क्षेत्र में भारत का अच्छा रिकॉर्ड होने के बावजूद इसमें आपदा जोखिम निहित है। इसके अलावा, यह भी एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि जर्मनी और स्विटजरलैंड जैसे देशों ने किसी नए परमाणु ऊर्जा केंद्रों का निर्माण नहीं करने का निर्णय लिया है।
- **अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव**: थर्मल पावर के विस्तार से हमारे पड़ोसी देशों बांग्लादेश और मालदीव समेत विभिन्न देशों में समुद्र स्तर की वृद्धि सबंधी खतरों का सामना करना पड़ सकता है।

आगे की राह

- **केवल गांवों की बजाय परिवारों (households) के कवरेज को सुनिश्चित करना**: 'विद्युतीकरण' की अवधारणा को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। इस नई अवधारणा में DDUGJY कार्यक्रम के अंतर्गत किसी गांव को पूरी तरह से विद्युतीकृत तब माना जाना चाहिए जब गांव के सभी घरों में बिजली कनेक्शन हो, जो कम से कम कुछ निश्चित घंटों के लिए विश्वसनीय आपूर्ति प्राप्त करते हों।
- **शासन में सुधार:** BEE को सशक्त बनाकर ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है।
- **जागरूकता सृजन**, नवीनीकृत ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम का एक अनिवार्य घटक है। वर्तमान लागतों की तुलना में इस प्रकार के कार्यक्रमों के दीर्घकालिक लाभों को स्पष्ट करते हुए कार्यक्रम की विश्वसनीयता में वृद्धि करना।

7.4. हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी (HELP)

(Hydrocarbons Exploration And Licensing Policy- HELP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत सरकार ने हाल ही में **हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी** लॉन्च की। यह नीति **मौजूदा न्यू एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी (NELP)** को प्रतिस्थापित कर देश में तेल एवं गैस संसाधनों के अन्वेषण को प्रशासित करेगी।

इस नीति के उद्देश्य

- विनियामक प्रतिबंधों को कम करके भारत को **व्यापार एवं निवेश हेतु अनुकूल** बनाना।
- भारत के वर्तमान तेल उत्पादन को 80 मिलियन मीट्रिक टन से दुगुना कर 2022 तक लगभग 150-155 मिलियन मीट्रिक टन करना।
- ऐसे **क्षेत्रों की पहचान करना** जहां विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन का अन्वेषण करना संभव बनाया जा सके।

नेशनल डेटा रिपॉजिटरी

- हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन पॉलिसी के साथ सरकार ने भौगोलिक एवं हाइड्रोकार्बन संबंधी जानकारी का डाटाबेस भी आरंभ किया है जो सभी के लिए नि:शुल्क उपलब्ध होगा।
- नेशनल डेटा रिपॉजिटरी पेट्रोलियम अन्वेषण की संभावनाओं को बढ़ाएगा एवं **गुणवत्तापूर्ण डेटा की उपलब्धता के माध्यम से बोली लगाए जाने की प्रक्रिया को सुसाध्य बनाएगा।**

नीति क्यों आवश्यक है?

- भारत का 2015-16 में 36.95 मिलियन टन घरेलू कच्चा तेल उत्पादन, इसकी 20% तेल आवश्यकताओं की मुश्किल से ही पूर्ति कर पाया। 32.249 बिलियन क्यूबिक मीटर का प्राकृतिक गैस आउटपुट, इसकी आधे से कम आवश्यकताएं ही पूरी कर पाता है।
- पारंपरिक तेल एवं गैस, कोल बेड मीथेन, शेल तेल एवं गैस तथा गैस हाइड्रेट के लिए पृथक-पृथक नीतिगत प्रशासन तंत्र ने अन्वेषण में अकुशलता उत्पन्न की है।
- पूर्ववर्ती नीतिगत प्रशासन में **लाभ साझेदारी मॉडल (प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल)** था जिसके परिणामस्वरूप विलंब एवं विवाद हुए।
- **न्यू एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी उथले जल क्षेत्रों** (जहाँ लागत एवं जोखिम कम होते हैं) एवं गहरे/अत्यधिक गहरे जल क्षेत्रों में भेद नहीं करती है जहाँ जोखिम एवं लागतें रॉयल्टी निर्धारित करने के लिए अत्यधिक उच्च होते हैं।
- वर्तमान में, गैस का उत्पादक मूल्य (प्रोड्यूसर प्राइस) सरकार द्वारा प्रशासनिक रूप से निर्धारित किया जाता है। इसके कारण राजस्व की हानि, कई प्रकार के विवाद, अर्बिट्रेशन एवं अदालती मामले उत्पन्न हुए हैं।
    - ऐसी नीति **हाइड्रोकार्बन अन्वेषण बढ़ाने** एवं देश में **ऊर्जा दक्षता** को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करने में सहायता कर सकती है। तेल एवं प्राकृतिक गैस का घरेलू उत्पादन, आयातों पर निर्भरता कम करने में सहायता कर सकता है।
    - यह **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)** को आकर्षित करने में सहायता करेगी।

नीति की विशेषताएं

- **एकल लाइसेंसिंग**– यह विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन जैसे:- तेल, गैस, कोल बेड मीथेन इत्यादि के लिए एक ही लाइसेंस की व्यवस्था करती है।
- **खुली रकबा नीति**– अन्वेषक अब सम्पूर्ण वर्ष अन्वेषण करने के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं। उसके बाद सरकार क्षेत्र को बोली लगाए जाने के लिए खोल देगी।
- **राजस्व साझेदारी**- सरकार कुल आय का एक भाग प्राप्त करेगी। बोली लगाने वालों को अपनी बोलियों में राजस्व साझेदारी भागों (revenue shares) को उद्धृत करने की आवश्यकता होती है।
- **विपणन एवं मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता -** यह नीति ऊपरी मूल्य सीमा के अधीन विपणन एवं मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता प्रदान करती है।
- **अन्वेषण चरण-** तटीय क्षेत्रों के लिए अन्वेषण चरण को 7 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष और अपतटीय (ऑफशोर) क्षेत्रों के लिए 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है।

VISION IAS

हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी न्यू एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी

नीति वर्ग	हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी (HELP)	न्यू एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी (NELP)
हाइड्रोकार्बन के प्रकार	सभी पारंपरिक एवं अपारंपरिक तेल एवं गैस को कवर करती है।	NELP केवल पारंपरिक तेल एवं गैस को कवर करती थी जबकि कोल बेड मीथेन नीति, कोल बेड मीथेन को कवर करती थी।
लाइसेंस	सभी प्रकार के तेल और गैस के अन्वेषण एवं निष्कर्षण के लिए एक ही लाइसेंस।	पारंपरिक तेल एवं गैस, कोल बेड मीथेन तेल, शेल तेल एवं शेल गैस तथा गैस हाइड्रेट के लिए पृथक लाइसेंस की आवश्यकता होती थी।
राजस्व मॉडल	राजस्व साझेदारी मॉडल जिसके अंतर्गत सरकार के साथ राजस्व की साझेदारी, बोली लगाने वाले के द्वारा प्रस्तुत अनुपात में की जाएगी।	उत्पादन/लाभ साझेदारी मॉडल जिसके अंतर्गत सरकार ने लाभ में एक भाग प्राप्त करती थी।
कवरेज	खुली रकबा नीति, जिसके अंतर्गत अन्वेषण कंपनियां अन्वेषण के अंतर्गत सम्मिलित न किए गए किसी प्रखंड के लिए आवेदन कर सकती हैं।	अन्वेषण, सरकार द्वारा खोले गए प्रखंडों तक ही सीमित था।
तेल एवं गैस का मूल्य निर्धारण	कंपनियों को अपना उत्पादन घरेलू रूप से सरकार के हस्तक्षेप के बिना विक्रय करने की स्वतंत्रता है।	कच्चे तेल का मूल्य आयात समता पर आधारित था; गैस का मूल्य सरकार द्वारा नियत किया जाता था।
रॉयल्टी	अन्वेषण हेतु कठिन गहरे जल क्षेत्रों (5 प्रतिशत) एवं अत्यधिक गहरे जल क्षेत्रों (2 प्रतिशत) के लिए रॉयल्टी में छूट एवं उथले जल क्षेत्रों में रॉयल्टी में कमी (10 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत)।	तटीय क्षेत्रों के लिए 12.5 प्रतिशत तथा अपतटीय क्षेत्रों के लिए 10 प्रतिशत; कोल बेड मीथेन के लिए 10 प्रतिशत।

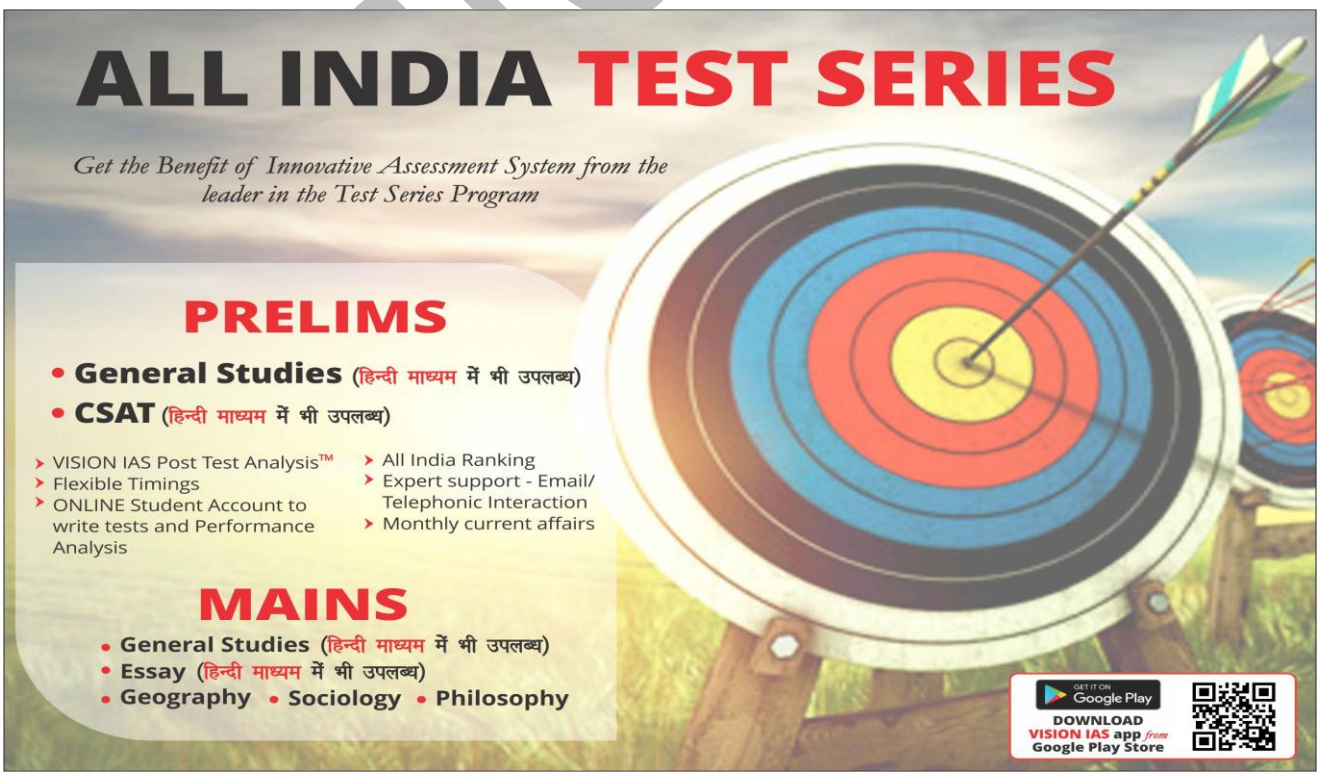

8. विद्युत

(ELECTRICITY)

8.1. राष्ट्रीय विद्युत नीति

(National Electricity Policy)

राष्ट्रीय विद्युत नीति के उद्देश्य:

- 2010 तक सभी परिवारों की विद्युत तक पहुंच
- 2012 तक देश की विद्युत संबंधी मांग को पूरा करना
- दक्षतापूर्ण एवं उचित दर पर विश्वसनीय एवं गुणवत्तायुक्त विद्यत आपूर्ति और
- विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिति में सुधार और वाणिज्यिक व्यवहार्यता।

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति ने राष्ट्रीय विद्युत नीति की समीक्षा पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। केंद्र सरकार ने फरवरी 2005 में इस नीति को जारी किया था।

विवरण

समिति के मुख्य पर्यवेक्षण एवं अनुशंसाओं में शामिल हैं:

उद्देश्यों की प्राप्ति: समिति ने उल्लेख किया है कि नीति के किसी भी उद्देश्य को निर्धारित समयसीमा के अंदर पूरा नहीं किया जा सकता है।समिति ने इंगित किया है कि:

- चार करोड़ घरों को अभी भी विद्युतीकृत किए जाने की आवश्यकता है,
- उत्पादन क्षमता पर्याप्त होने के बावजूद विद्युत की मांग को पूरा नहीं किया जा सका है, तथा
- विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय हालत काफी ख़राब हो चुकी है।

विद्युत तक पहुंच:

- समिति ने अनुशंसा की है कि ग्राम विद्युतीकरण की परिभाषा बदल दी जानी चाहिए तथा गांव के सभी घरों का विद्युतीकरण हो जाने के बाद ही गांव को विद्युतीकृत घोषित किया जाना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त, जब तक कम से कम 80% घरों में विद्युत कनेक्शन न हो जाए तब तक किसी भी गांव को विद्युतीकृत नहीं घोषित किया जाना चाहिए।
- समिति ने कहा है कि वर्तमान ग्राम विद्युतीकरण नीति केवल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों (BPL) की आवश्यकता पूरी करती है। BPL और APL दोनों परिवारों को शामिल करने के लिए नीति में संशोधन किया जाना चाहिए।
- आगे, निम्लिखित के संबंध में प्रावधान किए गए है:

  (i) आपूर्ति की गुणवत्ता और

  (ii) उचित समय तक आपूर्ति को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

विद्युत उत्पादन: समिति ने पाया है कि हाल के वर्षों में, देश में उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। हालांकि, कुल ऊर्जा मिश्रण में जलविद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 2007-08 में 25% से घटकर वर्तमान में 14% रह गई है।

- समिति ने अनुशंसा की है कि जलविद्युत क्षमता वाले राज्यों को जल्द से जल्द इसके अधिकतम विकास पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा, चूंकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्रकृति में एकसमान रूप से उपलब्ध नहीं हैं इसलिए ग्रिड को आधार प्रदान करने ने और आपूर्ति में उतार चढ़ाव को संतुलित करने के लिए जलविद्युत का उपयोग किया जा सकता है।

VISION IAS

- समिति ने जलविद्युत ऊर्जा को ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत के रूप में घोषित करने की अनुशंसा की।वर्तमान में 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाले जलविद्युत संयंत्रों को गैर-नवीकरणीय स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

विद्युत वितरण:

- समिति ने पाया है कि समग्र विद्युत क्षेत्र की आर्थिक व्यवहार्यता उसके वितरण क्षेत्र पर निर्भर करती है। वर्तमान में इस क्षेत्र पर सबसे अधिक आर्थिक सकंट छाया हुआ है। देश में कुल तकनीकी और वाणिज्यिक घाटा (AT&C) अभी भी अधिक बना हुआ है जो वितरण कंपनियों की संकटग्रस्त स्थिति हेतु प्रमुख उत्तरदायी कारण है।
- समिति ने यह भी पाया है कि AT&C हानि की अवधारणा त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि यह वाणिज्यिक हानि को प्रकट नहीं करती है जिसे तकनीकी हानि के विपरीत पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। समिति ने अनुशंसा की है कि इन दोनों घटकों को पृथक किया जाना चाहिए।

डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति: समिति ने पाया है कि **2014-15** में डिस्कॉम का कुल बकाया ऋण **4** लाख करोड़ रुपये था। समिति ने अनुशंसा की है कि उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (**UDAY**) के द्वारा आवश्यक सुधार किए जा सकते है **जिसका उद्देश्य** डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति में सुधार करना है विशेषकर उस समय जब इसके कार्यान्वयन के दौरान सामने आने वाली किसी भी नई समस्या से निपटने की आवश्यकता हो।

इस क्षेत्र में नई चुनौतियां: समिति ने पाया है कि सौर प्रशुल्क में गिरावट तथा सौर परियोजनाओं के निम्न *जेस्टेशन पीरियड* के कारण तापीय विद्युत संयंत्रों की आर्थिक व्यवहार्यता के लिए खतरा पैदा हो रहा है।अत: समिति ने अनुशंसा की है कि ऊर्जा क्षेत्र का विकास संतुलित तरीके से किया जाना चाहिए जहां ऊर्जा के विभिन्न स्रोत एक दूसरे के पूरक हों।

8.2. सौभाग्य योजना

Saubhagya Yojana

सुर्खियों में क्यों?

दिसंबर 2018 तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चार करोड़ से अधिक घरों को विद्युत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री ने प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना 'सौभाग्य' का शुभारंभ किया है।

अभी तक सभी के लिए विद्युत कार्यक्रम की प्रगति:

- 2015 में,प्रधान मंत्री ने 1 मई, 2018 तक शेष बचे 18,452 अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण करने की घोषणा की थी।इस समय 3,000 से कम गांव गैर-विद्युतीकृत बने हुए हैं और सभी गांवों का इस वर्ष के अंत तक,कार्यक्रम की निर्धारित अवधि से पहले विद्युतीकरण किया जा सकेगा।
- सरकार ने मार्च 2019 तक सभी को 24X7 विद्युत प्रदान करने का लक्ष्य तय किया है।भारत दिसंबर 2018 तक सभी को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है। वर्तमान में 25 करोड़ घरों में से चार करोड़ घरों में विद्युत कनेक्शन नहीं है।

नई योजना की आवश्यकता क्यों?

- दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा द्रुत गति से ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम चलाये जाने के बावजूद यह अनुभव किया गया कि विद्युत 'पहुंच' की समस्या का समाधान नहीं हुआ है।
- अभी भी बड़ी संख्या में परिवारों की विद्युत तक पहुंच न होने से, इस योजना का उद्देश्य केवल गांवों के कवरेज पर केन्द्रित ना होकर गाव में बसे प्रत्येक परिवार के कवरेज को सुनिश्चित करना है।

योजना का विवरण

उद्देश्य: भारत में सभी परिवारों को विद्युत प्रदान करना।

कुल परिव्यय: 16,320 करोड़ रुपये की योजना, सकल बजटीय सहायता (GBS) 12,320 करोड़ रुपये है। इस योजना का केंद्रीय अनुदान द्वारा 60%, बैंक ऋण द्वारा 30% और राज्यों द्वारा 10% की सीमा तक वित्त पोषण किया जा रहा है।

- यह योजना मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों को लाभान्वित करती है,जिनमें विद्युत कनेक्शन विहीन परिवारों की विशाल संख्या है। 16,320 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय में से, ग्रामीण क्षेत्रों को 14,025 करोड़ रुपये मिलेगा। शहरी परिवारों के लिए परिव्यय 2,295 करोड़ रूपये है।

<u>लाभार्थियों की पहचान</u>: सरकार नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन के लिए लाभार्थियों की पहचान हेतु सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) 2011 के आंकड़ो का उपयोग करेगी।SECC आंकड़ों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक कवर ना किये गए गैर-विद्युतीकृत घरों को भी 500 रुपये के भुगतान पर योजना के अंतर्गत विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जाएगा जिसे डिस्काम द्वारा 10 किश्तों में विद्युत बिल के माध्यम से वसूल किया जाएगा।

<u>कार्यान्वयन:</u>

- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड पूरे देश में इस योजना के संचालन के लिए नोडल एजेंसी होगा।
- मौके पर पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए, मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग किया जाएगा।जबकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों (BPL) को निशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा, यहां तक कि इस के अंतर्गत अनाच्छादित परिवार अपने मासिक बिल के साथ 10 किश्तों में 500 रुपये का भुगतान करके इसका लाभ उठा सकते हैं।
- जहां राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड नहीं पहुंच सकता है, ऐसे घरों को बैटरी बैंक के साथ सौर ऊर्जा पैकस प्रदान किया जाएगा।
- दूरदराज की बस्तियों को पांच वर्ष तक मरम्मत और रखरखाव के साथ पांच LED बल्ब, एक DC पंखा और एक प्लग प्वाइंट के साथ सौर पैनलों के माध्यम से विद्युतीकृत किया जाएगा।
- मासिक विद्युत उपभोग के सन्दर्भ में कोई सब्सिडी नहीं प्रदान की जाएगी और ग्राम क्षेत्रों में ग्राम पंचायत और सार्वजनिक संस्थानों को बिलिंग और संग्रह कार्य संचालित करने के लिए अधिकृत किया जाएगा, जो डिस्कॉम के लिए समस्या बन गया था।
- 31 दिसंबर 2018 तक विद्युतीकरण लक्ष्य पूरा हो जाने पर राज्यों को अनुदान में परिवर्तित होने वाले उनके ऋणों का 50% प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किया गया है।

योजना के संभावित प्रभाव

- पहले विद्युत वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) विद्युतीकृत हो जाने पर भी गांवों को आपूर्ति नहीं करना चाहती थीं।प्रीपेड और स्मार्ट मीटरों के प्रयोग से मांग स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जा सकेगी।इस प्रकार डिस्कॉम इन गांवों में आपूर्ति करने के लिए बाध्य होंगे।
- इस योजना से विकास को बढ़ावा मिलेगा।ऊर्जा तक पहुंच विकास का केंद्रबिंदु है।अधिकाधिक लोगों की उर्जा स्त्रोतों तक पहुच सुनिश्चित करने की दिशा में यह पहल एक सार्थक प्रयास है।
- परिवारों के लिए कनेक्शन की ऊँची लागत और राज्यों के लिए आपूर्ति की ऊँची लागत के कारण अंतिम बिंदु तक कनेक्टिविटी हमेशा बड़ी चुनौती रही है। इससे ऊर्जा दक्ष उपकरणों का वित्तपोषण करके दोनों से निपटने का प्रयास किया जाएगा।
- इससे पूरे भारत में अंतिम बिंदु तक विद्युत कनेक्शन की सहायता से पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और कनेक्टिविटी में सुधार आएगा।
- इससे गैर-विद्युतीकृत घरों में केरोसीन की बत्ती का उपयोग कम करने में सहायता मिलेगी। इस प्रकार इससे भारत को अपनी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताएं पूरा करने में सहायता मिलगी, जो अमेरिका और चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है।
- इस योजना से अर्थव्यवस्था में 16,000 करोड़ रुपये का अंतर्वाह होगा, परिसंपत्ति का सृजन होगा और रोज़गार उत्पन्न होंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि, किसी भी सब्सिडी के बिना विद्युत का बिल बनाया जाएगा।
- जीवन की बेहतर गुणवत्ता, विशेषकर दैनिक काम में महिलाओं के लिए

आगे की राह

नए भारत को ऐसे ऊर्जा ढांचे की आवश्यकता होगी जो समता, दक्षता और संधारणीयता के सिद्धांत पर आधारित हो।प्रत्येक परिवार को विद्युतिकृत किये जाने के बाद, सरकार का अगला लक्ष्य लोड शेडिंग समाप्त करना और 24x7विद्युत प्रदान करना होना चाहिए।

9. निवेश मॉडल

(INVESTMENT MODELS)

9.1. सार्वजनिक-निजी भागीदारी

(Public Private Partnership)

PPP को एक सरकारी इकाई तथा निजी क्षेत्र के मध्य सार्वजनिक परिसम्पत्ति या सेवा प्रदान करने के लिए दीर्घकालीन अनुबंध के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें निजी क्षेत्र को महत्त्वपूर्ण जोखिम और प्रबन्धन का उत्तरदायित्व प्राप्त होता है तथा पारिश्रमिक कार्य-निष्पादन से जुड़ा होता है।

आर्थिक कार्य विभाग (DEA) भारत में PPP से संबंधित पहलों और बेहतर कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान करने वाली नोडल एजेंसी है।

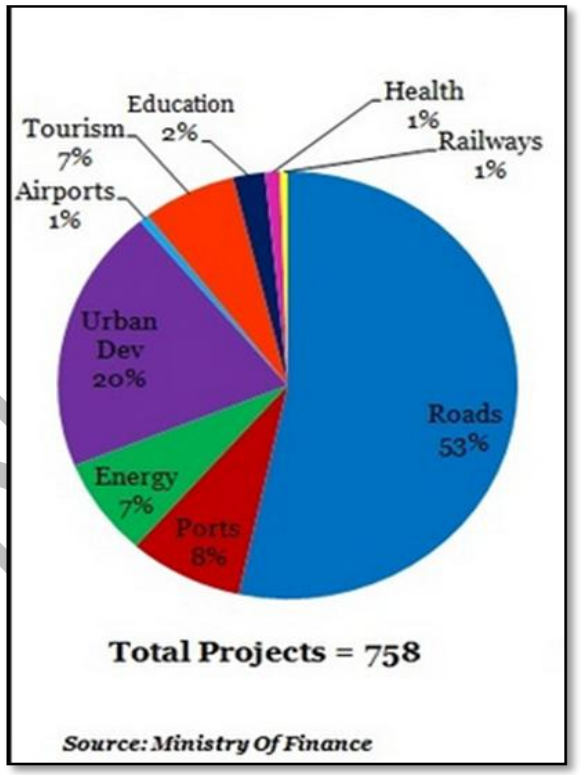

PPP की आवश्यकता क्यों है?

- जनसंख्या की निरंतर वृद्धि ने राज्य के संसाधनों पर दबाव डाला है। इस स्थिति में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) **अवसरंचनाओं से सम्बन्धित जोखिमों** का वहन कर **संसाधनों की कमी** का समाधान कर सकती है।
- इसका उद्देश्य मानव संसाधनों, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में **विशेषज्ञता और दक्षता** को बढ़ावा देना है।
- यह शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी **आवश्यक सेवाओं के वितरण** पर सरकार द्वारा ध्यान केन्द्रित करने का अवसर प्रदान कर सकती है।
- दीर्घकालीन निवेश के रूप में PPP, निजी भागीदारों के बीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है, जिससे दीर्घावधि आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।

PPP के लिए सरकारी पहल:

वाइबिलटी गैप फंडिंग (VGF) सब्सिडी: VGF केवल उन अवसंरचना परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराने का एक तन्त्र है, जिनके पास अत्यंत कम धन उपलब्ध होता है। इसके अंतर्गत कुल परियोजना लागत का लगभग 40% तक पूँजीगत अनुदान प्राप्त किया जा सकता है।

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड (IIPDF)– यह योजना PPP परियोजनाओं की परियोजना विकास गतिविधियों (व्यवहार्यता रिपोर्ट, परियोजना संरचना आदि) की वित्तीय सहायता के माध्यम से केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय निकायों की सहायता करती है।

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड(IIFCL)– इसकी स्थापना 2006 में अवसरंचना परियोजनाओं को बड़ी परिपक्वता अवधि से सम्बंधित दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने के लिए की गयी थी। इसका उद्देश्य ऐसी परियोजनाओं के लिए पर्याप्त ऋण वित्तपोषण सुनिश्चित करना है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) – अधिकांश क्षेत्रों के लिए स्वचालित मार्ग से PPP क्षेत्र में SPVs की इक्विटी के लिए 100% FDI की अनुमति है।

VISION

PPP मॉडल के प्रकार:

प्रबंधन अनुबंध:

- यह सार्वजनिक सुविधा या सेवा के सञ्चालन एवं रखरखाव के सभी कार्यों के लिए निजी क्षेत्र के साथ एक अनुबंध है जो अल्पावधि (3 से 5 वर्ष) से लेकर मध्यम अवधि (10 वर्ष) तक का हो सकता है।
- निजी इकाई को पूर्व निर्धारित दरों पर भुगतान किया जाता है। सेवा संबंधी प्रावधानों का अंतिम उत्तरदायित्व सार्वजनिक क्षेत्र में निहित होता है तथा दैनिक प्रबंधन नियन्त्रण और प्राधिकारों को निजी इकाई को सौंप दिया जाता है।

सेवा अनुबंध/संचालन और रखरखाव: सरकार द्वारा विशिष्ट सेवा देने के अधिकार या उपक्रम के एक भाग की परिसम्पत्तियों के संचालन और देखरेख का ठेका निजी इकाई को सौप दिया जाता हैं। इस प्रकार के अनुबंध प्रायः अन्य रियायती अनुबंधो की तुलना में कम अवधि के होते हैं।

पट्टा अनुबंध: इस प्रणाली में किसी विशिष्ट अवधि (5 से 10 वर्ष) के लिए रखरखाव और प्रबंधन का कार्य किसी निजी इकाई को पट्टे पर दिया जाता है।

बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT) और इसके विभिन्न प्रकार:

- **BOT** में संचालन और निर्माण का उत्तरदायित्व निजी भागीदार (प्रायः ग्रीनफील्ड) पर होता है, जबकि स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र का होता है। निजी भागीदार उपयोगकर्ताओं से कोई शुल्क एकत्र नहीं करता है। उसे सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा वार्षिक भुगतान (annuity) के माध्यम से कुल निवेश पर लाभ प्रदान किया जाता है।
- **डिजाइन-बिल्ड-फाइनेंस-ऑपरेट-ट्रांसफर (DBFOT):** इसकी संचालन अवधि प्रायः 20 वर्षों की होती है और टैरिफ के रूप में उच्च राजस्व प्राप्त होता है।
- **डिजाइन-बिल्ड:** इस स्थिति में कोई निजी इकाई अवसरंचना का डिजाइन और निर्माण कर उसे सार्वजनिक प्राधिकरण को हस्तांतरित कर देती है।
- **रिवर्स BOT माडल:** ऑफशोर प्रदाता, प्रारम्भ में कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करता है और बाद में उसे इकाई को खरीदने की अनुमति दे दी जाती है।

संयुक्त उपक्रम (PPP): इस मॉडल के अंतर्गत पूर्ण रूप से निजीकरण करने के स्थान पर अवसरंचना का सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र द्वारा सह-स्वामित्व और संचालन किया जाता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के भागीदार या तो एक नयी कम्पनी (SPV) बना सकते हैं या एक या अधिक निजी निवेशकों को शेयरों की बिक्री के माध्यम से वर्तमान कम्पनी का स्वामित्व ग्रहण कर लेते हैं।

इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (EPC)

- EPC के अंतर्गत, सरकार परियोजना के लिए धन प्रदान करेगी और निजी इकाई परियोजना के डिजाइन और निर्माण पर ध्यान केन्द्रित करेगी।
- सभी प्रकार का संचालन प्रबंधन (जैसे भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण अनुमति), जोखिम प्रबंधन और राजस्व संग्रहण सरकारी प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त, निजी ईकाइयाँ परियोजना को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं जिसे **एकमुश्त तैयार परियोजना (lump sum turnkey)** के रूप में जाना जाता है।

हाईब्रिड एन्यूइटी माडल (HAM)

- यह **इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (EPC)** तथा **बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर** (BOT) माडलों का मिलाजुला प्रतिरूप है, जिसमें सरकार और निजी कम्पनियां, कुल परियोजना की लागत को क्रमशः 40:60 के अनुपात में बाँट लेती हैं।
- सरकार पहले पांच वर्षों में वार्षिक भुगतान (annuity) के माध्यम से परियोजना लागत के 40% का योगदान करती है।
- इस मॉडल का उद्देश्य परियोजना कार्यान्वयन के चरणों के दौरान रियायत पाने वाले पर वित्तीय बोझ को कम करना है। इसके अतिरिक्त, इसमें निजी भागीदार को वित्तपोषण जोखिम का आंशिक रूप से ही वहन करना पड़ता है।
- उपर्युक्त माडलों की तुलना में HAM, समय के साथ मुद्रास्फीति समायोजित परियोजना लागत के प्रावधानों के माध्यम से नकदी प्रवाह को भी कम करेगा।

VISION IAS

स्विस चुनौती

- इस पद्धति में सरकार पब्लिक डोमेन में एक अनापेक्षित बोली का प्रस्ताव रखती है और एक निश्चित समय-सीमा के भीतर परियोजना को बेहतर या उन्नत बनाने के लिए दूसरों को आमंत्रित करती है। अनापेक्षित बोली लगाने वाला एक निजी व्यवसायी होता है जो एक नयी ढांचागत परियोजना के निर्माण के लिए सरकार से सम्पर्क करता है।

PPP पर केलकर समिति की मुख्य अनुशंसाएँ:

- वित्त मंत्रालय द्वारा एक **राष्ट्रीय PPP नीति दस्तावेज और 3PI संस्था** का निर्माण एवं प्रकाशन किया जाना चाहिए। यह संस्था उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करने, अनुसन्धान को बढ़ावा देने तथा क्षमता निर्माण हेतु गतिविधियों की समीक्षा एवं निर्माण कर सके।
- PPP परियोजनाओं में अवरोधों को कम करने हेतु एक PPP अवसंरचना परियोजना समिति (IPRC) और एक PPP अवसंरचना अधिनिर्णय न्यायाधिकरण (IPAT) की स्थापना की जानी चाहिए।
- निर्णय लेने में हुई वास्तविक त्रुटियों और भ्रष्टाचार के कृत्यों के बीच अंतर करने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 में संशोधन करना।
- बैंकों और वित्तीय संस्थानों को PPP के लिए जीरो कूपन बांडस **(ZCB)** जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना।
- मौद्रीकरण हेतु उन व्यवहार्य परियोजनाओं पर विचार किया जाना चाहिए जो **EPC** डिलीवरी के बाद स्थिर राजस्व प्रवाह रखती हैं।
- रियायती समझौतों में निवेश पर लाभ, गैर-वाणिज्यक उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग जैसे महत्त्वपूर्ण वाणिज्यक मानकों को निर्धारित करना चाहिए।
- **दीर्घकालिक निवेशकों हेतु अवसर उपलब्ध कराने चाहिए।** दीर्घकालिक बाध्यताओं के साथ विदेशी संस्थागत निवेशक PPP हेतु दीर्घकालिक वित्त पोषण मुहैया कराने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं।
- नीतिगत या आर्थिक परिवेश में अचानक परिवर्तन के कारण दीर्घावधि PPP परियोजनाओं में निजी भागीदार मोल-भाव करने की ताकत खो देता है अत: इन **"अप्रचलित मोलभाव"** के विरुद्ध सरंक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

वहनीय आवासों के लिए PPP नीति:

केंद्र सरकार ने वहनीय आवास के लिए एक नयी सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) नीति की घोषणा की है।

नीति के उद्देश्य

- 2022 तक 'सभी के लिए आवास'।
- निजी और सार्वजनिक प्रकार की कम-उपयोग की गयी तथा गैर-उपयोग वाली भूमियों के उपयोग का लाभ उठाना।
- यह सरकार, डेवलपर्स और वित्तीय संस्थानों के बीच जोखिम का निर्धारण करती है।

मुख्य बिंदु

- प्रस्तावित आठ PPP मॉडलों में से दो मॉडल मौद्रिक प्रोत्साहन पर आधारित हैं।
- *क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कम्पोनेंट* (CLSS) के अंतर्गत अग्रिम भुगतान पर बैंक ऋण पर ब्याज सब्सिडी के रूप में प्रत्येक घर के लिए 2.50 लाख रूपये की केन्द्रीय सहायता।
- यदि लाभार्थी बैंक से ऋण नहीं लेना चाहता है तो निजी भूमि पर बनाये जाने वाले प्रत्येक घर के लिए 1.50 लाख रूपये की केन्द्रीय सहायता दी जाएगी।

- PPP के छ: मॉडल- DBT मॉडल, क्रॉस-सब्सिडी वाले आवास का मिश्रित विकास, वार्षिकी आधारित रियायती आवास, वार्षिकी सह-पूंजी अनुदान आधारित किफायती आवास, प्रत्यक्ष संबंध स्वामित्व वाले आवास और प्रत्यक्ष संबंध किराया वाले आवास पर आधारित हैं।
- PMAY (शहरी) के अंतर्गत अपेक्षित लाभार्थी प्रति घर 1 लाख से 2.50 लाख रूपये तक की केन्द्रीय सहायता का लाभ ले सकते हैं।
- यह नीति 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले 53 शहरों और राज्यों की राजधानियों में *फ्लोर स्पेस इंडेक्स* मानकों के आधार पर समयबद्ध समीक्षा सुनिश्चित करेगी ताकि शहरों में मौजूद अपर्याप्त भूमि का बेहतर उपयोग संभव हो सके।

समस्याएं और समाधान

CAG द्वारा चिह्नित की गयीं PPP की क्षेत्र विशिष्ट समस्याएं निम्नलिखित हैं। इनके समाधान हेतु केलकर समिति द्वारा अनुशंसाएँ दी गयी हैं:

क्षेत्र	CAG द्वारा चिह्नित समस्या	केलकर समिति की अनुशंसाएं
बन्दरगाह	• निविदाओं को अंतिम रूप देने में समय लगने, सुरक्षा अनुमतियों, रियायत अनुबंध और निविदा प्रक्रियाओं में देरी के कारण अधिकांश परियोजनाओं में देरी होती है। • पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने में देरी। • परियोजना स्थलों और बैक-अप क्षेत्रों के सौंपे जाने में देरी।	• समग्र पर्यावरणीय क्लीयरेंस प्रक्रियाओं को गति देने के लिए व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। • तटीय विनियमन क्षेत्रों के सीमांकन के लिए और अधिक संस्थाओं को अधिकृत किये जाने की आवश्यकता है। • प्रवर्तनीय दायित्वों के माध्यम से भूमि, यूटिलिटीज़, ड्रेजिंग, रेल और सड़क निकास अवसरंचना जैसी सहयोगी आधारभूत अवसरंचनाएँ सुलभ करवाना।
सड़क	• NHAI द्वारा रियायत अवधि के निर्धारण के लिए भारवहन क्षमता/टोल योग्य यातायात को मापदंड के रूप में अपनाने में असंगति के परिणामस्वरुप सड़क उपयोगकर्ताओं पर बड़ी रियायत अवधि तथा उच्च टोल का भार बढ़ता है। • मिनिमम थ्रेसहोल्ड ट्रैफिक के देर से आकलन होने के बावजूद परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी। • रियायत पाने वालों के द्वारा परियोजना की कुल लागत (TPC) की गणना NHAI द्वारा की गयी गणना से अधिक थी। 25 परियोजनाओं में रियायत पाने वालों द्वारा की गयी परियोजना की कुल लागत (TPC) 50% तक अधिक थी।	• BOT टोल परियोजनाओं के मामले में लम्बी रियायत अवधि वाली परियोजनाओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। NHAI, रियायत पाने वालों के अलग अलग मामलों के आधार पर राजस्व भागीदारी का विकल्प चुन सकता है। • जो परियोजनाएं BOT टोल के आधार पर व्यवहार्य नहीं हैं, उनके लिए हाइब्रिड मॉडल, VGF, पार्ट एन्युटी, O&M अनुदान और ऋण के अन्य उपायों पर विचार किया जा सकता है। • रियायत देने वाला, प्राधिकरण द्वारा एक आभासी बोली का अनुमान लगाने हेतु, प्रोजेक्ट संरचना पर हितधारक के विचारों और वित्तीय व्यवहार्यता विश्लेषण के लिए मांग मूल्यांकन सहित विस्तृत परियोजना विकास गतिविधियों को संचालित कर सकता है। इसका उपयोग वास्तविक बोली प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।

VISION IAS

रेलवे	• रेलवे परियोजनाओं में PPP को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त प्रचार का अभाव • तकनीकी गड़बड़ियों के कारण अधिकांश अनुमोदित परियोजनाओं को रोक दिया गया है।	• विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए पहले सरल परियोजनाएं क्रियान्वित की जाएँ। • इस प्रकार की परियोजनाएं मौजूदा स्टेशनों के ब्राउनफील्ड मुद्रीकरण या नए स्टेशनों ग्रीनफील्ड विकास की हो सकती हैं। • *ट्रैक-एक्सेस चार्जेज* जैसे तकनीकी मुद्दों के लिए नियामक प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए।
हवाई अड्डे	• हवाई अड्डों में PPP की सफलता अपेक्षाकृत अच्छी है, परन्तु नकारात्मक रिटर्न से निपटने के लिय समग्र नीति का अभाव है। • विमान के टरबाइन ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ावों ने निजी संस्थाओं के बीच नकारात्मक दुविधा उत्पन्न की है।	• एक ऐसी नीति तैयार की जानी चाहिए जो क्षेत्र के अपेक्षित विकास मापदंड़ो का पता लगाये और PPP को प्रोत्साहित करे। • रियायत अनुबंध में महत्त्वपूर्ण वाणिज्यक मानकों के शेयर पर लाभांश, भूमि का गैर-वाणिज्यक उद्देश्य के लिए उपयोग इत्यादि का निर्धारण किया जाना चाहिए। • निर्धारित अवसरंचना एवं राजस्व भागीदारी तन्त्र के साथ ब्राऊनफील्ड और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का विकास किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

वर्तमान समय में भारत के पास एक बड़ी युवा जनसंख्या है जो भारत को प्राप्त वैश्विक लाभ की स्थिति को दर्शाता है। इसके लिए अच्छी नौकरियों और वैश्विक बचत के एक विशाल स्रोत की आवश्यकता है जिसका उपयोग हम ढांचागत निर्माण के लिए कर सकते हैं। PPP एक महत्त्वपूर्ण नीतिगत साधन है जिसके माध्यम से भारत अपने आर्थिक वृद्धि और विकास की गति को तेज़ कर सकता है। अतः अवसरंचना में PPP की सफलता और बढ़ता महत्त्व देश के विकास को गति देने में समर्थ होगा।

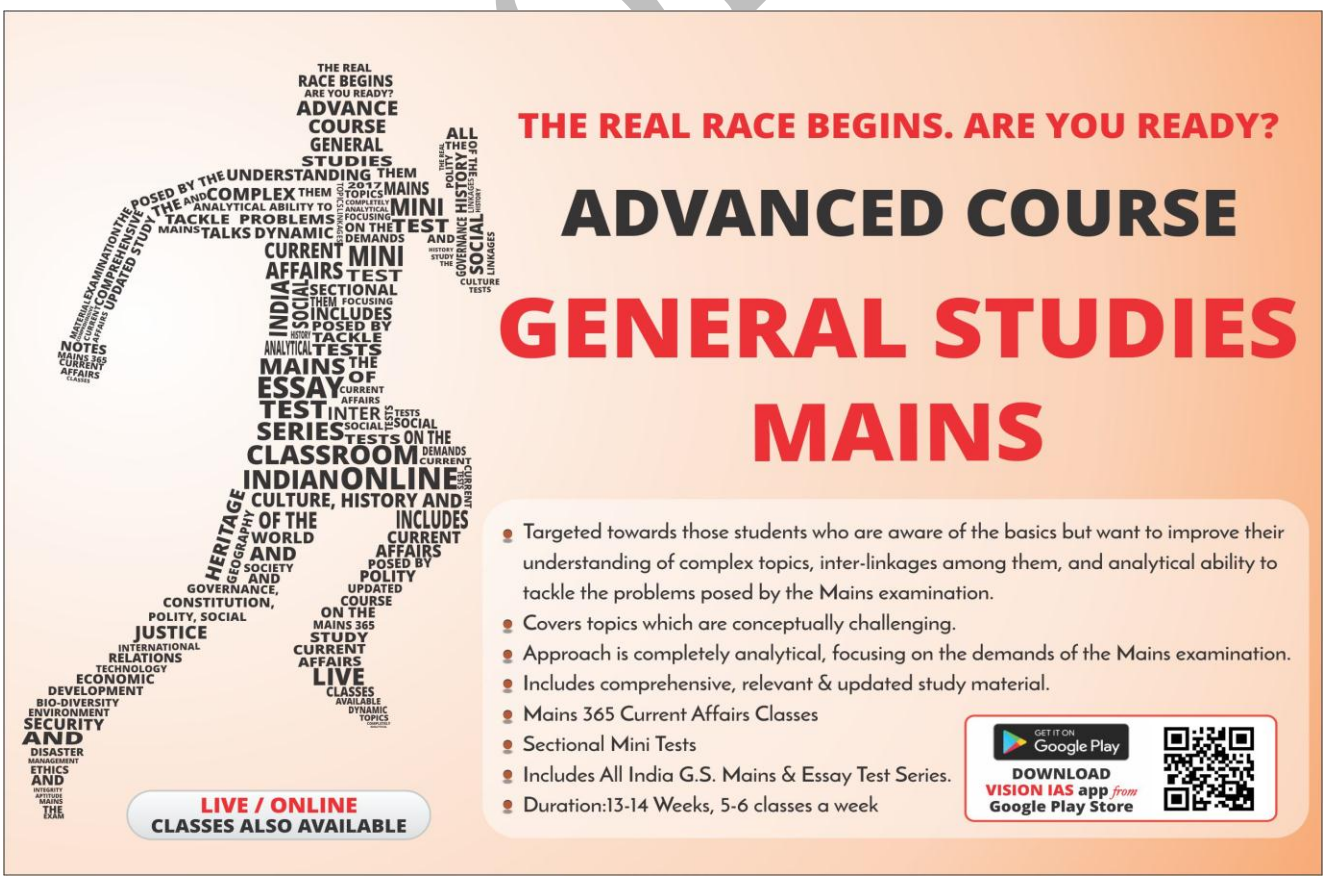

10. भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक

(SECTORS OF INDIA ECONOMY)

10.1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

(Micro, Small And Medium Enterprises: Msme)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 MSMEs को निम्नलिखित आधारों पर परिभाषित करता है:

- विनिर्माण या उत्पादन, प्रसंस्करण या **वस्तुओं** के सरंक्षण में लगे हुए उद्यमों के लिए संयंत्रों और मशीनरी में निवेश।
- **सेवाएं** प्रदान करने या प्रस्तुत करने में लगे हुए उद्यमों के लिए उपकरणों में निवेश।

	विनिर्माण	**सेवाएँ**
सूक्ष्म	25 लाख रुपयों से अधिक नहीं	10 लाख रुपयों से अधिक नहीं।
लघु	25 लाख से अधिक परन्तु 500 लाख से अधिक नहीं।	10 लाख से अधिक परन्तु 200 लाख से अधिक नहीं।
मध्यम	500 लाख से अधिक परन्तु 1000 लाख से अधिक नहीं।	200 लाख से अधिक परन्तु 500 लाख से अधिक नहीं।

MSME का महत्व :

- यह देश के सकल घरेलू उत्पाद में 31% और समग्र निर्यात तथा विनिर्माण उत्पादन में क्रमशः 45% और 34% का योगदान करता है (2017 की रिपोर्ट)।
- कम पूँजी और प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं के साथ बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहा है। MSME मंत्रालय के अनुसार, इस क्षेत्रक ने देश भर में विस्तृत लगभग 46 मिलियन इकाइयों के माध्यम से लगभग 100 मिलियन नौकरियों का सृजन किया है।
- ये ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास, परम्परागत या विरासत में मिले कौशल का उपयोग, स्थानीय संसाधनों का उपयोग, संसाधनों को जुटाने और उत्पादों की निर्यात क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
- इस क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला के अतिरिक्त, यह क्षेत्र पारम्परिक से लेकर उच्च तकनीकी वस्तुओं तक के 6000 से अधिक उत्पादों के उत्पादन में संलग्न है।
- वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिस्थितियों के लिए लचीलापन। इस क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में 10% से भी अधिक वार्षिक संवृद्धि दर बनाए रखी है।
- यह कृषि क्षेत्र के बाहर स्व-रोजगार और मजदूरी आधारित रोजगार दोनों को बढ़ावा देता है।
- कम लागत, संतुलित क्षेत्रीय विकास, लैंगिक और सामाजिक संतुलन, पर्यावरणीय संधारणीय विकास आदि पर गैर-कृषि आजीविका के सृजन के माध्यम से समावेशी और स्थायी समाज के निर्माण में सहायक है।

MSME नीति का प्रारूप

- इस नीति का निर्माण **प्रभात कुमार समिति** की अनुशंसाओं के आधार पर किया गया है।
- इसमें लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों में मौद्रिक निवेश की सीमा बढ़ाने के उद्देश्य के साथ-साथ MSMEs के वर्गीकरण में भी परिवर्तन का प्रस्ताव रखा गया है।
- इसके अंतर्गत प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में एक व्यापक नीति-निर्माण प्राधिकरण की स्थापना की मांग की गयी है।
- MUDRA योजना के तहत ऋण सीमा में वृद्धि कर इसे सूक्ष्म इकाइयों के लिए 50,000 से 1 लाख रूपए तक, लघु इकाइयों के लिए 50,000 - 5 से 1 -10 लाख तक और मध्यम उद्यमों के लिए 5-10 लाख से 10-25 लाख रुपयों तक कर दिया गया है।
- 40 से कम कर्मचारियों वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमियों तथा सूक्ष्म उद्यमियों हेतु सामाजिक सुरक्षा कवर के लिए एक ही कानून होगा।
- नीति में MSMEs पर दिवालियापन संहिता के प्रभाव के पुनर्मूल्यांकन हेतु, स्टार्ट-अप के लिए वैधानिक अनुमोदन हेतु तेलंगाना प्रारूप तथा राज्य सरकारों द्वारा भूमि बैंक बनाने के सुझाव दिए गए हैं।

VISION IAS

MSMEs के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ

- **प्रवर्धन(scaling up) का अभाव:** अधिकांश अपंजीकृत MSMEs में मुख्यत सूक्ष्म उद्यम सम्मिलित होते हैं, जो मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित होते हैं।
- **वित्तपोषण:** इस क्षेत्र में हमेशा धन का अभाव रहता है। बैंक प्रायः इन्हें ऋण देने की लिए तैयार नहीं होते। इसके अतिरिक्त, जो भी बैंक इस क्षेत्र को वित्त प्रदान करते हैं, उसकी ब्याज दर बहुत अधिक होती है जबकि ऐसे ही ऋण की ब्याज दर के लिए बड़े उद्यम मोलभाव करने में समर्थ होते हैं।
- **कार्यशील पूँजी प्रबन्धन:** लंबे प्राप्य चक्र(receivables cycles) कार्यशील पूँजी प्रबन्धन को अस्तव्यस्त कर देते हैं।
- **कुशल श्रमशक्ति और प्रौद्योगिकी तक पहंच:** प्रशिक्षित श्रम, तकनीकी प्रगति और प्रबन्धन सहायता तक सीमित पहुंच विकास को सीमित कर देता है।
- **गुणवत्ता के मुद्दे:** नए बाजारों में प्रवेश के लिए गुणवत्ता आश्वासन/प्रमाणन, उत्पादों का मानकीकरण और उचित विपणन मार्ग की आवश्यकता होती है।
- **अवसंरचना संबंधी चुनौतियां:** यथा सुनिश्चित बिजली, परिवहन सुविधा, बन्दरगाहों तक पहुंच।
- **विनियामक मुद्दे:** श्रम कानूनों, कराधान नीति, पर्यावरणीय कानूनों इत्यादि के द्वारा उत्पन्न बाधाएं।

नई नीति का सुझाव :

- सफल नीति कार्यान्वयन के लिए MSMEs के समक्ष आने वाली समस्याओं को पृथक तरीके से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये विविध उत्पादों का उत्पादन करते हैं, विभिन्न आगत(इनपुट्स) का उपयोग करते हैं तथा विभिन्न वातावरणों में कार्य करते हैं।
- कर प्रावधान और कानून न केवल श्रमिक अनुकूल हों बल्कि उद्यमियों के अनुकूल भी हों।
- श्रमिकों और उद्यमियों दोनों के लिए कौशल विकास का सृजन एवं इसका निरंतर उन्नयन।
- MSMEs चलाने वाले उद्यमियों के लिए प्रबन्धन कौशल विकास। इसके अतिरिक्त सरकार कृषि कार्यक्रमों की भांति छोटे व्यवसायों को चलाने वाले उद्यमियों को शिक्षित करने में सहायता करने के लिए रेडियो कार्यक्रमों को चलाए जाने पर विचार कर रही है।
- **अनुषंगीकरण:** सुनिश्चित विपणन, तकनीकी सहायता, वित्त और कच्चे माल तथा प्रशिक्षण की आपूर्ति द्वारा **अनुषंगी इकाई** और उप-अनुबंधों में वृद्धि MSME के लिए बहुत लाभप्रद होगी।
- **बैंकों द्वारा MSMEs के वित्तपोषण हेतु** आकलन के लिए बैंक कर्मचारियों का कौशल विकास।
- उद्योग-शिक्षा-अनुसन्धान के सम्बन्धों को बढ़ावा देना।

MSME के लिए सरकार के उपक्रम

स्वतंत्रता के पश्चात MSME को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित नीतियाँ अपनाई हैं:

- अनन्य उत्पादन के लिए उत्पादों का आरक्षण
- तकनीकी और विपणन सहायता
- अनुदानित और निर्देशित बैंक ऋण
- वित्तीय रियायतें

हाल ही में की गईं पहलें:

- नए सूक्ष्म और लघु उद्यम-संकुल विकास कार्यक्रम के माध्यम से सरकार द्वारा इन उद्यमों के समग्र और एकीकृत विकास के लिए अल्प हस्तक्षेप(soft interventions), अधिक हस्तक्षेप(hard interventions) और अवसरंचना के उन्नयन द्वारा उनकी उत्पादकता और प्रतिभा को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

VISION IAS

- क्रेडिट लिंक्ड पूँजी अनुदान योजना भी MSMEs के तकनीकी उन्नयन में सहायता करती है।
- राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम, इन उद्यमों को गुणवत्ता उन्नयन, उत्पादकता, डिजाइन विकास, ऊर्जा दक्षता और विपणन के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी आधारित उपकरणों से लैस करने के लिए तैयार है।
- MSMEs को सुनिश्चित वित्त पोषण प्रदान करने हेतु सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) और प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना।
- **निर्यात को प्रोत्साहित करने और पर्यावरणीय प्रभाव को सीमित करने के लिए** कम प्रतिस्पर्धात्मक विनिर्माण योजना (Lean Manufacturing Competitiveness Scheme:LMCS) और **शून्य दोष और शून्य प्रभाव विनिर्माण।**
- रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए MSMEs की रुपरेखा का पुनरुद्धार और पुनर्वास।

10.2. पर्यटन उद्योग

(Tourism Industry)

विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद (WTTC) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश की GDP में कुल योगदान के मामले में भारत का यात्रा और पर्यटन क्षेत्रक 7वें स्थान पर है। इसी प्रकार विश्व पर्यटन संघ के अनुसार 2025 तक भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या 15.3 मिलियन तक पहुंचने की आशा है।

राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2015 का प्रारूप

- यह प्रारूप पूर्ववर्ती राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2002 का संशोधित रूप है।
- इसका लक्ष्य 2020 तक विश्व के कुल पर्यटकों के भारत में आगमन को 0.68% से बढ़ाकर 1% करना तथा अगले पांच वर्ष की अवधि में इसे दोगुना (2%) कर देना है।
- इसका उद्देश्य वैश्विक पर्यटन परिदृश्य में भारत को एक **बार अवश्य आने और इसकी अनुभूति करने योग्य देश (MUST EXPERIENCE and MUST VISITED)** बनाना है।
- यह नीति "उत्तरदायी और स्थायी" पर्यटन प्रतिमान पर आधारित है।
- सरकार-निर्देशित, निजी क्षेत्र -संचालित और समुदाय केन्द्रित पर्यटन ढांचे का विकास।
- नीतिगत मामलों को निष्पादित करने के लिए नीति में राष्ट्रीय पर्यटन परामर्श बोर्ड और राष्ट्रीय पर्यटन प्राधिकरण की परिकल्पना की गयी है।
- बुद्ध सर्किट, रामायण सर्किट, हिमालय सर्किट, हेरिटेज सर्किट इत्यादि के एकीकृत दृष्टिकोण के साथ आधारिक अवसरंचना विकसित करने को प्राथमिकता दी जाएगी।
- यह मूल्य संवर्धन और स्वागत, सूचना, सुविधा, सुरक्षा, सहयोग, संरचना विकास और सफाई के कठोर अनुपालन पर आधारित है।
- पर्यटन सेवा प्रदाताओं के लिए सेवा कर को सुव्यवस्थित और तर्कसंगत बनाना क्योंकि करों की बहुलता के कारण एक ही जैसे पर्यटक उत्पादों, भोजन और कमरों पर अलग अलग कर लगते हैं।

पर्यटन क्षेत्र का विश्लेषण :

सबल पक्ष

- हमारा देश एक रमणीय प्राकृतिक सुन्दरता युक्त परिदृश्य धारण करता है और प्रत्येक प्रकार के यात्री को संतुष्ट करने में समर्थ है; चाहे वे साहसिक, स्वास्थ्य, संस्कृति और विरासत या व्यंजनों की खोज में क्यों न आए हों।

- सेवा आधारित पर्यटन उद्योग के कारण कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के विशाल श्रमिक बल की उपलब्धता एक उत्प्रेरक का कार्य कर सकती है।
- भारत के रत्न और आभूषण, हस्तशिल्प पर्यटकों में बहुत लोकप्रिय हैं। एक पर्यटक अपने औसत बजट का 40% स्मृति चिन्हों और अन्य वस्तुओं की खरीद पर खर्च करता है।
- **चिकित्सा पर्यटन:** भारत चिकित्सा पर्यटन के लिए सबसे अधिक पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभर रहा है। शीर्ष स्तरीय चिकित्सक, निजीकृत नर्सिंग देखभाल के साथ-साथ विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता के कारण भारत विकसित देशों की तुलना में एक चौथाई लागत पर विशिष्ट उपचार प्रदान कर सकता है।

कमजोरियाँ

- पर्यटन केन्द्रित अवसंरचना की कमी के कारण पर्यटन उद्योग का इष्टतम उपयोग (कुल क्षमता का केवल 43 प्रतिशत) नहीं हो पाया है।(देशों की तुलना के लिए बॉक्स को देखें।)

Indicators	China	India	USA
Foreign Visitors to Heritage sites (Numbers)	Great Wall* (Total 10 million, 3 million Foreign)	Taj Mahal (Total 4.6 million, 0.5 million foreign)	Statue of Liberty* (Total 5 million, 2 million foreign)
Domestic Tourism (Numbers)	3.6 billion	1.7 billion	2.2 billion
Ratio of Domestic Tourism to Population	2.6	1.3	6.6
Foreign Tourist arrivals in major cities	Beijing* (4.5 million foreign, 250 million domestic)	New Delhi* (2.4 million foreign and 25 million domestic)	New York* (10.1 million foreign, 50 million domestic)
International Conventions Rating	Rank 9 with 333 meetings	Rank 31 with 132 meetings	Rank 1 with 925 meetings

- चूंकि पर्यटन उद्योग, होटल और आवास, विमानन, रेलवे, सड़क मार्ग, स्वास्थ्य देखभाल, मनोरंजन आदि जैसे कई अन्य उद्योगों के साथ निकटता से जुड़ा है, इसलिए सभी क्षेत्रकों की एकीकृत कमजोरियां इसे और अधिक सुभेद्य बना देती है।
- इसके अतिरिक्त, भारत में यात्रा और आवास की लागत पड़ोसी देशों से अधिक है। होटलों की सीमित आपूर्ति और विमानन के करों के अधिक होने का अर्थ है कि अत्यधिक संख्या में भारतीय छुट्टियाँ मनाने के लिए विदेशों में जाना पसंद करेंगे।
- अभी भी भारत को रहस्यमय आकर्षण, प्राचीन सभ्यता पर केन्द्रित बनाए रखने का दृष्टिकोण ही भारत के पर्यटन स्थलों की मार्केटिंग में पिछड़ने का कारण है। जबकि भारत किसी भी अन्य दक्षिणी-पूर्वी एशियाई देश से कहीं बेहतर है।
- सूचना प्रसार का अभाव और भाषा, विशेषकर गैर-अंग्रेजी भाषाई लोगों के लिए अवरोध उत्पन्न करते हैं।

अवसर

- भारत में पर्यटन सकल घरेलू उत्पाद का 9.6 प्रतिशत है और देश के लिए तीसरा बड़ा विदेशी मुद्रा अर्जक क्षेत्र है। मार्च 2017 तक, देश के लिए इस क्षेत्र से विदेशी मुद्रा की कमाई $23.1 बिलियन से अधिक है, जिसमें 2016 की तुलना में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि दर सम्मिलित है।
- यात्रा और पर्यटन क्षेत्रक का GDP के लिए योगदान 2027 तक 147.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की आशा है।

- देश में कुल नौकरियों का 9.3% इसी क्षेत्र से आता है। 2016 में पर्यटन ने 40.3 मिलियन नौकरियां उत्पन्न की थी। इस क्षेत्र से उत्पन्न कुल रोजगार के मामले में भारत का दुनिया में दूसरा स्थान है।
- अन्य देशों की तुलना में पर्यटक आगमन में भारत का स्थान बेहतर है।

तुलनात्मक पर्यटन प्रदर्शन संकेतक

- इस क्षेत्र में 18 प्रतिशत जनसांख्यिकीय लाभांश और भारत के **स्किल इण्डिया मिशन** के अंतर्गत कौशल निर्माण के उपयोग की विशाल क्षमता है।
- सिनेमा और थियेटर विदेशियों को एक दृश्यात्मक मंच प्रदान करते हैं। सीमावर्ती देशों में भारतीय फिल्मों का प्रचार भी पर्यटकों के आगमन के सन्दर्भ में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकता है।
- **'स्वच्छ भारत'** अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार ऐतिहासिक स्मारकों के प्रबन्धन के लिए कॉर्पोरेट भागीदारों की भी तलाश कर रही है।

संकट

- भारत में घरेलू सुरक्षा और सीमापार आंतकवाद, दोनों ही के सन्दर्भ में कई सुरक्षा जोखिम हैं। उदाहरण के लिए मुम्बई में विदेशी पर्यटकों पर आतंकवादी हमला।
- विश्व आर्थिक मंच की यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट(Travel and Tourism Competitiveness Report) 2017 में भारत को सुरक्षा और मानदंडों पर 139 वैश्विक अर्थव्यस्थाओं की सूची में 40वें (2016 की रैंकिंग में 12 अंकों का सुधार) स्थान पर रखा गया है। हालाँकि अपराधों में होने वाली वृद्धि एवं हाल ही में महिलाओं पर हाई-प्रोफाइल हमलों के पश्चात स्विटजरलैंड और जापान ने भारत आने वाले यात्रियों के लिए दिशानिर्देश जारी किये हैं।
- व्यापक निर्धनता, भिखारियों की उपस्थिति, चोरी और उत्पीड़न इत्यादि भारतीय समाज के सम्बन्ध में विदेशियों के मन में नकारात्मक धारणा बनाते हैं, जिससे पर्यटन क्षमता के लिए अवरोध उत्पन्न होते हैं।
- विशाल स्तर पर राजनीतिक प्रदर्शन सुरक्षा जोखिम को बढ़ा देते हैं तथा मौसम की चरम स्थितियाँ और पर्यटन के लिए अनियमित आधारिक अवसरंचना से पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न हो सकते हैं। उदाहरण उत्तराखंड में 2013 में आई बाढ़।

सरकार की अन्य पहलें

- सरकार ने केन्द्रीय बजट 2017-18 में पांच विशेष पर्यटन क्षेत्रों की स्थापना, विशेष तीर्थयात्रा या पर्यटन ट्रेन और विश्व भर में अतुल्य भारत (इनक्रेडिबल इंडिया) अभियान का शुभारम्भ किया है।
- पर्यटन मंत्रालय ने अन्य मंत्रालयों के सहयोग से कई योजनायें आरम्भ की हैं जैसे, स्वदेश दर्शन, राष्ट्रीय तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान (PRASAD)। इसके साथ ही ई-पर्यटक वीजा (e-TV) और ई-पर्यटक वीजा सुविधा का विस्तार 161 देशों में किया गया है।
- **'मेडिकल वीजा और मेडिकल अटेंडेंट वीजा'** नामक एक विशेष वीजा श्रेणी बनाई गयी है, जो चिकित्सा पर्यटकों के प्रवेश को सुगम बना देगी।
- जुलाई 2017 में पर्यटन मंत्रालय ने संशोधित दिशा-निर्देशों के साथ चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयुष सुविधाओं में वृद्धि की है।
- पर्यटन और अचल सम्पत्तियों जैसी विकास गतिविधियों के लिए 7,500 कि.मी. लम्बी समुद्र तटीय रेखा को खोलने के लिए सरकार भारत के तटीय नियमों में संशोधन की योजना बना रही है।
- महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम (MTDC) ने नागपुर के निकट वेस्टर्न कोलफील्ड्स की गोंडेगाँव की खुली कोयला खदान और सांवर की भूमिगत कोयला खदानों का दौरा करने का एक अनूठा अनुभव प्रस्तुत किया है।
- सरकार ने होटल और रिजॉर्ट्स, मनोरंजन सुविधाओं और शहर तथा क्षेत्रीय स्तर की अवसंरचना के निर्माण और विकास सहित सभी परियोजनाओं के लिए स्व-अनुमोदित मार्ग से 100% FDI और पांच वर्ष के लिए कर से अवकाश की अनुमति दे दी है।

VISION IAS

10.3. औषध नीति 2017 का मसौदा

(Draft Pharmaceutical Policy 2017)

सुर्खियों में क्यों?

- औषध विभाग द्वारा मसौदा नीति जारी की गई है।

भारतीय औषध क्षेत्रक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य

- मात्रा की दृष्टि से वैश्विक रूप से यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा औषध बाजार है।
- 2016-17 में निर्यात वृद्धि में 0.6% की मामूली सी गिरावट आई है।
- भारत विश्व के लिए जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्ति कर्ता है और मात्रा के संदर्भ में वैश्विक निर्यात में 20 % का भागीदार है।
- ग्रीनफील्ड फार्मा के लिए स्वत: मार्ग (automatic route) के अंतर्गत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।
- ब्राउनफील्ड फार्मा के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है लेकिन 74% से अधिक हेतु सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

प्रमुख प्रावधान

- **घरेलू सक्रिय दवा अवयव (Active Pharmaceutical Ingredient-API) विनिर्माण पर जोर**: स्थानीय रूप से निर्मित सक्रिय दवा अवयवों के स्रोत का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन देकर जैसे कि विशेष रूप से देश में विनिर्मित किए जा सकने वाले आयातित सक्रिय दवा अवयवों पर उच्च शुल्क अधिरोपित करना, मूल्य नियंत्रण से छूट प्रदान करना, सरकारी खरीद में वरीयता, मेगा बल्क ड्रग्स पार्कों की स्थापना, इस प्रकार के संयंत्रों की स्थापना के लिए पर्याप्त लॉजिस्टिक एवं समय पर अनुमित प्रदान करना।
- **विनिर्माण इकाइयों में गुणवत्ता नियंत्रण** – विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के गुणवत्ता मानकों को अपना कर, तृतीय पक्ष (3rd party) निरीक्षकों द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा एवं सभी दवा विनिर्माण अनुमतियों के लिए जैव-उपलब्धता एवं जैव तुल्यता परीक्षण (Bio-Availability and Bio Equivalence Tests-BA/BE Test) हेतु स्व-प्रमाणन को अनिवार्य कर।

ऋण लाइसेंसिंग दवा विनिर्माण का अर्थ ऋण लाइसेंस अनुबंध का उपयोग कर अपने उत्पादों को अन्य के परिसर में विनिर्मित करना है।

- **मूल्य निर्धारण नियंत्रण** – अतिरिक्त व्यापार लाभों को युक्ति संगत कर ई-फार्मेसियों की तरह नए वितरण चैनलों को अनुमति प्रदान करने से चैनल की लागत इत्यादि में कटौती होगी।
- **जेनरिक दवाइयों को प्रोत्साहित करना**– सभी प्रकार की सार्वजनिक अधिप्राप्ति जेनरिक/लवण नाम के आधार पर की जानी है। ब्रांड नामों की अनुमति केवल पेटेंट दवाओं एवं FDCs (निर्धारित खुराक संयोजनों) के मामले में होगी।
- **इनबाउन्ड ब्राउनफ़ील्ड विलय एवं अधिग्रहण शर्तें** – प्रद्योगिकी का हस्तांतरण, शोध एवं विकास पर व्यय, विलय एवं अधिग्रहण के प्रमुख विचार के रूप में NLEM (आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची) के विनिर्माण को जारी रखना।
- **'ऋण लाइसेंसिंग' अभ्यास को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना** – क्योंकि यह कई गुणवत्ता आश्वासन और रख-रखाव आदि सम्बन्धी समस्याएँ उत्पन्न करता है। ऐसी जैवऔषधियों को अपवाद में रखा गया है जिनके लिए भारत अपेक्षाकृत नवजात अवस्था में है। अन्य सभी को WHO द्वारा अनुमोदित विनिर्माण इकाई से कंपनियों के कुल उत्पादन के केवल 10% तक के उत्पादन की अनुमति दी गई है।

VISION IAS

- **समय पर अनुमोदन** - सभी नए दवा अनुप्रयोगों का निर्धारण राज्य या केंद्रीय नियामकों द्वारा 3 महीने के भीतर किया जाएगा। विलम्ब होने पर (3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है) आवेदक को विस्तृत कारण लिखित रूप से बताना पड़ेगा।
- **अनैतिक विपणन प्रथाओं की समाप्ति** - विपणन के लिए स्वैच्छिक कोड को अनिवार्य आवश्यकता बनाकर दवाओं की ब्रांडिंग के लिए नियम निर्धारित किया जाना चाहिए तथा इसे लागू करने के लिए किसी एजेंसी की नियुक्ति एवं नियमों का उल्लंघन करने पर उस कंपनी के द्वारा दवाओं की सबसे ज्यादा बिक्री वाले ब्रांड पर प्रतिबंध या सभी पैकेट की जब्ती आदि दण्ड देना।
- **राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण** (NPPA) **की शक्तियों का संशोधन करना** – निम्नलिखित उपायों के माध्यम से-
    - इसके द्वारा केवल आवश्यक दवाओं के विनियमन की अनुमति प्रदान करना। इस प्रकार, यह पेटेंट दवाओं की कीमतें नियत करने एवं अन्य दवाओं और चिकित्सा उपकरणों को विनियमित करने के लिए असामान्य परिस्थितियों के समय नियमन करने का अधिकार खो देगा।
    - इसे एक सलाहकार बोर्ड द्वारा सशक्त किया जाना है, जिसमें राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण **(NPPA)** को इसके मूल्य संबंधित कार्यों को सम्पन्न करने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु विशेषज्ञ शामिल होंगे। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण **(NPPA)** को अपनी अनुशंसाओं को संशोधित करने या अस्वीकृत करने के लिए लिखित रूप से कारण बताने की आवश्यकता होगी।
    - राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण **(NPPA)** के विरुद्ध अपील पर निर्णय करने का अधिकार सरकार को होगा, जबकि सरकार के निर्णय के विरुद्ध अपील न्यायपालिका में की जायेगी।
    - राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण **(NPPA)** के सभी निर्णयों की समीक्षा के माध्यम से अधिकाधिक निरीक्षण करना। वर्तमान में, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत पारित आदेश राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण **(NPPA)** को "असाधारण शक्तियाँ" प्रदान करते हैं एवं इनकी समीक्षा नहीं की जा सकती।
    - औषध मूल्य नियंत्रण आदेश (DPCO) की अनुसूची 1 में इसकी खुराक या शक्ति का संदर्भ दिए बिना केवल दवा का नाम चिन्हित होगा इस प्रकार सभी दवाओं को अधिकतक मूल्य सीमा के अंतर्गत लाकर **एक-औषधि-एक ब्राण्ड नाम –एक मूल्य** की स्थिति की ओर अग्रसर होना है।
- कंप्यूटरीकृत बिलिंग संभव करने के लिए दवाओं के मूल्य की जानकारी वाले **अपरिवर्ती बार कोड का अनिवार्य प्रावधान** लागू किया जाएगा।
- चिकित्सकों को किसी भी परेशानी के बिना जेनेरिक नाम का प्रिस्क्रीप्शन लिखने में सक्षम करने के लिए **E-प्रिस्क्रीप्शन का प्रस्ताव।**

मुद्दे

- तृतीय-पक्ष विनिर्माण या ऋण लाइसेंसिंग को समाप्त करना उद्योग के लिए नकारात्मक होगा, क्योंकि यह लगभग 40-50% स्थानीय दवाओं का स्रोत है। यह अनुप्रयुक्त क्षमता की अधिकता को भी उत्पन्न करेगा।
- यह स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं करता कि चिकित्सकों को दवाओं के प्रिस्क्रीप्शन में अनिवार्य रूप से उनके जेनेरिक नामों को लिखना होगा। साथ ही कुछ जेनेरिक दवाओं की प्रभावकारिता, सुरक्षा और प्रभावशीलता पर भी चिंताएं हैं, क्योंकि उनके BA/BE टेस्ट नहीं होते हैं।
- यह सीमित प्रतिस्पर्धा एवं प्रचलित मूल्यों पर ऐसी दवाओं के विनिर्माण में बढ़ी हुई चुनौतियों के कारण अच्छी गुणवत्ता वाली दवाओं की उपलब्धता से समझौता कर रोगियों को क्षति पहुँचा सकता है।
- यह विनिर्माण और विपणन प्रथाओं के अपेक्षाकृत उच्च मानकों का पालन करने की आवश्यकता के कारण छोटे फर्मों की तुलना में बड़ी फार्मा कंपनियों के प्रति अधिक अनुकूल है।
- व्यापार लाभों पर ऊपरी सीमा अधिरोपित करने से सभी प्रकार की गुणवत्ता वाली दवाओं के लिए समान लाभ की स्थिति उत्पन्न कर देगा। इस प्रकार यह निम्न गुणवत्ता के लिए अधिक अनुकूल होगा।

- आरोप लगाया गया है कि औषध विभाग ने नीति का मसौदा तैयार करने में "पारदर्शी" प्रक्रिया का पालन नहीं किया है, क्योंकि इसने सार्वजनिक स्वास्थ्य समूहों के साथ बातचीत नहीं की थी एवं हितधारकों के साथ अपनी चर्चाओं को औषध क्षेत्रक तक सीमित कर दिया था।
- जबकि भारत के पास 2,500 औषधीय साल्ट "विभिन्न मूल्यों वाले 60,000 ब्रांड नाम" से हैं। इस प्रकार "एक-औषधि-एक ब्राण्ड नाम –एक मूल्य" लागू करने के स्थान पर सभी औषधियों द्वारा निश्चित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना बेहतर होगा।

सकारात्मक प्रभाव

- रोगियों के हित में है, क्योंकि इसका उद्देश्य रोगियों को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं प्रदान करना है। यह व्यय शक्ति क्षमता से अधिक व्ययों को कम करेगी जो कि चिकित्सा लागतों का 65% है।
- यह अंततः असंगठित क्षेत्रक या छोटी कंपनियों के दखल को कम करेगा एवं समेकन में वृद्धि करेगा।
- अनैतिक विपणन प्रथाओं को समाप्त कर औषधियों की उपरि लागत में भी कमी लाएगा।
- ई-फार्मेसी क्षेत्रक में उपलब्ध अवसर, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने की संभावना रखते हैं।

10.4. जूट उद्योग

(Jute Industry)

सुर्खियों में क्यों?

- **जूट-ICARE** परियोजना के अंतर्गत, केन्द्रीय जूट और संबद्ध फाइबर अनुसन्धान संस्थान (CRIJAF) ने **सोना (SONA)** नामक सूक्ष्मजीव (माइक्रोबियल) विकसित किया है।

भारत में जूट की खेती:

- प्राकृतिक रेशे (फाइबर) की फसल जिसे *गोल्डन फाइबर* भी कहा जाता है, विश्व के 95% जूट का उत्पादन भारत और बांग्लादेश में होता है।
  - यह पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत में व्यापक रूप से उगाया जाता है।
  - यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-वाणिज्यक फसलें (NFSM-CC) के अंतर्गत सम्मिलित है।

दशाएं: मार्च-मई का गर्म और आर्द्र मौसम, **तामपान** 24°C to 35°C, **वर्षा:** 120 से 150 से.मी., **मिट्टी:** चिकनी बलुई मिट्टी और रेतीली दुमट मिट्टी।

प्रसंस्करण: गलाने के लिए जैविक और रासायनिक दोनों ही पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। जैविक पद्धति अधिक प्रचलित हैं।

प्रयोज्यता:

- वस्त्र, कागज, भवन और मोटर वाहन उद्योगों के लिए कच्चा माल।
- सजावटी और साज-सज्जा वाली सामग्री के रूप में उपयोग।
- कम तापीय चालकता।
- अच्छा कुचालक और प्रतिस्थैतिक (एंटीस्टेटिक) गुण।
- सिविल इंजीनियरिंग कार्यों में विच्छेदन, निस्पंदन और जल निकासी।
- ग्रामीण सड़क फुटपाथ निर्माण और कृषि संयन्त्रों में उपयोगी।

पर्यावरणीय लाभ:

- जैव निम्नीकरणीय और पुन:-प्रयोज्य क्षमता,
- मृदा रक्षण में उपयोगी,
- जलाये जाने पर विषैली गैसें नहीं छोड़ता,
- विभिन्न फसल-चक्रण में फिट हो जाता है (कम पर्यावरण लागत में खेती हो सकती है)

सामाजिक-आर्थिक कारक

- पूर्वोत्तर के लोगों का पारम्परिक व्यवसाय।
- कुल किसानों के 60% से अधिक लघु और सीमांत कृषक हैं।
- श्रमिक सरलता से उपलब्ध हैं (उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है)।
- कम यांत्रिक, उर्वरकों और कीटनाशकों की कम आवश्यकता।

चुनौतियाँ

- सिंथेटिक **नायलोन फाइबर** की बढती हुई मांग।
- अप्रचलित (पुरानी) मिलें और मशीनरी।
- कच्चे माल और उत्पादन की अनियमित आपूर्ति।
- जूट के लाभों में बारे में कम ज्ञान।

संस्थान: राष्ट्रीय जूट बोर्ड (NJB)

- वस्त्र मंत्रालय के तहत,राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम 2008 द्वारा शासित।
- अनुसन्धान और मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों में सलंग्न।
- नयी प्रौद्योगिकियों का प्रसार।

जूट-ICARE परियोजना:

- बेहतर कृषि पद्धतियों के लिए राष्ट्रीय जूट बोर्ड द्वारा निम्नलिखित के माध्यम से वर्ष 2015 में इस परियोजना को प्रारम्भ किया गया था:-
  - 50% सब्सिडी पर गुणवत्तापूर्ण बीजों का वितरण;
  - सीड ड्रिल की सहायता से पंक्तियों में जूट की बुवाई करने से उपज में 10-15% की वृद्धि;
  - हाथों से निराई करने के स्थान पर व्हील होइंग/नेल विडर द्वारा निराई की लागत को कम करना।
- 2017 में इस परियोजना को राज्य कृषि विस्तार मशीनरी द्वारा विस्तारित किया गया था जिसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए थे:-
  - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के अंतर्गत जूट-ICARE कार्यक्रम।
  - कृषि मिशन में उप-मिशन (SMAM) के अंतर्गत कृषि उपकरणों की आपूर्ति।
  - MGNREGS के अंतर्गत गलाने के लिए टैंकों का निर्माण करना।
  - किसानों की सहायता के लिए कृषि मेलों का आयोजन किया जा रहा है।
- पिछले दो वर्षों से, किसानों की संबद्धता और जूट उत्पादन में क्रमशः 147% व 169% की वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय जूट नीति, 2005

- सरकार के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (NCMP) के अंतर्गत।
- बाजार आधारित हस्तक्षेप के साथ जूट प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना।
- विविध और समग्र जूट उत्पादों तथा जूट हस्तशिल्प को प्रोत्साहन।
- कृषि विस्तार, विपणन, अनुसन्धान और विकास के माध्यम से क्षेत्र आधारित पहल।

अन्य पहलें

- **जूट पैकेजिंग सामग्री (पैकेजिंग कमोडिटीज़ में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम, 1987** (JPM अधिनियम) का कुल उत्पादन के न्यूनतम प्रतिशत तक विस्तार किया गया है।
- **जूट के कच्चे माल का बैंक (JRMB) योजना:** जूट के कच्चे माल को छोटे छोटे कारीगरों, उद्यमियों को उनकी वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने के लिए मिल की कीमत पर स्थानीय रूप से उपलब्ध कराने के लिए।

VISION IAS

- **जूट डिजाइन सेल:** नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिजाइन (NID), अहमदाबाद के प्राकृतिक फाइबर हेतु अभिनव केंद्र (ICNF) के अंतर्गत।
- **साझा सुविधा केंद्र (CFCs):** जूट के विविध उपयोगों के विकास में कारीगरों के प्रशिक्षण, अवसंरचना, मशीनरी और विपणन में महिला स्वय-सहायता समूहों (WSHGs) को सहायता प्रदान करना।
- राष्ट्रीय जूट बोर्ड द्वारा प्रौद्योगिकियों के अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण के लिए **संयन्त्र और मशीनरी के अधिग्रहण के लिए प्रोत्साहन योजना (IISAPM), शैक्षिणिक सहायता छात्रवृति योजना।**
- NJB द्वारा कार्यान्वित **रिटेल आऊटलेट योजना,** जो चयनात्मक और व्यापक उपभोग के लिए आपूर्ति श्रंखला और JDPs की थोक आपूर्ति में मदद करती है।

निष्कर्ष

- जूट को खाद्य और कृषि संगठन (FAO) द्वारा भविष्य का फाइबर कहा गया है। उष्णकटिबंधीय फसल होने तथा इसकी श्रम गहन प्रकृति होने के कारण भारत में विश्व के जूट उत्पादन का केंद्र बनने की उच्च क्षमता है।

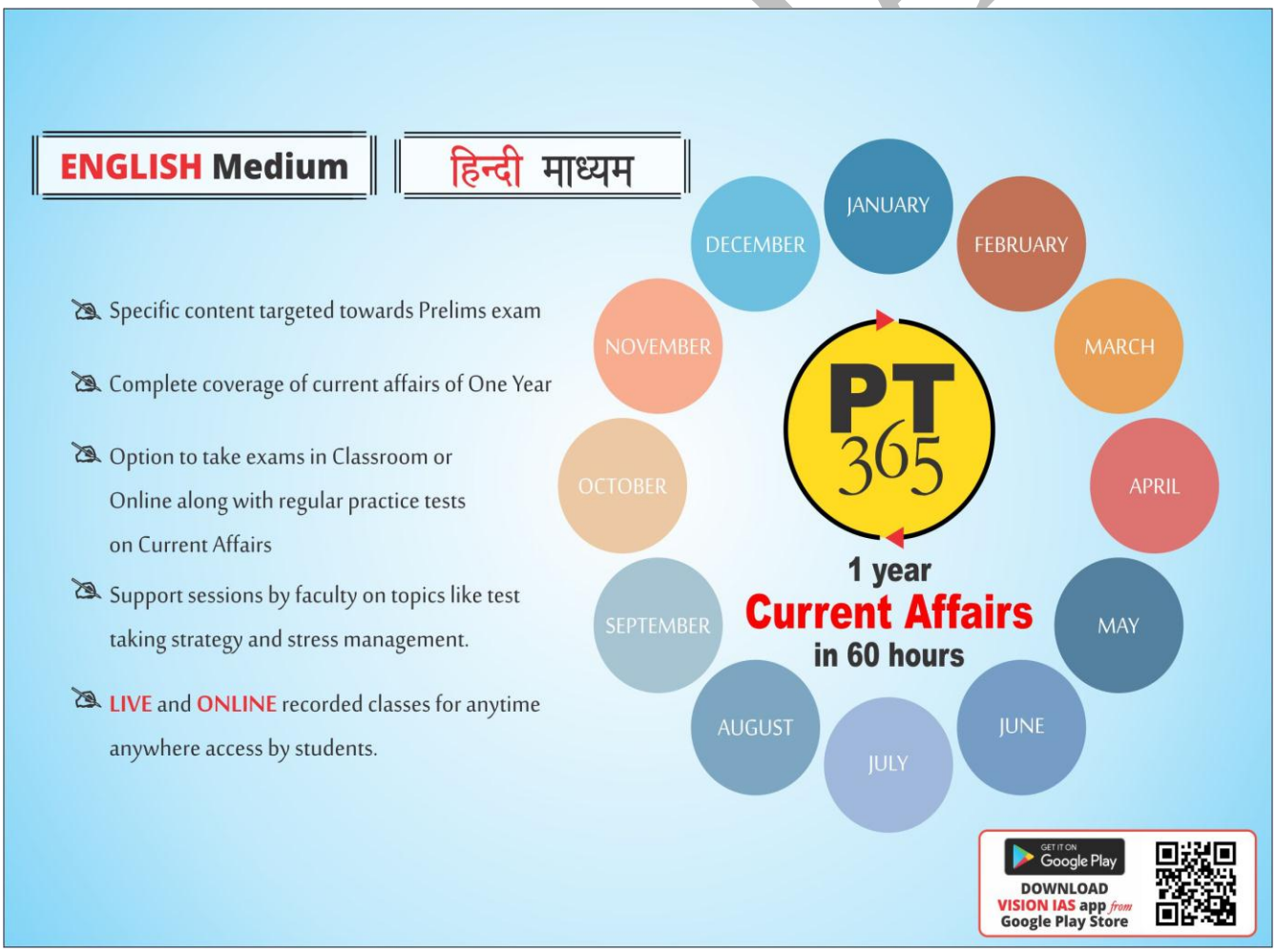

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.